सत्यमेव जयते

एकीकृत वस्त्र पार्कों के लिए योजना पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार

वस्त्र मंत्रालय

2023 की संख्या 2

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

एकीकृत वस्त्र पार्कों के लिए योजना
पर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संघ सरकार

वस्त्र मंत्रालय

2023 की संख्या 2

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर ..... को रखा गया

विषय सूची

अध्याय/पैरा	विषय	पृ.स.
	प्राक्कथन	v
	कार्यकारी सार	vii
अध्याय-I	**प्रस्तावना**	
1.1	एकीकृत वस्त्र पार्कों के लिए योजना के उद्देश्य	1
1.2	योजना की कार्यान्वयन संरचना	1
1.3	परियोजना लागत के घटक	6
1.4	वित्त पोषण की पद्धति	7
1.5	योजना के अंतर्गत स्वीकृत पार्कों की स्थिति	8
अध्याय-II	**अधिदेश, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली**	
2.1	लेखापरीक्षा उद्देश्य	12
2.2	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र	12
2.3	लेखापरीक्षा मानदण्ड	13
2.4	लेखापरीक्षा नमूना	13
2.5	पावती	16
अध्याय-III	**परियोजना की योजना और कार्यान्वयन**	
3.1	योजना के तहत स्वीकृत एकीकृत वस्त्र पार्कों का निष्पादन	17
3.2	निराशाजनक समापन दर एवं बड़ी संख्या में पार्कों का निरस्तीकरण	20
3.3	पार्कों को पूरा करने में अत्यधिक विलम्ब	22
3.4	पार्कों में एकीकृत वैल्यू चेन का अभाव	24
3.5	पूर्व में स्वीकृत पार्कों की पूर्णता को सुनिश्चित किए बिना नए पार्कों की स्वीकृति	26
3.6	योजना दिशानिर्देशों के अंतर्गत परिकल्पित आकार से छोटे पार्कों की स्वीकृति	28
3.7	पार्कों के भौतिक सत्यापन का अभाव	29

अध्याय/पैरा	विषय	पृ.स.
3.8	90 प्रतिशत अनुदान जारी होने के बाद परियोजना विन्यास में परिवर्तन	31
3.9	पुरानी मशीनरी का संस्थापन	33
3.10	निरस्त पार्कों को जारी अनुदान की गैर-वसूली	34
3.11	सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में एसपीवी/परियोजना प्रबंधन सलाहकार की विफलता	37
अध्याय-IV	**पार्कों की वर्तमान स्थिति**	
4.1	'पूर्ण' बताए गए पार्कों का लेखापरीक्षा द्वारा बंद पाया जाना	46
4.2	पार्क में गैर वस्त्र गतिविधियां जिसे 'पूर्ण' बताया गया	52
4.3	बैंक द्वारा इसकी इकाइयों को जब्त करने के बावजूद पार्क को "पूर्ण" माना गया	54
4.4	आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के बिना पार्कों को "पूर्ण" घोषित किया जाना	56
4.5	सांविधिक अनुमति सुनिश्चित किए बिना बहुत अधिक अनुदान जारी करना	58
अध्याय-V	**निगरानी एवं मूल्यांकन**	
5.1	परियोजना प्रबंधन सलाहकारों की अप्रभावी भूमिका	63
5.2	पीएमसी द्वारा निभाई गई भूमिका में हितों का टकराव	64
5.3	परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा स्वतंत्र सत्यापन का अभाव	68
5.4	राज्य सरकारों की गैर-भागीदारी	68
5.5	जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन न होना	69
5.6	वस्त्र आयुक्त/क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्तों को पार्कों की निगरानी में शामिल न करना	70
अध्याय-VI	**निष्कर्ष**	**71**

अध्याय/पैरा	विषय	पृ.स.
	अनुलग्नक	**75-159**
	अनुलग्नक-I - परियोजना अनुमोदन समिति की संरचना	75
	अनुलग्नक-II - योजना के तहत भारत सरकार(जीओआई) द्वारा निधि का जारी करना।	77
	अनुलग्नक-III - 98 स्वीकृत पार्कों का विवरण	83
	अनुलग्नक-IV - 24 नमूना पार्कों के संदर्भ में लेखापरीक्षा निष्कर्ष	97
	अनुलग्नक-V - निरस्त किए गए पार्कों से अनुदान/शास्ति ब्याज की वसूली न करना	157

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एकीकृत वस्त्र पार्क के लिए योजना की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

भारत सरकार (जीओआई) ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के नए एकीकृत वस्त्र पार्कों को सृजित करने एवं वस्त्र इकाइयों को स्थापित करने के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2005 में (10$^{वीं}$ योजना अवधि के दौरान) एकीकृत वस्त्र पार्कों हेतु योजना की शुरूआत की। यह योजना 11$^{वीं}$ योजना अवधि (2007-12) एवं 12$^{वीं}$ योजना अवधि (2012-17) के दौरान भी जारी थी और आगे 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 की एक ओर अवधि के लिए जारी थी। आगे इसके तहत पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने हेतु इसे वर्ष 2025-26 तक बढ़ाया गया।

लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गई थी कि योजना के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया था। इस रिपोर्ट में योजना, कार्यान्वयन और निगरानी और मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां शामिल हैं। इसी प्रकार की बाद की योजनाओं में सुधार और बेहतर योजना बनाने में सरकार की सहायता करने के लिए कुछ सिफारिशें भी की गई हैं।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी अंकेक्षण मानकों के अनुरूप आयोजित किया गया है।

कार्यकारी सार

भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के नए एकीकृत वस्त्र पार्कों का निर्माण करने एवं वस्त्र इकाइयों को स्थापित करने के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2005 में (10वीं योजना अवधि के दौरान) एकीकृत वस्त्र पार्कों हेतु योजना की शुरूआत की। यह योजना 11वीं योजना अवधि (2007-12) एवं 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान भी जारी थी और आगे 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 की एक और अवधि के लिए जारी थी। आगे इसके तहत पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने हेतु योजना को वर्ष 2025-26 तक बढ़ाया गया।

यह योजना उद्योग को वस्त्र इकाइयों की स्थापना के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जो बदले में रोजगार के अवसर पैदा करेगी और निवेश में वृद्धि करेगी।

भारत सरकार के स्तर पर, योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार शीर्ष प्राधिकरण वस्त्र मंत्रालय (मंत्रालय) था। मंत्रालय ने परियोजना प्रबंधन सलाहकारों (पीएमसी) को नियुक्त किया जिन्होंने पार्कों की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान करनी थी, प्रत्येक पार्क में विशेष प्रयोजन तन्त्र (एसपीवी) के गठन की सुविधा प्रदान करनी थी, प्रत्येक पार्क के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी थी, परियोजनाओं की संरचना और उनका मूल्यांकन करना था, वित्तीय समापन प्राप्ति के लिए एसपीवी की सहायता करनी थी, कार्यान्वयन की निगरानी करनी थी और मंत्रालय को समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।

मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार (फरवरी 2022 तक), नवंबर 2005 और जून 2016 के बीच कुल 98 पार्क स्वीकृत किए गए थे। 98 स्वीकृत पार्कों, जिनमें 26 पूर्ण पार्क, 30 निर्माणाधीन पार्क और 42 निरस्त पार्क शामिल थे, में से लेखापरीक्षा ने स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति के माध्यम से 10 पूर्ण पार्कों, 8 निर्माणाधीन पार्कों और 6 निरस्त किए गए पार्कों को सम्मिलित करते हुए 24 पार्कों (24 *प्रतिशत*) के एक नमूना आकार का चयन किया। 24 पार्कों के नमूना आकार में से, लेखापरीक्षा ने 14 पार्कों में क्षेत्रीय दौरा किया।

अप्रैल 2016 से मार्च 2021 तक की अवधि को सम्मिलित करने वाली योजना की अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या परियोजना की योजना, योजना के दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों के अनुरूप बनाई और कार्यान्वित की गई थी एवं इसकी निगरानी कुशलतापूर्वक और प्रभावी रूप से की गई थी और इच्छित उद्देश्यों जैसे रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करना और वस्त्र इकाइयों को स्थापित करने आदि को समय पर प्राप्त किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष:

परियोजना की योजना और कार्यान्वयन

- योजना के तहत स्वीकृत पार्कों द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति में भारी कमी थी। योजना की शुरुआत से 16 साल बीत जाने के बाद भी, रोजगार सृजन, निवेश और वस्त्र इकाइयों की स्थापना के मामले में 56 पूर्ण/निर्माणाधीन पार्कों की वास्तविक उपलब्धि क्रमशः केवल 30 *प्रतिशत*, 50 *प्रतिशत* और 37 *प्रतिशत* थी।

(पैरा 3.1)

- पार्कों के निर्माण में 1 वर्ष से 10 वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ था। पार्कों को पूरा करने में देरी के प्रमुख कारण सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में देरी, पार्कों के लिए भूमि आबंटन से संबंधित मुद्दे और विशेष प्रयोजन तन्त्रों की कमजोर वित्तीय स्थिति थे। इसके अलावा, कुल स्वीकृत पार्कों में से 43 *प्रतिशत* को निरस्त कर दिया गया था। बड़ी संख्या में पार्कों को निरस्त करने और पार्कों को पूरा करने में अत्यधिक देरी ने योजना के उद्देश्य को विफल कर दिया

(पैरा 3.2 और 3.3)

- बहुत कम संख्या में पार्क पूरी तरह से एकीकृत वस्त्र पार्क थे जिनमें वैल्यू चेन और औद्योगिक समूहों को बढ़ावा देने के लाभ थे जिससे उत्पादन लागत में कमी आती। वैल्यू चेन के केवल एक से दो खंडों के साथ बड़ी संख्या में पार्क प्रस्तावित किए गए थे।

(पैरा 3.4)

- योजना के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित मार्च 2007 तक 25 पार्कों के सफल समापन को सुनिश्चित किए बिना, मंत्रालय ने 11$^{वीं}$ और 12$^{वीं}$ योजना अवधि में अतिरिक्त पार्कों की स्वीकृति के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया।

(पैरा 3.5)

- मंत्रालय ने केवल परियोजना प्रबंधन सलाहकार की सिफारिश के आधार पर और अपने स्वयं के अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र भौतिक सत्यापन के माध्यम से सत्यता सुनिश्चित किए बिना पार्कों को 'पूर्ण' माना। लेखापरीक्षा में परियोजना प्रबंधन सलाहकारों की ओर से गलत सूचना के उदाहरण देखे गए थे।

(पैरा 3.7)

- भारत सरकार के अनुदान का 90 *प्रतिशत* जारी करने के बाद, मंत्रालय ने कम संख्या में फैक्ट्री इकाइयों की स्थापना के लिए परिवर्तित परियोजना विन्यास को स्वीकृति दी। हालांकि इकाइयों की कम संख्या के संदर्भ में पार्क को पूर्ण मानने के लिए 25 *प्रतिशत* परिचालन इकाइयों के मानदंड को पूरा कर लिया गया, परंतु पार्क की पूर्णता सुनिश्चित करने का मूल उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

(पैरा 3.8)

- सूरत सुपर यार्न पार्क के संबंध में, मंत्रालय ने ₹ 42.30 करोड़ की लागत से चीन से 2x7.5 मेगावाट पुराने कैप्टिव पावर प्लांट (टर्बाइन और बॉयलर सहित कुछ सहायक इकाइयां) खरीदने की अनुमति दी। वर्ष 2012 में कैप्टिव पावर प्लांट की केवल एक इकाई चालू की गई थी, लेकिन चालू होने के एक साल के भीतर ही यह बंद हो गई और बाद में पार्क भी बंद हो गया।

(पैरा 3.9)

- 20 निरस्त किए गए पार्कों को जारी किए गए ₹ 122.61 करोड़ के अनुदान में से 10 निरस्त किए गए पार्कों से ₹ 117.72 करोड़ के दंडात्मक ब्याज के अलावा ₹ 77.34 करोड़ की राशि वसूल नहीं हुई। शेष 10 निरस्त किए गए पार्कों में से जहां अनुदान की वसूली की गई थी, सात पार्कों के मामले में ₹ 34.75 करोड़ की राशि का दंडात्मक ब्याज वसूल नहीं किया गया था।

(पैरा 3.10)

- भारत सरकार के अनुदान जारी करने के बाद मंत्रालय को कुछ परियोजनाओं को निरस्त करना पड़ा क्योंकि एसपीवी/परियोजना प्रबंधन सलाहकार सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहे जो परियोजना शुरू करने के लिए पूर्व अपेक्षित थी।

(पैरा 3.11)

पार्कों की वर्तमान स्थिति

- नमूनाकृत 10 पूर्ण पार्कों में से, लेखापरीक्षा ने नौ पार्कों में क्षेत्र का दौरा किया और पाया कि तीन पार्क, जहां कुल ₹ 93.60 करोड़ का अनुदान जारी किया गया था और मंत्रालय ने उन्हें सफलतापूर्वक पूरा माना था तथा अपने रिकॉर्ड में कार्यशील के रूप में दिखाया था, उन्हें बंद/शट डाउन पाया गया।

(पैरा 4.1)

- एक पार्क में गैर-वस्त्र गतिविधियाँ जैसे इंजीनियरिंग कार्य, फर्नीचर कार्य, बीज प्रसंस्करण आदि चल रही थी। इसके अलावा, एक पार्क को बैंक द्वारा जब्त कर लिया गया था।

(पैरा 4.2 और 4.3)

- मंत्रालय ने सामान्य अवसंरचना और सुविधाओं के निर्माण को सुनिश्चित किए बिना कुछ पार्कों को पूरा मान लिया जिनकी योजना प्रारम्भ से ही उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में बनाई गई थी।

(पैरा 4.4)

- आठ नमूना निर्माणाधीन पार्कों में से, लेखापरीक्षा ने पांच पार्कों में क्षेत्रीय दौरा किया और पाया कि तीन पार्क, जहां कुल ₹ 79.61 करोड़ का अनुदान जारी किया गया था और जिन्हें मंत्रालय द्वारा परिचालित माना गया था, सांविधिक मंजूरी की अनुपलब्धता के कारण अटके हुए थे। मंत्रालय ने पार्कों के शुरू होने से पहले सांविधिक मंजूरी की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना परियोजना प्रबंधन सलाहकारों की सिफारिशों के आधार पर अनुदान (कुल अनुदान के 60 *प्रतिशत* और 79 *प्रतिशत* के बीच) जारी किया था।

(पैरा 4.5)

निगरानी एवं मूल्यांकन

- मंत्रालय ने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने के बावजूद परियोजना प्रबंधन सलाहकारों (पीएमसी) के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की। ऐसे उदाहरण देखे गए जहां पीएमसी ने बैंकों से ऋण प्राप्त करने में विशेष प्रयोजन वाहन की सहायता करने के बजाय परियोजना के ऋण घटक के लिए स्वयं एक स्वीकृति पत्र जारी किया। परिणामस्वरूप, 10वीं और 11वीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत पार्कों के संबंध में पीएमसी द्वारा निभाई गई भूमिका में हितों का टकराव हुआ।

(पैरा 5.1 और 5.2)

- परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा पार्कों की प्रगति की समीक्षा एक स्वतंत्र कार्य नहीं था बल्कि परियोजना प्रबंधन सलाहकार/एसपीवी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं पर आधारित था।

(पैरा 5.3)

- मंत्रालय ने योजना में भागीदारी के लिए राज्य सरकारों को शामिल नहीं किया और पार्कों के अनुमोदन से पूर्व मंत्रालय द्वारा उनकी सिफारिशें नहीं मांगी गईं। परियोजनाओं के उचित चरण पर राज्य सरकारों की गैर-भागीदारी परियोजना की विफलता के प्रमुख कारणों में से एक थी क्योंकि भूमि मुद्दों, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति और सांविधिक मंजूरी के कारण विभिन्न परियोजनाएं प्रभावित हुईं।

(पैरा 5.4)

- वस्त्र मंत्रालय एवं अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों सहित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पार्कों की प्रगति के समन्वय एवं निगरानी के लिए एक जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाना था किंतु उसे मंत्रालय द्वारा गठित नहीं किया गया था।

(पैरा 5.5)

- योजना के दिशा-निर्देशों में पार्कों की निगरानी में वस्त्र आयुक्त/क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्तों की किसी भूमिका की परिकल्पना नहीं की गई थी।

(पैरा 5.6)

लेखापरीक्षा अनुशंसाएँ-

1. *मंत्रालय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त न करने के कारणों की पहचान करे और रोजगार सृजन, निवेश में वृद्धि तथा वस्त्र इकाइयों की स्थापना के लक्षित स्तरों को प्राप्त करने के लिए यथाशीघ्र निर्माणाधीन पार्कों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। मंत्रालय पूर्ण हो चुके पार्कों की समीक्षा भी करे ताकि शेष इकाइयों की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाया जा सके एवं रोजगार सृजन और निवेश बढ़ाया जा सके।*

2. *मंत्रालय इस योजना या भविष्य में किसी अन्य योजना के तहत स्वीकृत पार्कों के लिए अनुदान की स्वीकृति/जारी करने के लिए वस्त्र पार्कों की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि और सांविधिक मंजूरी की उपलब्धता को पूर्व शर्त बनाने पर विचार करे।*

3. *वस्त्र पार्कों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने और उत्पादन लागत को कम करने के लिए, मंत्रालय इस योजना या भविष्य में किसी अन्य योजना के तहत स्वीकृत पार्कों में वस्त्र वैल्यू चेन के अधिकतम घटकों को शामिल करना सुनिश्चित करे।*

4. *मंत्रालय पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं अपरैल योजना या ऐसी किसी अन्य योजना के तहत स्वीकृत पार्कों की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए रोजगार सृजन, निवेश, पार्कों के आकार आदि जैसे मापने योग्य मानदंड निर्धारित करे।*

5. *मंत्रालय निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके पार्कों के कार्यान्वयन और निगरानी में वस्त्र आयुक्त/क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त जैसी अन्य एजेंसियों की स्पष्ट भूमिका को परिभाषित करे क्योंकि परियोजना प्रबंधन सलाहकारों द्वारा किए गए कार्यों का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।*

6. *मंत्रालय को झूठी सूचना/दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकारों और विशेष प्रयोजन तन्त्रों के विरुद्ध मंत्रालय दंडात्मक कार्रवाई करे। इसके अलावा, भविष्य में स्वीकृत होने वाले सभी नए पार्कों के मामले में परियोजना प्रबंधन सलाहकारों और विशेष प्रयोजन तन्त्रों द्वारा चूक के लिए दंडात्मक प्रावधानों को संबंधित करारों में शामिल किया जाए।*

7. *मंत्रालय कैप्टिव पावर प्लांट के लिए पुरानी मशीनरी के आयात के अनुमोदन और चालू होने के एक वर्ष के भीतर इसके गैर-परिचालन की जांच पर विचार करे। मंत्रालय इन चूकों के लिए जवाबदेही भी तय कर करे।*

8. *निरस्त किए गए पार्कों के मामले में, मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि जारी अनुदान लागू दंडात्मक ब्याज सहित बिना और किसी विलंब के एसपीवी से वसूल किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निर्माणाधीन पार्कों के मामले में आगे औऱ अनुदान तब तक स्वीकृत नहीं किया जाए जब तक कि निधियां जारी करने के लिए बैंक गारंटी एवं जमानत बंध पत्र आदि आवश्यक सुरक्षा उपाय नहीं किये जाते।*

9. *मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अभीष्ट उद्देश्यों को दीर्घावधि में प्राप्त किया जा सकेगा, पूर्ण पार्कों के आवधिक भौतिक सत्यापन के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करे।*

10. *मंत्रालय सूरत सुपर यार्न पार्क और पोचमपल्ली हथकरघा पार्क के मामले में परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा की गई चूकों और इसकी ऋणदाता की भूमिका की जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई करे।*

अध्याय-I

प्रस्तावना

वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) ने वर्ष 2005 (10वीं योजना अवधि) में 'निर्यात के लिए परिधान पार्क योजना (एपीईएस)' और 'वस्त्र केंद्र अवसंरचना विकास योजना (टीसीआईडीएस)' नामक दो पूर्ववर्ती योजनाओं का विलय करके 'एकीकृत वस्त्र पार्कों के लिए योजना'(एसआईटीपी) नामक एक योजना शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योग को अपनी वस्त्र इकाइयां स्थापित करने के लिए विश्वस्तरीय अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना था। योजना को 11वीं योजना अवधि (2007-12) और 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान जारी रखा गया था और 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक तीन साल की एक ओर अवधि के लिए जारी रखा गया था। योजना के संचालन की प्रत्येक अवधि के लिए मंत्रालय द्वारा योजना दिशानिर्देशों को अलग-अलग जारी किया गया था । इस योजना के अंतर्गत पहले से स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए योजना को वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है।

1.1 एकीकृत वस्त्र पार्कों के लिए योजना के उद्देश्य

योजना निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई थी:

- संभावित विकास केंद्रों पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के नए वस्त्र पार्क बनाना।
- उद्यमियों के एक समूह को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण और सामाजिक मानकों के अनुरूप अपनी वस्त्र इकाइयों की स्थापना हेतु क्लस्टर में अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और इस प्रकार वस्त्र क्षेत्र में निजी निवेश जुटाना।
- वस्त्र क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना, निवेश बढ़ाना और निर्यात को बढ़ावा देना।

1.2 योजना की कार्यान्वयन संरचना

योजना के दिशानिर्देशों में परिकल्पित योजना की कार्यान्वयन संरचना में पांच मुख्य एजेंसियां शामिल थीं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

आकृति 1: एकीकृत वस्त्र पार्कों के लिए योजना के कार्यान्वयन में शामिल एजेंसियां

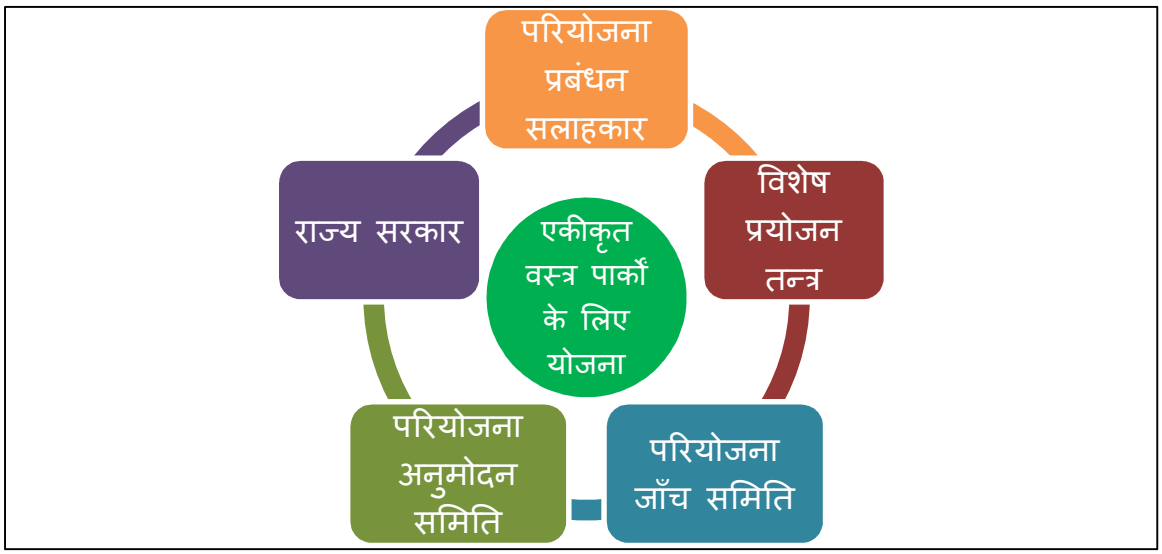

पांच एजेंसियों की भूमिका इस प्रकार है:

1.2.1 परियोजना प्रबंधन सलाहकार

10वीं योजना अवधि (2005-07) के लिए योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना को लागू करने के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में वस्त्र मंत्रालय को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आई एल एंड एफ एस) या इसी तरह की एक पेशेवर एजेंसी के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना था, जिसके पास अवसंरचना विकास के क्षेत्र में काफी अनुभव हो।

11वीं योजना अवधि (2007-12) और 12वीं योजना अवधि (2012-17) के लिए वर्णित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार योजना को लागू करने के लिए वस्त्र मंत्रालय बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में काफी अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाली पेशेवर एजेंसियों के एक पैनल की नियुक्ति पीएमसी के रूप में करेगा।

पीएमसी पारदर्शी और पेशेवर तरीके से परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था ताकि एसपीवी के सदस्यों को स्वीकार्य कम लागत पर गुणवत्ता के उच्च स्तर को प्राप्त किया जा सके जिसके लिए मंत्रालय द्वारा पीएमसी को शुल्क का भुगतान किया जाना था। पीएमसी को मंत्रालय को रिपोर्ट करना आवश्यक था जिसे सचिव (वस्त्र) के अधीक्षण और नियंत्रण में प्रत्यक्ष रुप से परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करनी थी।

पीएमसी को निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करना था:

(i) एकीकृत वस्त्र पार्कों की स्थापना के लिए क्षेत्र की मांग और क्षमता के वैज्ञानिक आकलन के आधार पर स्थानों की पहचान करना।

(ii) स्थानीय उद्योग की भागीदारी के साथ प्रत्येक परियोजना स्तर पर एसपीवी के गठन को सुगम बनाना ।

(iii) बुनियादी ढांचे के लिए मानक निर्मित करने सहित परियोजना की योजना तैयार करना।

(iv) परियोजनाओं की संरचना बनाना व मूल्यांकन करना तथा उसे परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) के विचारार्थ प्रस्तुत करना।

(v) बोली दस्तावेज तैयार करने, परियोजना में सुविधाओं के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए एजेंसियों के चयन में एसपीवी की सहायता करना।

(vi) वित्तीय समापन प्राप्त करने में एसपीवी की सहायता करना।

(vii) कार्यान्वयन की निगरानी करना और मंत्रालय को समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(viii) राज्य से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए राज्य सरकारों के साथ संपर्क करना।

(ix) परियोजनाओं को परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा निर्धारित समय में पूरा करना सुनिश्चित करना।

12वीं योजना के बाद की अवधि (01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020) के लिए योजना दिशानिर्देशों में पीएमसी की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं था । इसके प्रति, दिशानिर्देशों में परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू)[1] के रूप में एक एजेंसी के चयन का प्रावधान था। पीएमयू का चयन सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना था। पीएमयू के रूप में चुनी गई एजेंसी के पास परियोजना वित्त, बुनियादी ढांचे के विकास, परियोजना प्रबंधन, आईटी समाधान विकसित करने की क्षमता आदि में इन-हाउस विशेषज्ञता होना आवश्यक था। पीएमयू को वस्त्र मंत्रालय के बुनियादी ढांचा प्रभाग के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होना था। एसपीवी द्वारा मंत्रालय को

[1] ***पीएमयू की अवधारणा 12वीं योजना अवधि तक विद्यमान दिशानिर्देशों में नहीं थी और इसे 2018 में जारी 12वीं योजना अवधि के बाद के दिशानिर्देशों में प्रारम्भ किया गया था। हालांकि, जून 2016 के बाद कोई पार्क स्वीकृत नहीं किए गए।***

प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर पीएमयू को सम्यक् तत्परता से अध्ययन करना था और बुनियादी ढांचा प्रभाग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी थीं, जिसे आगे परियोजना अनुमोदन समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत करना था।

1.2.2 विशेष प्रयोजन तंत्र

योजना को वस्त्र मंत्रालय द्वारा विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) के माध्यम से लागू किया जाना था। उद्योग संघ/समूह एकीकृत वस्त्र पार्कों के मुख्य प्रवर्तक थे। एसपीवी निम्नलिखित भूमिका निभाते हुए योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र बिंदु थे:

(i) एसपीवी को परियोजना की अवधारणा तैयार करना, वित्तीय समापन प्राप्त करना, परियोजना कार्यान्वयन और अवसंरचना प्रबंधन करना था।

(ii) एसपीवी को भूमि की खरीद करनी थी, जिसकी लागत को परियोजना लागत[2] में शामिल किया जाना था।

(iii) बुनियादी ढांचा विकसित करने के बाद, एसपीवी को इकाइयों की स्थापना के लिए उद्योगों को साइट आवंटित करनी थी।

(iv) एकीकृत वस्त्र पार्क में इकाइयों की स्थापना के लिए एसपीवी को आवश्यक बैंक वित्त की व्यवस्था को भी सुगम बनाना था।

(v) एकीकृत वस्त्र पार्कों के लिए सृजित की गई जन उपयोगी सुविधाओं और अवसंरचना के अनुरक्षण सेवा और प्रयोक्ता प्रभार एकत्र करने का जिम्मेदार एसपीवी था।

(vi) एसपीवी को इस तरह संरचित किया जाना था कि वह एक सकारात्मक राजस्व प्रवाह के साथ आत्मनिर्भर हो।

(vii) एसपीवी को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ठेकेदारों/परामर्शदाताओं की नियुक्ति करनी थी। परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए, एसपीवी को परामर्शदाताओं/ठेकेदारों से उचित निष्पादन गारंटी प्राप्त करनी थी।

---

[2] *12वीं योजना अवधि और उसके बाद के लिए योजना दिशानिर्देशों में भूमि की लागत को परियोजना लागत से बाहर रखा गया था।*

1.2.3 परियोजना जांच समिति

परियोजना प्रबंधन सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्तावों पर परियोजना जांच समिति[3] द्वारा विचार और उनका मूल्यांकन किया जाना था। समिति को परियोजना घटकों, व्यवहार्यता और प्रत्येक परियोजना की समय-सीमा के संदर्भ में परियोजनाओं का मूल्यांकन करना था। समिति को आपूर्ति और प्रबंधन श्रृंखला के आधुनिकीकरण और एकीकरण के संदर्भ में परियोजनाओं की उपयोगिता को देखना था और परियोजना अनुमोदन समिति को अंतिम सिफारिशें करनी थीं।

1.2.4 परियोजना अनुमोदन समिति

परियोजना प्रस्तावों को अंतिम रूप से एक परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा स्वीकृत किया जाना था। इसके संचालन की प्रत्येक अवधि के लिए योजना के दिशानिर्देशों ने परियोजना अनुमोदन समिति की एक अलग संरचना निर्धारित की जैसा कि **अनुलग्नक-I** में बताया गया है। योजना के संचालन के अधिकांश भाग के लिए, समिति की अध्यक्षता सचिव (वस्त्र) द्वारा की गई थी। हालाँकि, 12वीं योजना अवधि के बाद (01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020) के योजना दिशानिर्देशों में, वस्त्र मंत्री को समिति का अध्यक्ष बनाया गया था।

1.2.5 राज्य सरकार

राज्य सरकारों की भूमिका की परिकल्पना निम्नलिखित क्षेत्रों में की गई थी:

(i) एकीकृत वस्त्र पार्क की स्थापना के लिए, जहां भी आवश्यक हो, सभी आवश्यक मंजूरी प्रदान करना और पार्क में बिजली, पानी और अन्य उपयोगिताओं के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना।

(ii) उपयुक्त भूमि की पहचान और खरीद में सहायता करना।

---

[3] ***परियोजना जांच समिति की परिकल्पना केवल 12वीं योजना अवधि के लिए जारी योजना दिशानिर्देशों में की गई थी। समिति की अध्यक्षता वस्त्र मंत्रालय के संयुक्त सचिव (एसआईटीपी) द्वारा की जाती है और इसमें नौ अन्य सदस्य शामिल हैं, नामतः (i) सलाहकार (उद्योग), योजना आयोग या उनके प्रतिनिधि, (ii) संयुक्त सचिव (पीएफ-II), व्यय विभाग या उनके नामिती, (iii) संयुक्त सचिव (अवसंरचना), वाणिज्य विभाग या उनके नामिती, (iv) संयुक्त सचिव (आईआईयूएस), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग या उनके नामिती, (v) संयुक्त सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उनके नामिती, (vi) वस्त्र आयुक्त, मुंबई, (vii) आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, (viii) निदेशक/उप सचिव, आईएफडब्ल्यू, वस्त्र मंत्रालय और (ix) निदेशक (एसआईटीपी), वस्त्र मंत्रालय (सदस्य सचिव के रूप में)।***

(iii) ढांचागत/ औद्योगिक विकास निगम जैसी राज्य सरकार की एजेंसियां भी परियोजनाओं में एसपीवी की इक्विटी की सदस्यता के माध्यम से या अनुदान प्रदान करके भागीदारी कर सकती हैं।

(iv) एकीकृत वस्त्र पार्क में स्थित इकाइयों के लिए लचीला और अनुकूल श्रम वातावरण प्रदान करके और स्टांप शुल्क में छूट आदि जैसी विशेष सुविधाओं को उपलब्ध करवाने पर विचार करना।

(v) परियोजना की समग्र प्रभावशीलता और दक्षता के लिए अन्य संबंधित योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना।

1.3 परियोजना लागत के घटक

प्रत्येक एकीकृत वस्त्र पार्क की परियोजना लागत में निम्नलिखित घटक शामिल थे:

(i) **वर्ग ए -** भूमि

(ii) **वर्ग बी-** सामान्य अवसंरचना जैसे कि कंपाउंड वॉल, सड़क, नाली, जलापूर्ति, कैप्टिव विद्युत संयंत्र सहित विद्युत आपूर्ति, बहिस्राव शोधन संयंत्र, दूरसंचार लाइन, आदि।

(iii) **वर्ग सी -** सामान्य सुविधाओं के लिए भवन जैसे कि परीक्षण प्रयोगशाला, डिजाइन केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, व्यापार केंद्र/ प्रदर्शनी केंद्र, भंडारण सुविधा/ कच्चामाल डिपो, क्रेच, कैंटीन, श्रमिकों के लिए आवास, सेवा प्रदाताओं के कार्यालय, श्रमिक विश्राम स्थल और मनोरंजन सुविधाएं आदि।

(iv) **वर्ग डी -** उत्पादन उद्देश्यों के लिए कारखाने के भवन।

(v) **वर्ग ई -** संयंत्र और मशीनरी

योजना के उद्देश्य के लिए कुल परियोजना लागत में ऊपर दर्शाए गए वर्ग ए, बी, सी और डी में सूचीबद्ध घटकों की लागत शामिल थी, बशर्ते कारखाने के भवनों का स्वामित्व एसपीवी के पास हो। तथापि, यदि कारखाने के भवनों का स्वामित्व अलग-अलग हो तो एसपीवी के पास केवल वर्ग बी और सी के घटकों के लिए भारत सरकार (जीओआई) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का विकल्प होगा। योजना के उद्देश्य के लिए कुल परियोजना लागत में ग्रुप ई को शामिल नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 12$^{वीं}$ योजना अवधि और उसके बाद के लिए योजना दिशानिर्देशों में भूमि की लागत (अर्थात् ऊपर दर्शाया गया वर्ग ए) को कुल परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं किया गया।

1.4 वित्त पोषण की पद्धति

कुल परियोजना लागत को भारत सरकार (वस्त्र मंत्रालय), राज्य सरकार, राज्य औद्योगिक विकास निगम, उद्योग और परियोजना प्रबंधन सलाहकार से इक्विटी/अनुदान तथा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण के मिश्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था।

योजना के अंतर्गत अनुदान या इक्विटी के माध्यम से भारत सरकार (जीओआई) का समर्थन परियोजना लागत के 40 *प्रतिशत* तक सीमित था बशर्ते यह ₹ 40 करोड़ से अधिक न हो और शेष राशि एसपीवी को इक्विटी/सावधि ऋणों के द्वारा जुटानी थी। हालांकि, जीओआई/राज्य सरकार/राज्य औद्योगिक विकास निगम यदि कोई हो, की संयुक्त इक्विटी हिस्सेदारी 49 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12वीं योजना अवधि के लिए योजना दिशानिर्देशों में, आगे यह निर्धारित किया गया था कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों की पहली दो परियोजनाओं में जीओआई समर्थन परियोजना लागत के 90 *प्रतिशत* की दर से प्रदान किया जायेगा बशर्ते वह ₹ 40 करोड़ से अधिक न हो।

एसपीवी को जीओआई का हिस्सा किस्तों में जारी किया जाना था जैसा कि **अनुलग्नक-II** में स्पष्ट किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1: योजना के अंतर्गत अनुदानों की किश्तें जारी करना

(आंकड़े *प्रतिशत* में)

किस्त	10वीं योजना अवधि (2005-07)	11वीं योजना अवधि (2007-12)	12वीं योजना अवधि (2012-17)	12वीं योजना अवधि के बाद (01.04.2017 से 31.03.2020)
पहली किस्त	30 (दो भाग[4] में)	30 (दो भाग[5] में)	10	30
दूसरी किस्त	30	30	15	40

[4] ***परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा लिए गए निर्णय (नवम्बर 2005) के अनुसार, प्रथम किस्त दो भागों में जारी की जाती है (पहला भाग 10 प्रतिशत तथा दूसरा भाग 20 प्रतिशत) बशर्ते प्रत्येक भाग के संबंध में निर्धारित शर्तें पूरी हों।***

[5] ***पहली किस्त दो भागों में जारी की जाती है (पहला भाग 10 प्रतिशत और दूसरा भाग 20 प्रतिशत) बशर्ते प्रत्येक भाग के संबंध में निर्धारित शर्तें पूरी हों।***

किस्त	10वीं योजना अवधि (2005-07)	11वीं योजना अवधि (2007-12)	12वीं योजना अवधि (2012-17)	12वीं योजना अवधि के बाद (01.04.2017 से 31.03.2020)
तीसरी किस्त	30	30	25	30
चौथी किस्त	10	10	25	-
पांचवी किस्त	-	-	25	-
कुल	**100**	**100**	**100**	**100**

1.5 योजना के अंतर्गत स्वीकृत पार्कों की स्थिति

इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय ने जून 2016 तक कुल 98 पार्कों **(अनुलग्नक-III)** को स्वीकृति[6] दी जिसके बाद और कोई पार्क स्वीकृत नहीं किया गया। विभिन्न योजना अवधियों के संदर्भ में, स्वीकृत पार्कों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:

आकृति 2: एसआईटीपी में पार्कों की स्वीकृति

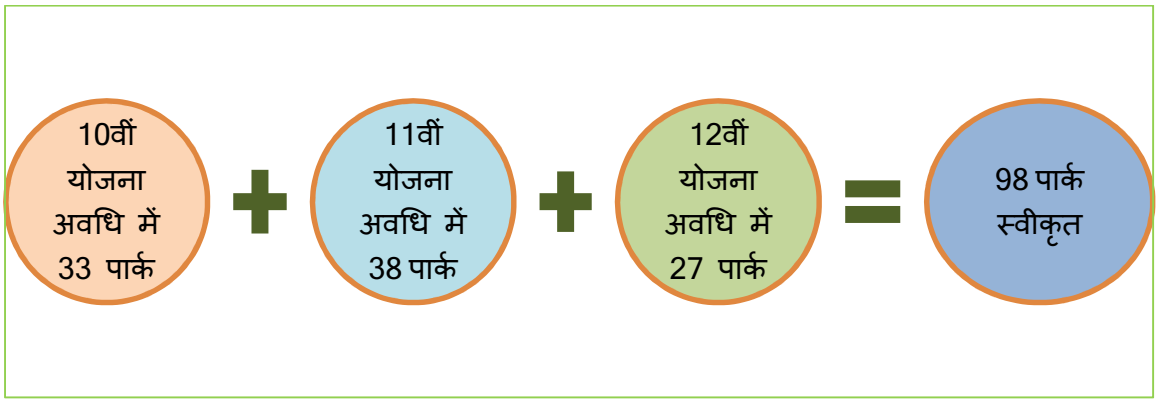

[6] *नवबंर 2005 और जून 2016 के बीच।*

स्वीकृत 98 पार्कों में से केवल 26 पार्कों (26.53 *प्रतिशत*) को फरवरी 2022 तक 'पूर्ण'[7] माना गया। शेष 72 पार्कों में से 30 पार्क (30.61 *प्रतिशत*) निर्माणाधीन थे जबकि 42 पार्कों (42.86 *प्रतिशत*) को निरस्त कर दिया गया था। 98 स्वीकृत पार्कों के लिए कुल ₹ 1,593 करोड़ का अनुदान जारी किया गया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

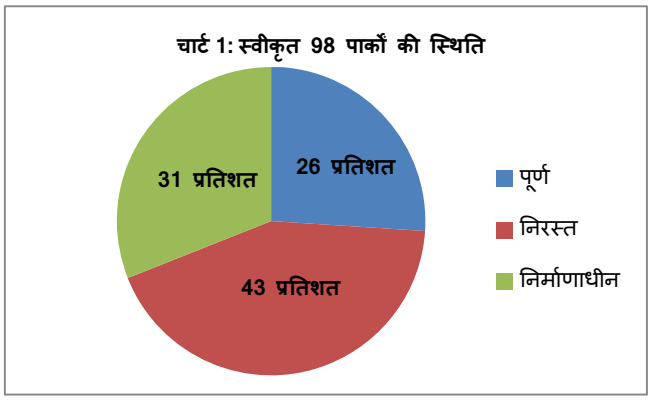

तालिका 2: स्वीकृत पार्कों की कुल संख्या

श्रेणी	स्वीकृत पार्कों की कुल संख्या	सभी स्वीकृत पार्कों के लिए जीओआई द्वारा जारी किये गए अनुदान (₹ करोड़ में)
पूर्ण हो चुके पार्क	26	904.49
निर्माणाधीन पार्क	30	565.45
निरस्त पार्क	42	122.58
कुल	**98**	**1592.52**

स्रोत: वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी

योजना के तहत स्वीकृत 98 पार्कों के राज्यवार स्थानों को प्रत्येक राज्य में पूर्ण पार्कों, निर्माणाधीन पार्कों और निरस्त किए गए पार्कों की संख्या के संदर्भ में दर्शाने वाला मानचित्र नीचे दिखाया गया है:

[7] *10वीं और 11वीं योजना अवधि के लिए योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुदान की अंतिम किस्त परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने तथा एकीकृत वस्त्र पार्क की 25 प्रतिशत इकाइयों द्वारा अपना उत्पादन शुरू करने के बाद ही जारी की जानी थी। तदनुसार, मंत्रालय ने एक पार्क को 'पूर्ण' तब माना जब विशेष प्रयोजन तंत्र ने पार्क में प्रस्तावित इकाइयों के 25 प्रतिशत के शुरू होने की सूचना दी। 12वीं योजना अवधि के लिए योजना दिशानिर्देशों में इसे बढ़ाकर 33 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, 12वीं योजना के बाद की अवधि के लिए योजना के दिशा-निर्देशों में अनुदान की अंतिम किस्त जारी करने की शर्त के रूप में प्रतिशत रोजगार के 80 प्रतिशत के सृजन के साथ कम से कम 80 प्रतिशत प्रतिबद्ध इकाइयों के संचालन का प्रावधान किया गया।*

मानचित्र 1: योजना के तहत स्वीकृत 98 पार्कों का मानचित्र

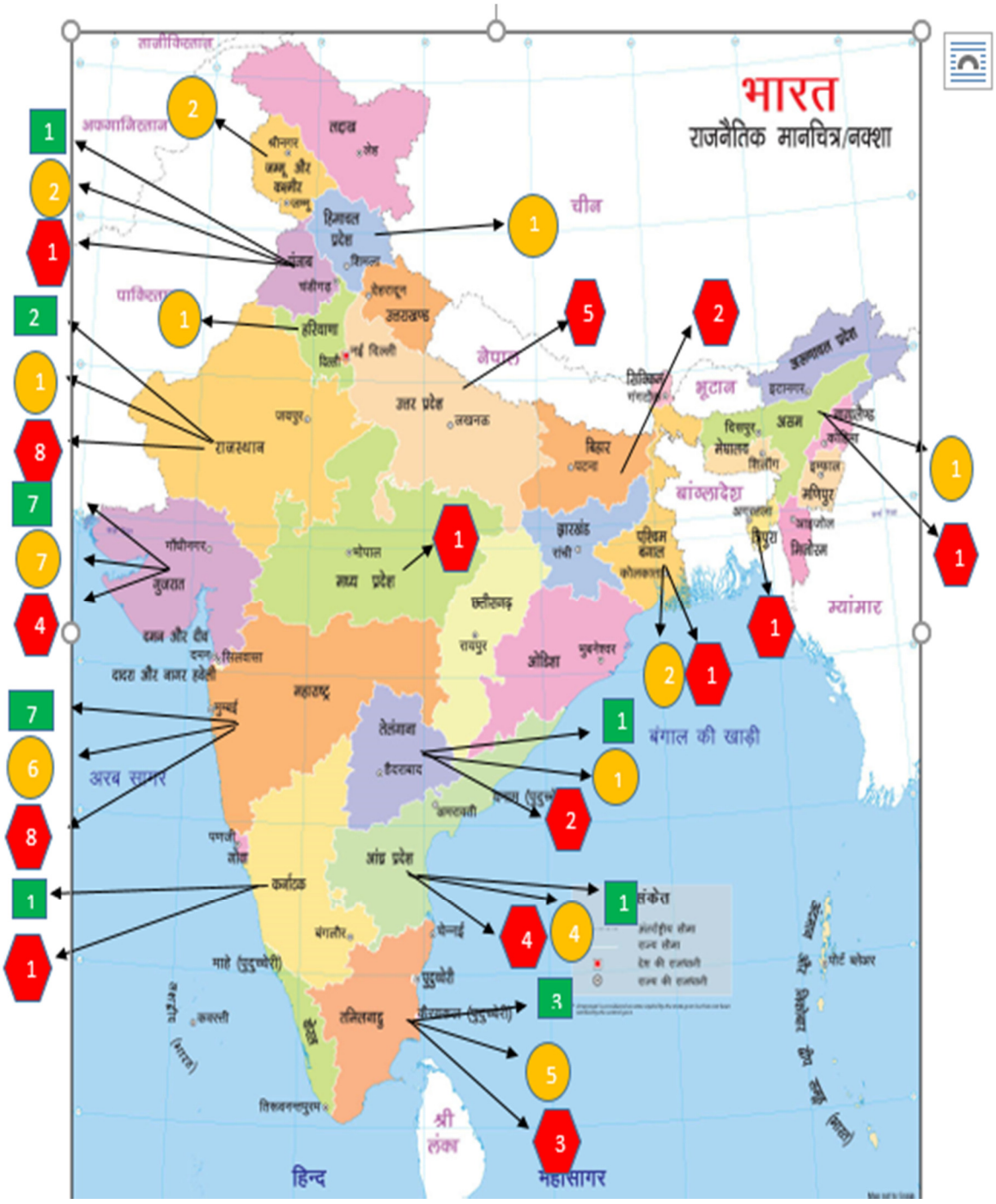

	=	पूर्ण हो चुके पार्कों की संख्या
	=	निर्माणाधीन पार्कों की संख्या
	=	निरस्त पार्कों की संख्या

विभिन्न योजना अवधियों के दौरान स्वीकृत कुल पार्कों में से पूर्ण हो चुके पार्कों, निर्माणाधीन पार्कों और निरस्त पार्कों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

तालिका 3: 98 स्वीकृत पार्कों की योजनवार स्थिति

योजना (अवधि)	स्वीकृत पार्कों की कुल संख्या	निरस्त पार्कों की संख्या	पूर्ण हो चुके पार्कों की संख्या	निर्माणाधीन पार्कों की संख्या	जीओआई द्वारा जारी अनुदान (₹ करोड़ में)
10वीं योजना (2005-07)	33	12	16	5	727.99
11वीं योजना (2007-12)	38	18	10	10	629.28
12वीं योजना (2012-17)	27	12	शून्य	15	235.25
12वीं योजना के बाद (2017-21)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	98	42	26	30	1592.52

स्रोत: वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी

इस प्रकार, 98 स्वीकृत पार्कों में से 42 को निरस्त कर दिया गया और शेष 56 पार्कों में से केवल 26 पार्कों को फरवरी 2022 तक पूरा किया गया।

अध्याय-II

अधिदेश, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार किया गया है। लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा और लेखा पर विनियमों (संशोधन), 2020 के अनुरूप की गई है।

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

एकीकृत वस्त्र पार्कों के लिए योजना की लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गई थी कि क्या:

क) परियोजना की योजना, योजना के दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों के अनुरूप बनाई और कार्यान्वित की गई थी और इसकी निगरानी प्रभावी तरीके से की गई थी।

ख) इच्छित उद्देश्य जैसे कि रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करना और वस्त्र इकाइयों की स्थापना आदि समय पर प्राप्त किए गए।

2.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

अप्रैल 2016 से मार्च 2021 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षा जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक की गई। लेखापरीक्षा के दौरान, योजना से संबंधित अभिलेख जैसे कि पार्कों का अनुमोदन, निधियों की स्वीकृति, पार्कों में प्रगति की निगरानी आदि की जांच वस्त्र मंत्रालय में की गई। लेखापरीक्षा ने विशेष प्रयोजन तंत्रों के अधिकारियों के साथ नमूनाकृत पार्कों का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया।

लेखापरीक्षा अवलोकनों को 18 फरवरी 2022 को मंत्रालय को सूचित किया गया था, जिस पर मंत्रालय के उत्तर 23 जून 2022 को प्राप्त हुए। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए 11 जुलाई 2022 को मंत्रालय के साथ एक समापन बैठक आयोजित की गई। मंत्रालय के उत्तरों और समापन बैठक के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विधिवत विचार किया गया और 20 जुलाई 2022 को मंत्रालय को एक मसौदा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया। मसौदा प्रतिवेदन पर मंत्रालय के उत्तर अगस्त 2022 में प्राप्त हुए जिन पर

विधिवत विचार किया गया है और इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय उचित रूप से शामिल किया गया है।

2.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थे:

- वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी योजना के दिशा-निर्देश
- आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति के स्वीकृत नोट्स/विजन दस्तावेज
- योजना के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा समयसमय पर जारी किए जाने वाले - परिपत्र
- मंत्रालय में विद्यमान योजना तैयार करने, विशेष प्रयोजन तंत्रों आदि को सब्सिड़ी जारी करने से संबंधित दस्तावेज/अभिलेख
- परियोजना जांच समिति और परियोजना अनुमोदन समिति की विभिन्न बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त
- मंत्रालय में अनुरक्षित योजना की निगरानी से संबंधित दस्तावेज/ लेखअभि

2.4 लेखापरीक्षा नमूना

98 स्वीकृत पार्कों में से, 24 पार्कों (24 *प्रतिशत*) का एक नमूना स्तरीकृत रैंडम सैंपलिंग पद्धति के माध्यम से चुना गया था, जिसमें पूर्ण हो चुके पार्क, निर्माणाधीन पार्क और निरस्त किए गए पार्क शामिल थे और प्रत्येक राज्य जिसमें पार्कों को स्वीकृति दी गई थी, से भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। नमूना चयन संक्षेप में निम्नानुसार है:

तालिका 4: स्वीकृत पार्कों की कुल संख्या तथा लेखापरीक्षा के लिए चयनित पार्क

श्रेणी	स्वीकृत पार्कों की कुल संख्या	सभी स्वीकृत पार्कों के लिए जीओआई द्वारा जारी किये गए अनुदान (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा के लिए चयनित पार्कों की संख्या	लेखापरीक्षा हेतु चयनित पार्कों के लिए जीओआई द्वारा जारी किये गए अनुदान (₹ करोड़ में)
पूर्ण हो चुके पार्क	26	904.49	10	332.83
निर्माणाधीन पार्क	30	565.45	8	189.83
निरस्त पार्क	42	122.58	6	28.14
कुल	**98**	**1592.52**	**24**	**550.80**

जीओआई द्वारा जारी अनुदानों के संदर्भ में, लेखापरीक्षा के लिए चयनित पार्क कुल जनसंख्या के 35 *प्रतिशत* का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेखापरीक्षा के लिए चयनित 24 पार्कों में से 14 पार्कों[8] का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी संबंधित विशेष प्रयोजन तंत्रों के अधिकारियों जैसे कि प्रबंध निदेशक, निदेशक आदि के साथ किया गया।

लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 24 पार्कों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है और प्रत्येक पार्क से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकनों पर **अनुलग्नक-IV** में चर्चा की गई है:

तालिका 5: लेखापरीक्षा के लिए चयनित पार्कों का विवरण

क्रम सं.	पार्क का नाम (विशेष प्रयोजन तंत्र)	राज्य	स्वीकृति की तिथि	जीओआई द्वारा जारी अनुदान (₹ करोड़ में)	क्या लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया
पूर्ण हो चुके पार्क					
1.	ब्रैंडिक्स इंडिया परिधान सिटी प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	01.07.2006	40.00	नहीं
2.	सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड, सूरत	गुजरात	01.07.2006	40.00	हाँ
3.	डोडबल्लापुर एकीकृत वस्त्र पार्क, डोडबल्लापुर	कर्नाटक	01.07.2006	32.01	हाँ
4.	लोटस एकीकृत वस्त्र पार्क, बरनाला	पंजाब	05.03.2007	40.00	हाँ
5.	मदुरै एकीकृत वस्त्र पार्क लिमिटेड, मदुरै	तमिलनाडु	05.03.2007	31.43	हाँ
6.	पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क लिमिटेड, हैदराबाद	तेलंगाना	01.07.2006	13.60	हाँ
7.	जे एंड के एकीकृत वस्त्र पार्क, कठुआ	जम्मू एवं कश्मीर	16.09.2011	35.73	हाँ

[8] ***10 पार्कों में संयुक्त भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था जिसमें छः निरस्त किए गए पार्क शामिल थे जिनमें इन पार्कों से अनुदान वसूल किया जाना था, तथा इस प्रकार इन पार्कों में प्रगति देखने की कोई गुंजाइश नहीं थी; दो पार्कों (अर्थात् इच्छापुर वस्त्र पार्क, गुजरात और कश्मीर वूल और सिल्क वस्त्र पार्क, जम्मू और कश्मीर), के लिए अनुदान जारी नहीं किया गया था, एक पार्क (अर्थात् हिमाचल वस्त्र पार्क लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश) में सतर्कता मामले के कारण फाइल मंत्रालय से प्राप्त नहीं हुई थी और एक पूर्ण पार्क (अर्थात् ब्रैंडिक्स इंडिया परिधान सिटी प्राइवेट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश) में कोविड-19 की तीसरी लहर के कारण दौरा नहीं किया जा सका।***

क्रम सं.	पार्क का नाम (विशेष प्रयोजन तंत्र)	राज्य	स्वीकृति की तिथि	जीओआई द्वारा जारी अनुदान (₹ करोड़ में)	क्या लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया
8.	लातूर एकीकृत वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड, लातूर	महाराष्ट्र	16.05.2008	40.00	हाँ
9.	लुधियाना एकीकृत वस्त्र पार्क लिमिटेड, लुधियाना	पंजाब	18.12.2008	36.00	हाँ
10.	जयपुर एकीकृत टेक्सक्राफ्ट पार्क प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर	राजस्थान	16.05.2008	24.06	हाँ
	निर्माणाधीन पार्क				
11.	किशनगढ़ हाई-टेक वस्त्र बुनाई पार्क लिमिटेड, किशनगढ़	राजस्थान	01.07.2006	36.00	हाँ
12.	एसआईएमए वस्त्र संसाधन केंद्र, कुड्डालोर	तमिलनाडु	25.11.2005	24.00	हाँ
13.	ईआईजीएमईएफ परिधान पार्क लिमिटेड, सैयद अमीर अली एवेन्यू, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	01.07.2006	31.61	हाँ
14.	एमएएस फैब्रिक पार्क (इंडिया) लिमिटेड, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	20.03.2008	24.00	हाँ
15.	हिमाचल वस्त्र पार्क लिमिटेड, ऊना	हिमाचल प्रदेश	16.09.2011	34.88	नहीं
16.	अमितारा ग्रीन हाई टेक वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड, खेड़ा	गुजरात	20.09.2014	35.34	हाँ
17.	इच्छापुर वस्त्र पार्क, सूरत	गुजरात	06.08.2015	4.00	नहीं
18.	कश्मीर वूल एंड सिल्क वस्त्र पार्क, घाट्टी	जम्मू एवं कश्मीर	20.09.2014	शून्य[9]	नहीं
	निरस्त पार्क				
19.	श्री धैर्यशील माने वस्त्र पार्क को-ऑप सोसाइटी लिमिटेड, इचलकरंजी	महाराष्ट्र	01.07.2006	8.67	नहीं
20.	वाडा वस्त्र पार्क, ठाणे	महाराष्ट्र	03.02.2006	4.00	नहीं
21.	सीएलसी वस्त्र पार्क प्रा. लि., पंधुरना, छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	दिसंबर 2008	11.47	नहीं

[9] ***कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था क्योंकि पार्क के लिए भूमि आबंटन राज्य सरकार के पास लंबित था, जोकि अनुदान की पहली किस्त के जारी करने से पूर्व की आवश्यक शर्तों में से एक था।***

क्रम सं.	पार्क का नाम (विशेष प्रयोजन तंत्र)	राज्य	स्वीकृति की तिथि	जीओआई द्वारा जारी अनुदान (₹ करोड़ में)	क्या लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया
22.	सुंदरराव सोलंकी को-ऑप वस्त्र पार्क, माजलगाँव	महाराष्ट्र	08.11.2011	4.00	नहीं
23.	राजस्थान एकीकृत परिधान सिटी, भिवाड़ी	राजस्थान	अक्तूबर 2011	शून्य	नहीं
24.	जेवीएल वस्त्र पार्क प्रा. लिमिटेड, रोहतास	बिहार	20.09.2014	शून्य	नहीं
			कुल	**550.80**	

2.5 पावती

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान वस्त्र मंत्रालय और चयनित पार्कों से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करती है।

अध्याय-III

परियोजना की योजना और कार्यान्वयन

वस्त्र मंत्रालय ने नवंबर 2005 से जून 2016 की अवधि के दौरान योजना के तहत कुल 98 एकीकृत वस्त्र पार्कों को मंजूरी दी। अभिलेखों की संवीक्षा से सामने आए लेखापरीक्षा निष्कर्षों में परियोजना की योजना बनाने और कार्यान्वयन में कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

3.1 योजना के तहत स्वीकृत एकीकृत वस्त्र पार्कों का निष्पादन

10$^{वीं}$ योजना अवधि (2005-07) के लिए योजना दिशानिर्देशों में भारत सरकार के ₹ 625 करोड़ के अनुदान से 25 पार्कों के विकास के माध्यम से मार्च 2007 तक पांच लाख नौकरियों के सृजन की परिकल्पना की गई थी। इस प्रकार, प्रत्येक पार्क को 20,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा करना था। योजना के दिशा-निर्देशों ने आगे निर्धारित किया कि प्रत्येक पार्क में सामान्य रूप से ₹ 750 करोड़ के कुल निवेश के साथ कम से कम 50 इकाइयाँ होंगी। 11$^{वीं}$ और 12$^{वीं}$ योजना अवधि के लिए योजना दिशानिर्देशों में किसी मात्रात्मक लक्ष्य की परिकल्पना नहीं की गई थी। हालांकि, प्रत्येक पार्क के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में रोजगार सृजन, निवेश और वस्त्र इकाइयों की स्थापना के बारे में अनुमानों का संकेत दिया गया था।

इसलिए, 10$^{वीं}$, 11$^{वीं}$ और 12$^{वीं}$ योजना अवधि के दौरान स्वीकृत 56 पूर्ण/निर्माणाधीन पार्कों के संबंध में मंत्रालय से प्राप्त आकड़ों (फरवरी 2022) को उनके वास्तविक रोजगार सृजन, निवेश और वस्त्र इकाइयों की स्थापना के संबंध में उनकी संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में किए गए प्रस्तावों की तुलना में विश्लेषण किया गया। इस संबंध में वास्तविक उपलब्धि नीचे चार्ट 2 और तालिका 6 में दर्शाई गई है-

चार्ट 2 - पार्कों द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति

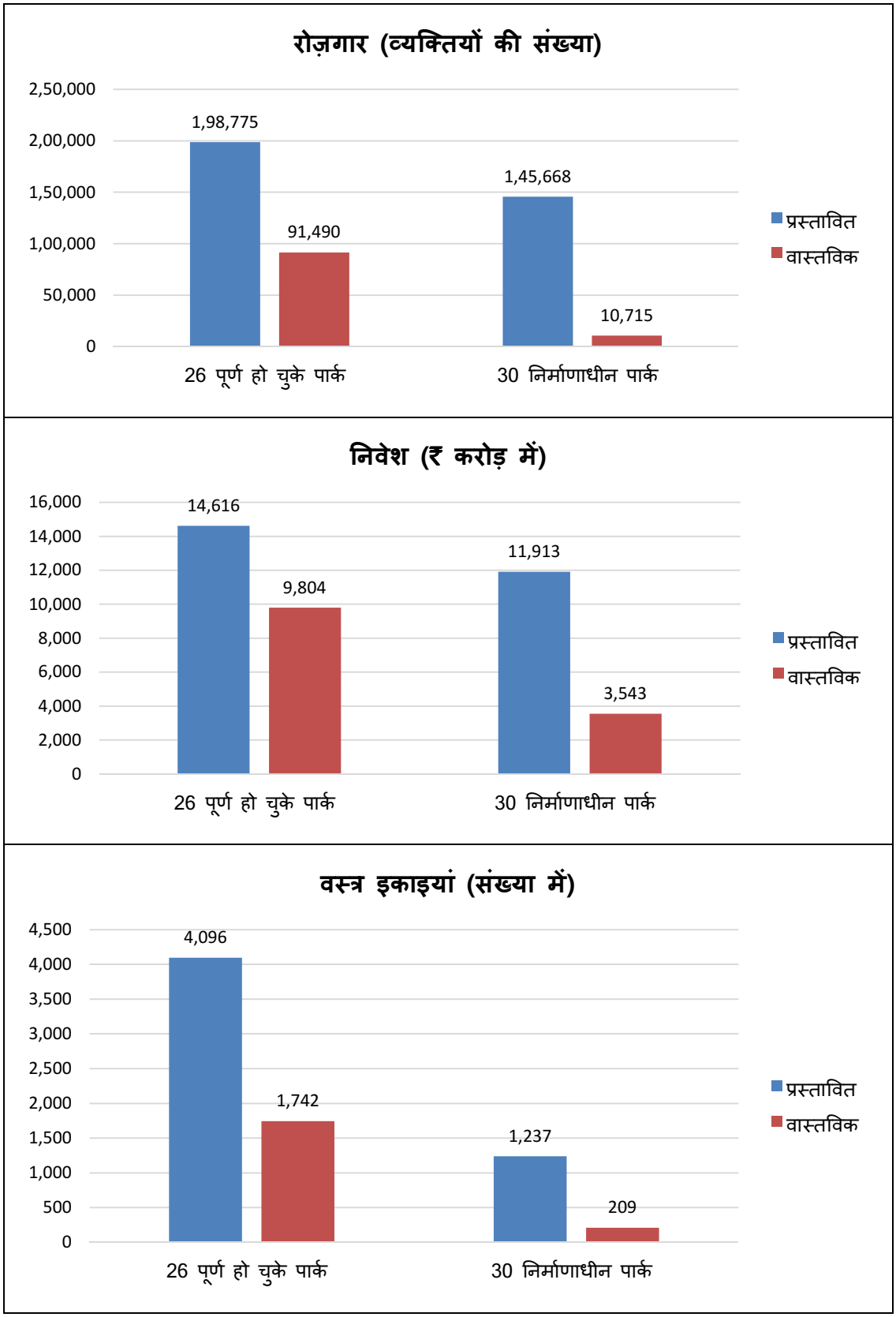

तालिका 6 - पार्कों द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति की स्थिति

पार्कों की श्रेणी	पार्कों की संख्या	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान (₹ करोड़)	रोजगार (व्यक्तियों में)		निवेश (₹ करोड़ में)		वस्त्र इकाईयां (संख्या में)	
			प्रस्तावित[10]	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक
पूर्ण	26	904.49	1,98,775	91,490	14,616	9,804	4,096	1,742
			46%		**67%**		**43%**	
निर्माणाधीन	30	565.45	1,45,668	10,715	11,913	3,543	1,237	209
			7%		**30%**		**17%**	
कुल	**56**	**1,469.94**	**3,44,443**	**1,02,205**	**26,529**	**13347**	**5,333**	**1,951**
समग्र प्राप्ति			**30%**		**50%**		**37%**	

स्त्रोतः मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि योजना के सभी तीन चिन्हित लक्ष्यों की प्राप्ति में भारी कमी थी। योजना की शुरूआत से 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी और 26 पूर्ण पार्कों के लिए भारत सरकार द्वारा ₹ 904.49 करोड़ के अनुदान जारी करने के बावजूद वास्तविक प्राप्ति रोजगार सृजन में केवल 46 *प्रतिशत*, निवेश में 67 *प्रतिशत* और वस्त्र इकाइयों की स्थापना में 43 *प्रतिशत* रही जो योजना के प्रस्तावित लक्ष्यों से काफी कम थी।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 56 पूर्ण/निर्माणाधीन पार्कों की समग्र प्राप्ति रोजगार सृजन में केवल 30 *प्रतिशत*, निवेश में 50 *प्रतिशत* और वस्त्र इकाइयों की स्थापना के मामले में 37 *प्रतिशत* थी।

यह मुख्य रूप से निर्माणाधीन पार्कों के पूर्ण न होने और पूर्ण पार्कों में प्रस्तावित इकाइयों के गैर-संचालन के कारण था।

यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि वास्तविक उपलब्धि की गणना मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर की गई है, जो पार्कों के भौतिक दौरे के दौरान गलत पाई गई

[10] ***10[वीं] योजना अवधि के बाद स्वीकृत पार्कों के लिए मात्रात्मक लक्ष्यों के अभाव में, 56 पूर्ण/निर्माणाधीन पार्कों के संबंध में 3.44 लाख व्यक्तियों का प्रस्तावित रोजगार, जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में दिए गए लक्ष्यों के अनुसार लिया गया है।***

क्योंकि कुछ पार्कों को क्रियाशील घोषित किया गया था, जो बंद पाए गए। इसलिए, वास्तविक प्राप्ति सभी पहलुओं में और भी कम होना तय है।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि निर्माणाधीन पार्कों के पूरा होने पर रोजगार बढ़ाया जाएगा। कई अप्रत्याशित कारकों जैसे कि दुनिया भर में बाजार परिदृश्य/ मंदी, उत्पादन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का अत्याधिक समावेश और हाल ही में कोविड-19 महामारी ने वस्त्र पार्कों में रोजगार सृजन के लक्ष्य को प्रभावित किया है। इस प्रकार, रोजगार का सृजन संतोषजनक है। मंत्रालय ने पार्कों में निवेश और वस्त्र इकाइयों की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त न करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मंत्रालय ने आगे कहा (अगस्त 2022) कि वह पूर्ण पार्कों का आकलन करेगा।

यह उत्तर लक्ष्यों और वास्तविक प्राप्ति के बीच के बड़े अंतर को उचित रूप से सिद्ध नहीं कर पाता है। इस प्रकार पार्क रोजगार, निवेश और वस्त्र ईकाइयों की स्थापना के लिए परिकल्पित लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने में विफल रहे।

अनुशंसा संख्या 1

मंत्रालय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त न करने के कारणों की पहचान करे और रोजगार सृजन, निवेश में वृद्धि तथा वस्त्र इकाइयों की स्थापना के लक्षित स्तरों को प्राप्त करने के लिए यथाशीघ्र निर्माणाधीन पार्कों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। मंत्रालय पूर्ण हो चुके पार्कों की समीक्षा भी करे ताकि शेष इकाइयों की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाया जा सके एवं रोजगार सृजन और निवेश बढ़ाया जा सके।

लेखापरीक्षा ने योजना के तहत स्थापित पार्कों के निम्न निष्पादन के कारणों के विश्लेषण का प्रयास किया। इस संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों और योजना के कार्यान्वयन के दौरान देखे गए अन्य मुद्दों/कमियों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

3.2 निराशाजनक समापन दर और बड़ी संख्या में पार्कों का निरस्तीकरण

मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई (फरवरी 2022 तक) जानकारी के अनुसार योजना के तहत स्वीकृत 98 पार्कों में से केवल 26 पार्क पूरे किए गए थे, 30 पार्क निर्माणाधीन थे व 42 पार्कों को निरस्त कर दिया गया था। विवरण नीचे दिया गया है:

आकृति 3: 98 स्वीकृत पार्कों का विवरण

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि फरवरी 2022 तक, परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत 98 पार्कों में से -

- 42 पार्कों यानी कुल स्वीकृत पार्कों में से 43 *प्रतिशत* को निरस्त कर दिया गया था। मात्र 26 पार्क पूरे किए गए। शेष 30 स्वीकृत पार्कों को पूरा किया जाना बाकी था।
- यद्यपि योजना के तहत स्वीकृत पार्कों को तीन योजना अवधियों के दौरान उनकी स्वीकृति के 18 से 36 महीनों के बीच पूरा किया जाना था, परन्तु पार्कों को पूरा करने में अत्यधिक विलंब हुआ।
- विलंब इस तथ्य से स्पष्ट है कि 5 अपूर्ण पार्कों को 15 वर्ष से भी अधिक पहले (नवंबर 2005 से जुलाई 2006) स्वीकृत किया गया था तथा 10 अपूर्ण पार्कों को 10 वर्ष से भी अधिक पहले (मार्च 2008 से सितंबर 2011) स्वीकृत किया गया था।
- 12वीं योजना अवधि (दिसंबर 2012 से जून 2016) के दौरान स्वीकृत कोई भी पार्क अब तक पूरा नहीं हुआ है।

बड़ी संख्या में पार्कों को निरस्त करने और पार्कों को पूरा करने में अत्यधिक विलंब ने योजना के उद्देश्य को विफल कर दिया।

3.3 पार्कों को पूरा करने में अत्यधिक विलंब

10वीं योजना अवधि (2005-07) के दौरान, लगभग 18 महीनों में 25 पार्कों को पूरा करने की परिकल्पना की गई थी। 11वीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत पार्कों को पूरा करने का निर्धारित समय भारत सरकार द्वारा अनुदान के प्रथम बार जारी होने से 24 महीने रखा गया था। इसके अतिरिक्त, 12वीं योजना अवधि के दौरान, पार्कों के पूर्ण होने का समय तीन वर्ष अनुमानित किया गया था। लेखापरीक्षा के लिए चयनित 18 पूर्ण/निर्माणाधीन पार्कों में से 17 पार्कों[11] (10 पूर्ण पार्क और 7 निर्माणाधीन पार्क) के संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराए गए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी 10 पूर्ण पार्कों और 5 निर्माणाधीन पार्कों में उनकी पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से 1 वर्ष से 10 वर्षों से अधिक का विलंब था जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका 7 - लेखापरीक्षा के लिए चयनित पूर्ण/ निर्माणाधीन पार्कों में विलंब

विवरण	पूर्ण पार्क	निर्माणाधीन पार्क
निर्धारित समय के दौरान	0	0
एक वर्ष से कम	0	0
1 से 3 वर्ष[12]	3	0
3 से 5 वर्ष[13]	4	1
5 से 10 वर्ष[14]	2	0
10 वर्ष से अधिक[15]	1	4
कुल	**10**	**5**

[11] एक चल रहे सतर्कता मामले के कारण लेखापरीक्षा को हिमाचल वस्त्र पार्क लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश के रिकॉर्ड प्रदान नहीं किए गए।

[12] तीन पूर्ण पार्कों अर्थात् ब्रैंडिक्स इंडिया परिधान सिटी प्राइवेट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश; लातूर अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र; और पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क लिमिटेड, तेलंगाना में एक से तीन वर्ष का विलंब देखा गया था।

[13] चार पूर्ण पार्कों अर्थात् सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड, गुजरात; डोडबल्लापुर एकीकृत वस्त्र पार्क, कर्नाटक; लोटस एकीकृत टेक्स पार्क, पंजाब; और जयपुर एकीकृत टैक्सक्राफ्ट पार्क प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान तथा एक निर्माणाधीन पार्क अर्थात् अमितारा ग्रीन हाई-टेक वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात में तीन से पांच वर्षों का विलंब देखा गया था।

[14] दो पूर्ण पार्कों अर्थात् मदुरै एकीकृत वस्त्र पार्क लिमिटेड, तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर एकीकृत वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर में पाँच से दस वर्षों का विलंब देखा गया।

[15] एक पूर्ण पार्क अर्थात् लुधियाना एकीकृत वस्त्र पार्क लिमिटेड, पंजाब तथा चार निर्माणाधीन पार्कों अर्थात् एमएएस फैब्रिक पार्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश; किशनगढ़ हाई-टेक वस्त्र पार्क लिमिटेड, राजस्थान; एसआईएमए वस्त्र प्रसंस्करण केन्द्र, तमिलनाडु और ईआईजीएमईएफ परिधान पार्क लिमिटेड पश्चिम बंगाल में 10 वर्ष से अधिक का विलंब देखा गया।

शेष दो निर्माणाधीन पार्कों के संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि -

(i) एक पार्क (अर्थात् कश्मीर वूल एंड सिल्क वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड) को सितंबर 2014 में स्वीकृत किया गया था लेकिन भारत सरकार द्वारा विशेष प्रयोजन तंत्र को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था क्योंकि पार्क के लिए भूमि आबंटन राज्य सरकार के पास लंबित था। इस प्रकार, स्वीकृति की तिथि से सात वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी पार्क की स्थापना में कोई प्रगति नहीं हुई।

(ii) एक पार्क (अर्थात् इच्छापुर वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड) को अगस्त 2015 में स्वीकृत किया गया था। हांलाकि, भूमि आबंटन में विलंब के कारण भारत सरकार ने अनुदान की प्रथम किस्त जून 2021 में ही जारी की थी, इस शर्त के साथ कि अनुदान की प्रथम किस्त की मंजूरी की तिथि से 36 माह की अवधि में यानी जून 2024 तक पार्क को पूरा किया जाएगा। इस प्रकार, यद्यपि पार्क के पूरा होने में कोई देरी नहीं हुई, लेकिन भूमि के आबंटन में देरी के कारण अनुदान जारी करने में लगभग छः वर्ष लग गए।

पार्कों को पूर्ण करने में विलंब का प्रमुख कारण सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में देरी, पार्कों के लिए भूमि आबंटन से संबंधित मुद्दे और विशेष प्रयोजन तन्त्रों की कमजोर वित्तीय स्थिति थी। कुछ मामलों में, पार्कों को स्वीकृत करते समय उपयुक्त भूमि की पहचान, सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने आदि के संबंध में संबंधित राज्य सरकार की अनुशंसाओं की मांग नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप इन पार्कों को पूरा करने में अत्यधिक विलंब हुआ।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि परियोजना कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब विभिन्न कारणों से था जैसे बाजार परिदृश्य के कारण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में विन्यास परिवर्तन, इक्विटी मुद्दे, विशेष आर्थिक क्षेत्र से भूमि की अधिसूचना निरस्त होना, बिजली के मुद्दे, पार्क में निवेशकों को लाने से संबंधित मुद्दे और कार्यान्वयन में जमीनी स्तर के मुद्दे, इन पर परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा चर्चा की गई और पार्कों की योग्यता के आधार पर समय विस्तार दिए गए।

अनुशंसा संख्या 2

मंत्रालय इस योजना या भविष्य में किसी अन्य योजना के तहत स्वीकृत पार्कों के लिए अनुदान की स्वीकृति/जारी करने के लिए वस्त्र पार्कों की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि और सांविधिक मंजूरी की उपलब्धता को पूर्व शर्त बनाने पर विचार करे।

3.4 पार्कों में एकीकृत वैल्यू चेन का अभाव

योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक समूहों को बढ़ावा देना और एकीकृत वस्त्र पार्कों का विकास करना था, जिसके लिए आदर्श रूप से निम्नलिखित चार्ट में दर्शाए गए वस्त्र वैल्यू चेन के अधिकतम घटकों को एकीकृत किया जाना चाहिए।

चार्ट - 3 वस्त्र वैल्यू चेन - प्रक्रिया / इनपुट और आउटपुट

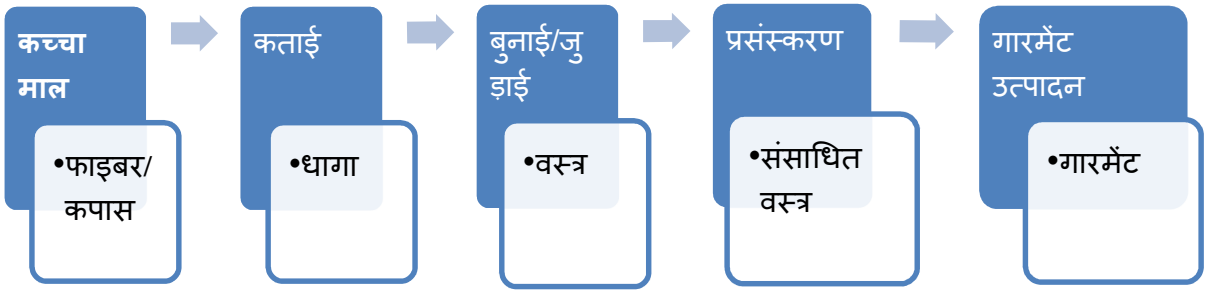

लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2018 से पूर्व, योजना दिशानिर्देशों[16] में वस्त्र वैल्यू चेन के न्यूनतम खंड निर्दिष्ट नहीं थे, जो एक पार्क में उपलब्ध होने चाहिए। लेखापरीक्षा के लिए चयनित 24 पार्कों में से 10 और 8 पार्क क्रमशः पूर्ण और निर्माणाधीन/ अधूरे बताए गए थे। इन 18 पार्कों में से, 17 पार्कों से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे। इन 17 पार्कों के संबंध में अभिलेखों की जांच से पता चला कि:

(i) केवल तीन पार्कों[17] में वैल्यू चेन के सभी चार चरणों अर्थात् कताई, बुनाई/जुड़ाई, प्रसंस्करण और गारमेंट को स्थापित करने के लिए योजना बनाई गई थी।

---

[16] *01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 की अवधि के लिए योजना दिशानिर्देश मंत्रालय द्वारा मार्च 2018 में जारी किए गए थे जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि एकीकृत पार्क प्रस्तावों में वस्त्र मूल्य श्रृंखला के कम से कम तीन खंड शामिल होने चाहिए। हालांकि, इस अवधि के दौरान कोई पार्क स्वीकृत नहीं किया गया था।*

[17] *ब्रैंडिक्स इंडिया परिधान सिटी लिमिटेड, आंध्र प्रदेश; अमितारा ग्रीन हाई-टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात और जम्मू एवं कश्मीर एकीकृत वस्त्र पार्क लिमिटेड, जम्मू एवं कश्मीर।*

(ii) तीन पार्कों[18] में वैल्यू चेन के तीन चरणों को स्थापित करने के लिए योजना बनाई गई थी।

(iii) पांच पार्कों[19] में वैल्यू चेन के दो चरणों को स्थापित करने के लिए योजना बनाई गई थी, तथा

(iv) शेष छः पार्कों[20] में वैल्यू चेन का केवल एक चरण स्थापित करने की योजना बनाई गई थी।

इस प्रकार, 17 चयनित पार्कों में से केवल तीन में पूरी तरह से एकीकृत वस्त्र वैल्यू चेन उपलब्ध थी।

यह भी देखा गया कि मंत्रालय ने मैसर्स वजीर एडवाइजर्स द्वारा योजना की समीक्षा करवाई थी (दिसंबर 2016) जिसमें उन्होंने इंगित किया कि बहुत कम पार्क पूरी तरह से एकीकृत थे (फाइबर से तैयार माल तक) जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे अधिकांश पार्कों को संपूर्ण वैल्यू चेन और सहायक सेवाओं को विकसित करने के लिए सहायता दी गई है।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि वैल्यू चेन के चरणों और उसके बाद के परिवर्तनों को विशेष प्रयोजन तन्त्रों के अनुरोधों पर विचार करने के बाद परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। योजना के तहत अधिकांश पार्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित पार्कों के रूप में बड़े पैमाने पर नहीं थे, जिनमें हजारों एकड़ जमीन थी और इसलिए उनके साथ तुलना करना उचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, भारत में पार्क विकास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में समर्थित है, जबकि विश्व स्तर पर, पीपीपी मोड के अलावा, सरकार स्वयं सामान्य बुनियादी ढ़ांचे का विकास करती है और उसके बाद उद्योग को उनमें निवेश करने के लिए आमंत्रित करती है।

---

[18] एमएएस फैब्रिक पार्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश, लोटस एकीकृत टेक्स पार्क लिमिटेड, पंजाब तथा कश्मीर वूल तथा सिल्क वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर।

[19] लुधियाना एकीकृत वस्त्र पार्क लिमिटेड, पंजाब; किशनगढ़ हाई-टेक वस्त्र पार्क लिमिटेड, राजस्थान; जयपुर एकीकृत टेक्सक्राफ्ट पार्क प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान; पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क लिमिटेड, तेलंगाना और मदुरै एकीकृत वस्त्र पार्क लिमिटेड, तमिलनाडु।

[20] सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड, गुजरात (बुनाई); डोडबल्लापुर एकीकृत वस्त्र पार्क लिमिटेड, कर्नाटक (बुनाई); लातूर एकीकृत वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र (वस्त्र निर्माण); एसआईएमए वस्त्र प्रसंस्करण केन्द्र, तमिलनाडु (प्रसंस्करण), ईआईजीएमईएफ परिधान पार्क लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (वस्त्र निर्माण) तथा इच्छापुर वस्त्र पार्क, गुजरात (बुनाई)।

मंत्रालय ने आगे कहा (अगस्त 2022) कि प्रस्तावित पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान योजना (पीएम मित्रा) के तहत स्थापित किए जाने वाले मेगा पार्कों से पूरी वैल्यू चेन को एक साथ रखने से लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी जिससे प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा, निवेश आकर्षित होगा, रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति में मजबूती आएगी।

अनुशंसा संख्या 3

वस्त्र पार्कों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने और उत्पादन लागत को कम करने के लिए, मंत्रालय इस योजना या भविष्य में किसी अन्य योजना के तहत स्वीकृत पार्कों में वस्त्र वैल्यू चेन के अधिकतम घटकों को शामिल करना सुनिश्चित करे।

3.5 पूर्व में स्वीकृत पार्कों की पूर्णता को सुनिश्चित किए बिना नए पार्कों की स्वीकृति

10वीं योजना अवधि के लिए योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, 11वीं योजना में योजना का जारी रहना मार्च 2007 तक 25 परियोजनाओं के सफल समापन पर निर्भर था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मंत्रालय ने 10वीं योजना अवधि के दौरान 33 पार्कों को मंजूरी दी थी, जबकि आरंभ में 25 प्रस्तावित थे। यद्यपि इनमें से कोई भी पार्क लगभग 18 महीनों की निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुआ था, 11वीं तथा 12वीं योजना अवधि के दौरान 65 नए पार्क स्वीकृत किए गए थे। 10वीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत पार्कों और 11वीं और 12वीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत 65 पार्कों की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

तालिका 8: 10वीं योजना अवधि के दौरान और 11वीं तथा 12वीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत पार्कों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	10वीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत पार्कों की संख्या	11वीं और 12वीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत पार्कों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3	6
2.	असम	-	2
3.	बिहार	-	2
4.	गुजरात	7	11
5.	हरियाणा	-	1

क्र.सं.	राज्य का नाम	10वीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत पार्कों की संख्या	11वीं और 12वीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत पार्कों की संख्या
6.	हिमाचल प्रदेश	-	1
7.	जम्मू और कश्मीर	-	2
8.	कर्नाटक	1	1
9.	मध्य प्रदेश	-	1
10.	महाराष्ट्र	6	15
11.	पंजाब	1	3
12.	राजस्थान	4	7
13.	तमिलनाडु	7	4
14.	त्रिपुरा	-	1
15.	तेलंगाना	2	2
16.	उत्तर प्रदेश	1	4
17.	पश्चिम बंगाल	1	2
	कुल	**33**	**65**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 10वीं योजना अवधि के दौरान 10 राज्यों में 33 पार्क स्वीकृत किए गए थे। हालांकि, मार्च 2007 तक इन 33 पार्कों के सफल समापन को सुनिश्चित किए बिना, जैसा कि योजना के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित था, मंत्रालय ने 11वीं और 12वीं योजना अवधि के दौरान 17 राज्यों में 65 और पार्कों को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की। इनमें उन्हीं 10 राज्यों में स्वीकृत 55 पार्क शामिल हैं, जहां 10वीं योजना अवधि के दौरान भी पार्क स्वीकृत किए गए थे।

चूंकि योजना अंतर्राष्ट्रीय मानकों के एकीकृत वस्त्र पार्कों की स्थापना के लिए तैयार की गई थी, 10वीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत पार्कों के परिणामों का मूल्यांकन अतिरिक्त पार्कों की मंजूरी के लिए आगे बढ़ने से पूर्व अवश्य किया जाना चाहिए था।

मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि 10वीं योजना अवधि (2005-07) के दौरान स्वीकृत 33 पार्कों में से, 12 पार्कों को निरस्त कर दिया गया, 16 पार्कों को पूरा कर लिया गया और 5 पार्क कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में थे। इस प्रकार, 76 *प्रतिशत* पार्क पूर्ण हो चुके थे और 24 *प्रतिशत* पार्क पूरा होने के विभिन्न चरणों में थे। इसलिए, सफलता दर को देखते हुए, योजना को 11वीं योजना अवधि (2007-12) और 12वीं योजना अवधि

(2012-17) में जारी रखा गया था। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि चूंकि योजना अच्छी तरह से प्रगति कर रही थी और मांग पर आधारित थी, इसलिए परियोजनाओं की व्यवहार्यता और समूहीकरण को बढ़ावा देने को ध्यान में रखते हुए अधिक पार्क स्वीकृत किए गए थे।

उपरोक्त उत्तर भ्रामक है क्योंकि 11$^{वीं}$ योजना अवधि और 12$^{वीं}$ योजना अवधि में अतिरिक्त 38 पार्कों और 27 पार्कों को स्वीकृत किए जाने तक 10$^{वीं}$ योजना अवधि में स्वीकृत 33 पार्कों में से कोई भी पार्क पूरा नहीं किया गया था। वास्तव में, 10$^{वीं}$ योजना अवधि के दौरान स्वीकृत प्रथम पार्क वर्ष 2008-09 में ही पूरा किया जा सका था, जबकि योजना 11$^{वीं}$ योजना अवधि में 2007-08 में पहले से ही जारी रखी गई थी। इसलिए, मंत्रालय का उत्तर कि नए पार्कों को पहले स्वीकृत पार्कों की सफलता के कारण स्वीकृत किया गया था, मान्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त, रोजगार सृजन, निवेश और कार्यशील इकाइयों से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति में बड़े अंतर से भारी कमी रही। साथ ही, स्वीकृत पार्कों में से 43 *प्रतिशत* बाद में बिना कोई प्रगति किए निरस्त कर दिए गए।

3.6 योजना दिशानिर्देशों के अंतर्गत परिकल्पित आकार से छोटे पार्कों की स्वीकृति

10$^{वीं}$ योजना अवधि के लिए योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक एकीकृत वस्त्र पार्क में ₹ 750 करोड़ के कुल निवेश के साथ सामान्य रूप से कम से कम 50 इकाइयाँ होंगी और यह औसतन 20,000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेगा।हालांकि 11$^{वीं}$ और 12$^{वीं}$ योजना अवधि के लिए योजना दिशानिर्देशों में, निवेश और रोजगार के लिए कोई मात्रात्मक मानदंड निर्धारित नहीं था और यह निर्धारित किया गया था कि प्रत्येक एकीकृत वस्त्र पार्क में उद्यमियों की संख्या और परिणामी निवेश परियोजना से परियोजना में भिन्न हो सकते हैं, इस शर्त के साथ कि एक पार्क में उद्यमियों द्वारा भूमि, कारखाने के भवनों, संयंत्र और मशीनरी का कुल निवेश पार्क के लिए प्रस्तावित सामान्य बुनियादी ढ़ांचे की लागत का कम से कम दोगुना होगा।

10$^{वीं}$ योजना अवधि के लिए योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए (क्योंकि बाद की योजना अवधियों के दौरान कोई मात्रात्मक मानदंड निर्धारित नहीं किया गया था), लेखापरीक्षा ने 56 कार्यशील (पूर्ण और निर्माणाधीन) पार्कों के संबंध में पाया कि:

- 95 *प्रतिशत* पार्क (53 पार्क) 20,000 से कम व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए डिजाइन किए गए थे।
- 64 *प्रतिशत* पार्क (36 पार्क) 50 से कम इकाइयों को स्थापित करने के लिए डिजाइन किए गए थे और
- 95 *प्रतिशत* पार्क (53 पार्क) ₹ 750 करोड़ से कम के निवेश के लिए डिजाइन किए गए थे।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि योजना मांग आधारित है और मंत्रालय द्वारा पार्कों का चयन और उनका अनुमोदन उनकी वास्तविक व्यवहार्यता के आधार पर किया गया था। मंत्रालय ने आगे कहा (अगस्त 2022) कि पीएम मित्रा पार्कों में अधिक रोजगार सृजन, बड़े निवेश और बड़े आकार के पार्कों का ध्यान रखा गया था।

अनुशंसा संख्या 4

मंत्रालय पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं अपरैल योजना या ऐसी किसी अन्य योजना के तहत स्वीकृत पार्कों की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए रोजगार सृजन, निवेश, पार्कों के आकार आदि जैसे मापने योग्य मानदंड निर्धारित करे।

3.7 पार्कों के भौतिक सत्यापन का अभाव

लेखापरीक्षा के लिए चयनित 10 पूर्ण पार्कों के संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि मंत्रालय ने अधिकाँश मामलों में अपने स्वयं के अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र भौतिक सत्यापन के माध्यम से अनुशंसा सुनिश्चित किए बिना इन सभी 10 पार्कों को केवल परियोजना प्रबंधन सलाहकार की अनुशंसा के आधार पर पूर्ण माना।

यह भी देखा गया कि मंत्रालय ने स्वयं निम्नलिखित तीन मामलों में पाया कि परियोजना प्रबंधन सलाहाकार ने गलत/भ्रामक सूचना प्रस्तुत की थी:

(i) जम्मू-कश्मीर वस्त्र पार्क के मामले में, परियोजना प्रबंधन सलाहकार (अर्थात् मैसर्स आईएल एंड एफएस) ने पार्क को पूरा मानने पर विचार करने की अनुशंसा यह कहते हुए की (सितंबर 2016) कि 27 प्रस्तावित इकाइयों में से 9 ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था। परन्तु जब, मंत्रालय ने दिसंबर 2016 में क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त, अमृतसर के कार्यालय के माध्यम से भौतिक सत्यापन करवाया तो मात्र तीन इकाइयों को परिचालित पाया गया था।

(ii) ईआईजीएमईएफ परिधान पार्क लिमिटेड, कोलकाता (एक निर्माणाधीन पार्क) के मामले में, क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त, कोलकाता के कार्यालय ने रिपोर्ट दी थी कि परियोजना प्रबंधन सलाहकार अर्थात् (मैसर्स आईएलएंडएफएस) के साथ मिलीभगत करके विशेष प्रयोजन तन्त्र द्वारा धोखाधड़ी से अनुदान प्राप्त किया गया था।

(iii) हिमाचल वस्त्र पार्क (एक निर्माणाधीन पार्क) के मामले में, मंत्रालय ने योजना के तहत परियोजना की स्वीकृति (सितंबर 2011) के समय महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने और भ्रामक जानकारी देने के लिए, झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रयोजन तंत्र और परियोजना प्रबंधन सलाहकार (अर्थात् मैसर्स सी. एस. एसोसिएट्स) के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्णय लिया।

इस प्रकार, यह परियोजना प्रबंधन सलाहकार की ओर से गलत सूचना देने का साक्ष्य था। चयनित पार्कों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पार्कों में कई कमियों/अनियमितताओं को देखा, जिन्हें मंत्रालय द्वारा "पूर्ण" बताया गया था, जैसा कि अध्याय-IV में चर्चा की गई है।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि जम्मू-कश्मीर वस्त्र पार्क के मामले में, वस्त्र आयुक्त ने विमुद्रीकरण के तुरंत बाद दिसंबर 2016 में पार्कों का दौरा किया और तीन इकाइयों के परिचालन को रिपोर्ट किया क्योंकि विमुद्रीकरण के प्रभाव के कारण अन्य अस्थायी रूप से बंद थी। मंत्रालय ने आगे कहा (अगस्त 2022) कि जम्मू-कश्मीर वस्त्र पार्क को अभी तक 'पूर्ण' का दर्जा दिया जाना शेष था और अनुदान की अंतिम किस्त अभी जारी की जानी थी। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति में इंगित किए गए अन्य दो पार्कों के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखे जाने की आवश्यकता है कि क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त, अमृतसर के कार्यालय की दौरा रिपोर्ट (दिसंबर 2016) में उल्लेख किया गया था कि जम्मू-कश्मीर वस्त्र पार्क में केवल तीन इकाइयां परिचालन में थीं और अन्य 11 इकाइयां पाइपलाइन में थीं जो संभवतः वर्ष 2017 की शुरूआत में स्थापित की जानी थी। दौरा रिपोर्ट में विमुद्रीकरण के प्रभाव का कोई उल्लेख नहीं था। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त उत्तर (अगस्त 2022) कि जम्मू-कश्मीर वस्त्र पार्क को अभी तक 'पूर्ण' का दर्जा दिया जाना शेष था, मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए आंकड़ों (फरवरी 2022) के साथ-साथ जून 2022 के मंत्रालय के उत्तर के विपरीत है जिसमें पार्क को पूर्ण दिखाया गया था।

अनुशंसा संख्या 5

मंत्रालय निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके पार्कों के कार्यान्वयन और निगरानी में वस्त्र आयुक्त/क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त जैसी अन्य एजेंसियों की स्पष्ट भूमिका को परिभाषित करे क्योंकि परियोजना प्रबंधन सलाहकारों द्वारा किए गए कार्यों का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

अनुशंसा संख्या 6

मंत्रालय को झूठी सूचना/दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकारों और विशेष प्रयोजन तन्त्रों के विरुद्ध मंत्रालय दंडात्मक कार्रवाई करे। इसके अलावा, भविष्य में स्वीकृत होने वाले सभी नए पार्कों के मामले में परियोजना प्रबंधन सलाहकारों और विशेष प्रयोजन तन्त्रों द्वारा चूक के लिए दंडात्मक प्रावधानों को संबंधित करारों में शामिल किया जाए।

3.8 90 *प्रतिशत* अनुदान जारी होने के बाद परियोजना विन्यास में परिवर्तन

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार के अनुदान की 10 *प्रतिशत* की अंतिम किश्त पार्क के सफल समापन के बाद और 25 *प्रतिशत* इकाइयों द्वारा अपना उत्पादन शुरू करने के बाद जारी की जानी थी। भारत सरकार के अनुदान की अंतिम किस्त के लिए दावा करते समय पिछली किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाना था।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित 10 पूर्ण पार्कों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि निम्नलिखित चार मामलों में, मंत्रालय ने पार्कों की मूल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डीपीआर) के अनुसार भारत सरकार के अनुदान का 90 *प्रतिशत* जारी करने के बाद पार्कों में स्थापित होने वाली फैक्ट्री इकाइयों की संख्या में कमी को मंजूरी दी थी:

तालिका 9: पार्कों के परियोजना विन्यास में अनुमोदित परिवर्तन

पार्क का नाम	डीपीआर के अनुसार इकाइयों की संख्या	संशोधित परियोजना विन्यास के अनुसार इकाइयों की संख्या
सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड, गुजरात	54 बुनाई इकाइयां	27 बुनाई इकाइयाँ
लातूर एकीकृत वस्त्र पार्क प्राईवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र	20 इकाइयां (10 बुनाई इकाइयां और 10 गार्मेंट इकाइयां)	10 गारमेंट इकाइयां
डोडबल्लापुर एकीकृत वस्त्र पार्क लिमिटेड, कर्नाटक	88 इकाइयां	72 इकाइयां

पार्क का नाम	डीपीआर के अनुसार इकाइयों की संख्या	संशोधित परियोजना विन्यास के अनुसार इकाइयों की संख्या
मदुरै एकीकृत वस्त्र पार्क लिमिटेड, तमिलनाडु	17 इकाइयां (7 वेट प्रोसेसिंग इकाइयां और 10 ड्राई कम्पोजिट इकाइयां)	15 ड्राई कम्पोजिट इकाइयां

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपरोक्त चार पार्कों में से, दो पार्कों (अर्थात् सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड और लातूर एकीकृत वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड) के मामले में, मंत्रालय ने केवल 25 *प्रतिशत* परिचालन इकाईयों के मापदंड को पूरा करने के साथ पार्क को पूर्ण मानने के लिए कम इकाइयों की संख्या की स्थापना की मंजूरी दी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(i) सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड ने भारत सरकार के अनुदान की अंतिम किस्त जारी करने का अनुरोध किया (दिसम्बर 2012)। उस समय, पार्क में केवल आठ इकाइयों ने परिचालन शुरू किया था, जो कि मूल डीपीआर में नियोजित इकाइयों की कुल संख्या (अर्थात् 54 इकाइयां) का 15 *प्रतिशत* था। तथापि अनुमोदित इकाइयों की संशोधित संख्या (अर्थात् 27 इकाइयां) के संदर्भ में 25 *प्रतिशत* परिचालन इकाइयों का मानदंड पूरा किया गया था।

(ii) लातूर एकीकृत वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने भारत सरकार के अनुदान की अंतिम किस्त जारी करने का अनुरोध किया (जून 2011)। उस समय, पार्क में केवल तीन इकाइयों ने परिचालन शुरू किया था, जो मूल डीपीआर में नियोजित इकाइयों की कुल संख्या (अर्थात् 20 इकाइयां) का 15 *प्रतिशत* था। तथापि, स्वीकृत इकाइयों की संशोधित संख्या (अर्थात् 10 इकाइयां) के संदर्भ में 25 *प्रतिशत* परिचालन इकाइयों का मानदंड पूरा किया गया था।

इस प्रकार, उपरोक्त दो पार्क उनकी मूल योजना के अनुसार पूर्ण नहीं हुए थे और केवल अंत में परियोजना विन्यास को बदलकर ही इन्हें पूर्ण माना गया था और इससे पार्क समय से पहले पूर्ण हो गए। दिलचस्प बात यह है, कि ये दोनों पार्क पूर्ण होने के कुछ ही समय बाद बंद भी हो गए।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सचिव(वस्त्र)की अध्यक्षता वाली परियोजना अनुमोदन समिति समयसमय पर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है। परियोजना के हित में और समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए, परियोजना अनुमोदन समिति, जो डीपीआर के संशोधन में निर्णय लेने के लिए सक्षम

प्राधिकारी है, एसपीवी के अनुरोध पर एसपीवी द्वारा प्रस्तुत सहायक कारणों और दस्तावेजों के आधार पर विन्यास में बदलाव का फैसला करती है।

इस तथ्य को देखते हुए यह उत्तर मान्य नहीं है कि मंत्रालय ने मूल योजना के अनुसार पार्कों की प्रगति के आधार पर भारत सरकार के अनुदान का 90 *प्रतिशत* पहले ही जारी कर दिया था और बाद के चरण में इकाइयों की संख्या में कमी के द्वारा परियोजना विन्यास में परिवर्तन ने एसपीवी को पार्क को कम संख्या में इकाइयों (अर्थात् इकाइयों की संशोधित संख्या का 25 *प्रतिशत*) के साथ पूरा दिखाने का अवसर दिया।

3.9 पुरानी मशीनरी का संस्थापन

योजना के दिशा-निर्देशों में वस्त्र उद्योग को उनकी वस्त्र इकाइयां स्थापित करने के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी। लेखापरीक्षा ने सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड, गुजरात के मामले में पाया कि मंत्रालय ने गैस आधारित 20 मेगावाट कैप्टिव पॉवर प्लांट (सीपीपी) जिसे शुरू में पार्क के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार ₹ 65 करोड़ की लागत से स्थापित करने का प्रस्ताव था, के स्थान पर कोयला आधारित 15 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) स्थापित करने का अनुमोदन किया था (जून 2011)। एसपीवी/पीएमसी ने लागत पहलू पर विचार करते हुए पुराने सीपीपी (टर्बाइन, बॉयलर और कुछ सहायक उपकरणों सहित) की खरीद का प्रस्ताव रखा और तदनुसार परियोजना अनुमोदन समिति ने एसपीवी को ₹ 42.30 करोड़ रुपये की लागत से चीन से 2x7.5 मेगावाट पुराने सीपीपी खरीदने की अनुमति दी। सीपीपी के दो यूनिट में से एक को वर्ष 2012 में आंशिक रूप से चालू किया गया था, लेकिन चालू होने के एक वर्ष के भीतर इसका परिचालन रूक गया और बाद में अक्तूबर 2014 के बाद पार्क भी बंद हो गया।

इस प्रकार, सीपीपी के लिए चीन से पुरानी मशीनरी की खरीद की अनुमति देने के मंत्रालय के निर्णय के कारण ₹ 42.30 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ क्योंकि केवल एक यूनिट चालू की गई थी जो चालू होने के एक वर्ष के भीतर गैर-परिचालित भी हो गई थी।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि 7.5 मेगावाट सीपीपी का पहला मॉड्यूल चालू किया गया था और उस समय चूंकि पार्क से उपलब्ध लोड/मांग पर्याप्त नहीं थी (शुरुआत में केवल 25 *प्रतिशत* इकाइयों ने उत्पादन शुरू किया), इसलिए दूसरा मॉड्यूल चालू नहीं किया गया

था। मंत्रालय ने आगे कहा (अगस्त 2022) कि 7.5 मेगावाट के दूसरे मॉड्यूल को चालू करना तभी आवश्यक होता यदि अन्य इकाइयों ने भी उत्पादन शुरू कर दिया होता।

मंत्रालय का उत्तर सीपीपी के चालू होने के एक वर्ष के भीतर सीपीपी के गैर-परिचालन और सीपीपी के लिए पुरानी मशीनरी की स्थापना से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को संबोधित नहीं करता। इसके अलावा, सीपीपी की खरीद पर ₹ 42.30 करोड़ का व्यय करने के बाद भी, दूसरा मॉड्यूल चालू नहीं किया गया था, जिससे व्यय का एक हिस्सा निष्फल हो गया।

अनुशंसा संख्या 7

मंत्रालय कैप्टिव पावर प्लांट के लिए पुरानी मशीनरी के आयात के अनुमोदन और चालू होने के एक वर्ष के भीतर इसके गैर-परिचालन की जांच पर विचार करे। मंत्रालय इन चूकों के लिए जवाबदेही भी तय कर करे।

3.10 निरस्त पार्कों को जारी अनुदान की गैर-वसूली

12वीं योजना अवधि के लिए योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी कारण से परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा पार्क को निरस्त किए जाने की स्थिति में, एसपीवी सरकारी सहायता को उस पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, सहित तुरंत वापस कर देगा। एसपीवी द्वारा 10 *प्रतिशत* की दर से या मामला-दर-मामला आधार पर परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा निर्धारित दंडात्मक ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा।

योजना के तहत स्वीकृत 98 पार्कों में से 42 पार्कों (43 *प्रतिशत*) को बाद में निरस्त कर दिया गया था। लेखापरीक्षा ने विस्तृत संवीक्षा के लिए ऐसे छह निरस्त किए गए पार्कों के नमूने का चयन किया।

मंत्रालय द्वारा निरस्त किए गए 42 पार्कों में से, 22 पार्कों को कोई अनुदान जारी करने से पहले ही निरस्त कर दिया गया था। हालांकि, शेष 20 पार्कों को ₹ 122.61 करोड़ की राशि का अनुदान जारी किया गया था जिन्हें बाद में निरस्त कर दिया गया था। इसलिए ₹ 122.61 करोड़ की अनुदान राशि मंत्रालय द्वारा वसूल की जानी थी। लेखापरीक्षा ने, हालांकि, देखा कि ₹ 117.72 करोड़ के दंडात्मक ब्याज के अतिरिक्त, फरवरी 2022 तक 10 निरस्त किए गए पार्कों (**अनुलग्नक-V**) से ₹ 77.34 करोड़ की राशि वसूल नहीं की गई

थी। शेष 10 निरस्त किए गए पार्कों में से, जहां अनुदान की वसूली की गई थी, सात पार्कों के मामले में ₹ 34.75 करोड़ का दंडात्मक ब्याज वसूल नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि उसने निरस्त किए गए पार्कों से वसूली का अनुवर्तन किया था। वसूली की कार्रवाई सहित कारण बताओ नोटिस को जारी कर गैर-निष्पादक/निरस्त किए गए वस्त्र पार्कों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। अधिकांश मामलों में, वसूली की जा चुकी थी और वसूली शुरू करने के लिए आगे की कार्रवाई वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के साथ प्रक्रिया में थी। मंत्रालय ने आगे कहा (अगस्त 2022) कि भारत सरकार के अनुदान की वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है।

लेखापरीक्षा ने निरस्त किए गए पार्कों को जारी अनुदानों की वसूली न होने के कारणों की जांच की और निम्नलिखित कारणों की पहचान की:

(i) एसपीवी से बैंक गारंटी नहीं ली गई

सामान्य वित्तीय नियम, 2005, के नियम 159 के अनुसार, कोई भी अग्रिम भुगतान करते समय फर्म से बैंक गारंटी आदि के रूप में पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा ने हालांकि, पाया कि एसपीवी द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए 10$^{वीं}$ और 11$^{वीं}$ योजना अवधि के दौरान योजना दिशानिर्देशों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। केवल 12$^{वीं}$ योजना अवधि के लिए योजना दिशानिर्देशों में मंत्रालय ने एक शर्त रखी थी कि एसपीवी को भारत सरकार के अनुदान की पहली किस्त का भुगतान एसपीवी द्वारा मंत्रालय को समान राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के अधीन किया जाएगा।

उपरोक्त सभी 10 निरस्त किए गए पार्कों में, जहां ₹ 77.34 करोड़ के अनुदान की वसूली नहीं हुई, ₹ 36.29 करोड़[21] की बैंक गारंटी को समायोजित किया जा सकता था, यदि मंत्रालय ने बैंक गारंटी प्राप्त करने के लिए योजना में प्रावधान किया होता।

(ii) प्रतिभूति बंध-पत्र में कमियां

भारत सरकार के अनुदानों के लिए स्वीकृति पत्रों के संदर्भ में, मंत्रालय ने प्रावधान किया है कि अनुदानग्राही को भुगतान जारी करने से पूर्व सहायता-अनुदान के भुगतान के निबंधन

---

[21] ***12$^{वीं}$ योजना अवधि के लिए योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, एसपीवी को भारत सरकार के अनुदान के 10 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम किस्त के बराबर राशि की एक बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी थी।***

और शर्तों को स्वीकार करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को दो प्रतिभूतियों के साथ एक बंध-पत्र निष्पादित करना होगा। अनुदानग्राही द्वारा शर्तों का पालन करने में विफल रहने या बंध-पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में, बंध-पत्र के हस्ताक्षरकर्ता संयुक्त और पृथक रूप से भारत के राष्ट्रपति को अनुदान की पूरी राशि प्रति वर्ष 10 *प्रतिशत* ब्याज के साथ वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित छह निरस्त पार्कों में से केवल चार पार्कों के मामले में अनुदान जारी किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि इन सभी चार मामलों में, मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभूति बंध-पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। आगे के विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

(क) दो मामलों में[22], मंत्रालय आवश्यक वसूली के लिए मुकदमा दायर करने हेतु वरिष्ठ केंद्रीय सरकार परिषद/सरकारी अभिवक्ता के समक्ष पेश करने के लिए क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त, मुंबई के कार्यालय को प्रतिभूति बंध-पत्र की हस्ताक्षरित प्रति प्रदान नहीं कर सका। इन मामलों में, जबकि क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त का कार्यालय तीन वर्षों से अधिक समय से वसूली के लिए मुकदमा दाखिल करने के लिए अनुमोदन की मांग कर रहा था, मंत्रालय ने आवश्यक अनुमोदन (अगस्त 2021 तक) नहीं दिया था।

(ख) एक मामले में[23], भारत सरकार के अनुदान की वसूली का मामला संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लाया गया था और उसके परिणाम की प्रतीक्षा दिसंबर 2020 से जा रही थी।

(ग) एक मामले में[24], हालांकि मंत्रालय ने ₹ 4.00 करोड़ का भारत सरकार का अनुदान वसूल किया था, लेकिन 10 *प्रतिशत* की दर से दंडात्मक ब्याज की वसूली नहीं की गई थी और न ही जनवरी 2018 के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की गयी थी।

---

[22] ***श्री धैर्यशील माने वस्त्र पार्क को-आप सोसाइटी लिमिटेड, महाराष्ट्र तथा वाडा वस्त्र पार्क, महाराष्ट्र।***

[23] ***सीएलसी वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड, मध्य प्रदेश।***

[24] ***सुंदरराव सोलंकी को-आप वस्त्र पार्क, महाराष्ट्र।***

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि पूर्व में स्वीकृत कुछ मामलों में, यह पाया गया कि मंत्रालय ने प्रतिभूति बंध-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। बाद में पार्कों को मंजूरी देते समय इसका ध्यान रखा गया था।

तथ्य यह है कि दो मामलों में प्रतिभूति बंध-पत्र पर हस्ताक्षर न करने के कारण वसूली के लिए मुकदमा दायर नहीं किया जा सका। इसके अलावा, उपरोक्त लेखापरीक्षा अवलोकन (ग) में इंगित एक मामले में दंडात्मक ब्याज की गैर-वसूली के संबंध में उत्तर मौन था।

इस प्रकार, मंत्रालय निरस्त किए गए पार्कों से भारत सरकार के अनुदान की वसूली करने में विफल रहा क्योंकि प्रतिभूति बंध-पत्र की प्रति मंत्रालय के संबंधित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थी।

अनुशंसा संख्या 8

निरस्त किए गए पार्कों के मामले में, मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि जारी अनुदान लागू दंडात्मक ब्याज सहित बिना और किसी विलंब के एसपीवी से वसूल किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निर्माणाधीन पार्कों के मामले में आगे और अनुदान तब तक स्वीकृत नहीं किया जाए जब तक कि निधियां जारी करने के लिए बैंक गारंटी एवं जमानत बंध पत्र आदि आवश्यक सुरक्षा उपाय नहीं किये जाते।

3.11 सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में एसपीवी/परियोजना प्रबंधन सलाहकार की विफलता

वस्त्र मंत्रालय और स्वीकृत पार्कों के परियोजना प्रबंधन सलाहकारों (पीएमसी) के बीच हुए समझौतों के अनुसार, पीएमसी ने एसपीवी को पर्यावरण मंजूरी सहित सभी आवश्यक सांविधिक अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त करने में सहायता करनी थी, जो परियोजना शुरू करने के लिए पूर्व-अपेक्षित हैं। पीएमसी को राज्य सरकार से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकारों के साथ संपर्क करना भी आवश्यक था।

अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना मामलों में स्वीकृत पार्कों को निरस्त करने के लिए सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में देरी प्रमुख कारणों में से एक थी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 10: पार्कों के निरस्तीकरण के कारण

क्र. स.	निरस्त पार्कों के नाम	जारी अनुदान (₹ करोड़)	पीएमसी शुल्क का भुगतान (₹ करोड़)	पार्कों को निरस्त करने के कारण
1.	सीएलसी वस्त्र पार्क प्रा. लिमिटेड, मध्य प्रदेश	11.47	0.28	• बिजली कनेक्शन के लिए मंजूरी में देरी। • पानी की पाइप लाइन बिछाने के लिए वन विभाग से अनुमति प्राप्त न होना • बैंक ऋण प्राप्त करने में एसपीवी की असमर्थता। • एसपीवी सदस्यों से समतुल्य इक्विटी अंशदान की अनुपलब्धता।
2.	श्री धैर्यशील माने वस्त्र पार्क को-ऑप सोसाइटी लिमिटेड, महाराष्ट्र	8.67	0.43	• महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के साथ भूमि संबंधी मुद्दे • एसपीवी सदस्यों के बीच मतभेद
3.	वाडा वस्त्र पार्क, महाराष्ट्र	4.00	0.30	• राज्य सरकार से मंजूरी की अनुपलब्धता।
4.	सुंदरराव सोलंकी को-ऑप वस्त्र पार्क, महाराष्ट्र	4.00	0.18	• सांविधिक पर्यावरणीय मंज़ूरी प्राप्त करने में विलंब
5.	जेवीएल वस्त्र पार्क प्रा. लिमिटेड, बिहार	शून्य	शून्य	• कई बार समय विस्तार के बावजूद एसपीवी ने आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए
6.	राजस्थान एकीकृत परिधान सिटी, राजस्थान	शून्य	शून्य	• निरस्तीकरण के कारण ज्ञात नहीं हो पाए क्योंकि लेखापरीक्षा को प्रासंगिक रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए।
	कुल	**28.14**	**1.19**	

हालांकि, यह देखा गया कि मंत्रालय ने मंजूरी सुनिश्चित किए बिना चार पार्कों को अनुदान जारी किया। इसके अलावा, पीएमसी को इसके लिए जवाबदेह नहीं ठहराया गया और ₹ 1.19 करोड़ की कुल फीस पीएमसी को जारी की गई, जो व्यर्थ का व्यय साबित हुई। इसके

अलावा, 10वीं और 11वीं योजना अवधि के दौरान पीएमसी के साथ मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौतों में प्रतिभूति या परिसमापन हर्जाना जैसे कोई प्रावधान शामिल नहीं थे जिन्हें पीएमसी की ओर से चूक होने की स्थिति में लागू किया जा सकता था।

मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि एसपीवी/परियोजना प्रबंधन सलाहकार ने सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रयास किए और बहुत कम मामलों में, अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण इसमें देरी हुई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परियोजना प्रबंधन सलाहकार ने सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में अपने दायित्व को पूरा नहीं किया था जो कि परियोजना के प्रारंभ होने के लिए पूर्व-आवश्यक था जबकि इसने अनुदान जारी करने की अनुशंसा की और मंत्रालय ने सांविधिक मंजूरी सुनिश्चित किए बिना अनुदान जारी किया।

अध्याय-IV

पार्कों की वर्तमान स्थिति

10वीं और 11वीं योजना अवधि के लिए योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार के अनुदान का अंतिम 10 *प्रतिशत* परियोजना के सफल समापन और इकाइयों की प्रस्तावित संख्या के 25 *प्रतिशत* के उत्पादन शुरू करने के बाद जारी किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जब विशेष प्रयोजन तन्त्र ने 25 *प्रतिशत* प्रस्तावित इकाइयों में संचालन शुरू होने की सूचना दी, मंत्रालय ने अंतिम किश्त जारी की और पार्क को पूर्ण माना। हालांकि, पार्क को 'पूर्ण' माने जाने के बाद, मंत्रालय ने इन 25 *प्रतिशत* इकाइयों की निरंतरता और शेष 75 *प्रतिशत* इकाइयों की स्थापना की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की।

वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार (फरवरी 2022 तक), 26 पार्क पूरे हो चुके थे और 30 पार्क अभी पूरे होने बाकी थे ।

मंत्रालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध पूर्ण और निर्माणाधीन पार्कों की स्थिति और पार्कों की साइटों पर वास्तविक स्थिति को सत्यापित करने के लिए, लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 24 पार्कों में से नौ पूर्ण और पांच निर्माणाधीन पार्कों के मामले में लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक सत्यापन किया। इन 14 पार्कों के मापनीय संकेतकों के समक्ष पार्कों के निष्पादन और भौतिक स्थिति को संक्षेप में नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 11: पार्कों का निष्पादन

क्र. सं.	पार्क का नाम, स्वीकृति की तिथि एवं पूरा होने की नियत तिथि	पूरा होने की तिथि/ पूर्ण होने में विलंब[25]	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान (₹ करोड़)	अनुमानों के प्रति सृजित निवेश (₹ करोड़)	अनुमानों के प्रति स्थापित इकाईयों की सं.	अनुमानों के प्रति रोजगार सृजन	मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार पार्कों की स्थिति	क्षेत्रीय दौरे के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई स्थिति
1.	सुरत सुपर यार्न पार्क लि. गुजरात 01.07.2006; अप्रैल 2008	मार्च 2013 (59 माह)	40.00	240 के प्रति 150	54 के प्रति शून्य	1000 व्यक्तियों के प्रति शून्य	पूर्ण	**शट डाउन** सम्पूर्ण पार्क बंद, परित्यक्त और पूरी तरह से सुनसान पड़ा था।

[25] *पार्कों को पूर्ण करने में विलंब की गणना पार्क के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से की गई है। निर्माणाधीन पार्कों के मामले में, विलंब की गणना 31 दिसंबर 2021 तक की गई है।*

क्र. सं.	पार्क का नाम, स्वीकृति की तिथि एवं पूरा होने की नियत तिथि	पूरा होने की तिथि/ पूर्ण होने में विलंब[25]	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान (₹ करोड़)	अनुमानों के प्रति सृजित निवेश (₹ करोड़)	अनुमानों के प्रति स्थापित इकाईयों की सं.	अनुमानों के प्रति रोजगार सृजन	मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार पार्कों की स्थिति	क्षेत्रीय दौरे के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई स्थिति
2.	पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क लिमिटेड, तेलंगाना 01.07.2006; अप्रैल 2008	जनवरी 2011 (33 माह)	13.60	200 के प्रति 55	2000 के प्रति शून्य	5550 व्यक्तियों के प्रति शून्य	पूर्ण	**शट डाउन** सम्पूर्ण पार्क शट डाउन/ बंद था|
3.	लातूर एकीकृत वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र 16.05.2008; दिसंबर 2010	अक्तूबर 2012 (22 माह)	40.00	257.42 के प्रति 175	20 के प्रति शून्य	10000 व्यक्तियों के प्रति शून्य	पूर्ण	**शट डाउन** महत्वपूर्ण सामान्य सुविधाओं की योजना बनाई गई लेकिन निर्मित नहीं की गई|
4.	जे. एण्ड. के. एकीकृत वस्त्र पार्क, जम्मू एण्ड कश्मीर 16.09.2011, दिसम्बर 2015	फरवरी 2022 (74 माह)	35.73	190 के प्रति 113	29 के प्रति 2	2508 व्यक्तियों के प्रति 48	पूर्ण	**बैंकों द्वारा अधिकांश इकाइयों को जब्त करने के कारण आंशिक रूप से कार्यशील** पार्क में स्थापित 26 इकाइयों में से, 17 इकाइयों को बैंकों ने जब्त कर लिया है। • 2 इकाइयों में गैर-वस्त्र गतिविधियाँ (अर्थात् छत की चादरों का निर्माण) चल रही थीं। महत्वपूर्ण सामान्य सुविधाओं की योजना बनाई गई लेकिन निर्मित नहीं की गई|
5.	डोडबल्लापुर एकीकृत वस्त्र पार्क, कर्नाटक 01.07.2006; जुलाई 2008	जून 2012 (47 माह)	32.01	132 के प्रति 76.12	85 के प्रति 70	2000 व्यक्तियों के प्रति 948	पूर्ण	**अधिकांशत गैर-वस्त्र गतिविधियों के साथ कार्यशील** पार्क में 70 इकाइयां परिचालन में थीं, जिनमें से 55 इकाइयां गैर-वस्त्र गतिविधियों जैसे इंजीनियरिंग कार्य,

क्र. सं.	पार्क का नाम, स्वीकृति की तिथि एवं पूरा होने की नियत तिथि	पूरा होने की तिथि/ पूर्ण होने में विलंब[25]	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान (₹ करोड़)	अनुमानों के प्रति सृजित निवेश (₹ करोड़)	अनुमानों के प्रति स्थापित इकाईयों की सं.	अनुमानों के प्रति रोजगार सृजन	मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार पार्कों की स्थिति	क्षेत्रीय दौरे के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई स्थिति
								फर्नीचर कार्य, बीज प्रसंस्करण आदि के साथ परिचालित थीं।
6.	लोटस एकीकृत टेक्स पार्क, पंजाब 05.03.2007; जुलाई 2009	अक्तूबर 2012 (39 माह)	40.00	740 के प्रति 500	8 के प्रति 3	2400 व्यक्तियों के प्रति 962	पूर्ण	**कार्यशील** एसपीवी ने कंपाउंड वॉल, पानी की आपूर्ति, कॉमन एफ्लुएंट उपचार प्लांट और इलेक्ट्रिकल वितरण प्रणाली जैसा अपना खुद का बुनियादी ढांचा नहीं बनाया था। परिसर में एसपीवी के लिए कोई प्रशासनिक कार्यालय नहीं पाया गया। 99.11 एकड़ भूमि में से, 24 एकड़ (24 *प्रतिशत*) खाली पड़ी थी।
7.	मदुरै एकीकृत वस्त्र पार्क लिमिटेड, तमिलनाडु 05.03.2007; जनवरी 2009	जून 2014 (65 माह)	31.43	410 के प्रति 534.79	15 के प्रति 23	2500 व्यक्तियों के प्रति 3575	पूर्ण	**कार्यशील** एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए 17 इकाइयां (4 बुनाई इकाइयाँ, 5 गारमेंट इकाइयाँ, 7 प्रसंस्करण इकाइयाँ और 1 प्रारंभिक इकाई) स्थापित करने के स्थान पर, 15 ड्राई इकाइयां स्थापित की गईं।
8.	लुधियाना एकीकृत वस्त्र पार्क लिमिटेड, पंजाब	फरवरी 2022 (132 माह)	36.00	217 के प्रति 103.88	55 के प्रति 10	20000 व्यक्तियों के प्रति 2725	पूर्ण	**कार्यशील** महत्वपूर्ण सामान्य सुविधाओं की योजना

क्र. सं.	पार्क का नाम, स्वीकृति की तिथि एवं पूरा होने की नियत तिथि	पूरा होने की तिथि/ पूर्ण होने में विलंब[25]	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान (₹ करोड़)	अनुमानों के प्रति सृजित निवेश (₹ करोड़)	अनुमानों के प्रति स्थापित इकाईयों की सं.	अनुमानों के प्रति रोजगार सृजन	मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार पार्कों की स्थिति	क्षेत्रीय दौरे के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई स्थिति
	18.12.2008; फरवरी 2011							बनाई गई लेकिन निर्मित नहीं की गई।
9.	जयपुर एकीकृत टेक्सक्राफ्ट पार्क प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान 16.05.2008; जुलाई 2010	जून 2013 (35 माह)	24.06	64.15 के प्रति 64.67	20 के प्रति 16	4400 व्यक्तियों के प्रति 534	पूर्ण	**कार्यशील** महत्वपूर्ण सामान्य सुविधाओं की योजना बनाई गई लेकिन निर्मित नहीं की गई।
10.	एसआईएमए वस्त्र प्रोसेसिंग सेंटर, तमिलनाडु 25.11.2005; जुलाई 2008	निर्माणाधीन (161 माह)	24.00	500 के प्रति 61	10 के प्रति शून्य	5000 व्यक्तियों के प्रति शून्य	निर्माणाधीन	**कार्यशील नहीं था** एसपीवी द्वारा पार्क के लिए प्रतिदिन 11 मिलियन लीटर भूजल निकालने के लिए भूजल बोर्ड, चेन्नई से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।
11.	ईआईजीएमईफ परिधान पार्क लिमिटेड, सैयद अमीर अली एवेन्यू, पश्चिम बंगाल 01.07.2006; अप्रैल 2008	निर्माणाधीन (164 माह)	31.61	140 के प्रति 74.74	73 के प्रति शून्य	10000 व्यक्तियों के प्रति शून्य	निर्माणाधीन	**कार्यशील नहीं था** बिधाननगर नगर निगम से सांविधिक मंजूरी की अनुपलब्धता के कारण सितंबर 2011 में रुका हुआ था, हालांकि मंत्रालय के उत्तर के अनुसार अब अनुमोदन प्राप्त हो गया है।
12.	एमएएस फैब्रिक पार्क (इंडिया) लिमिटेड, आंध्र प्रदेश 20.03.2008; जुलाई 2010	निर्माणाधीन (137 माह)	24.00	1982 के प्रति 44.41	16 के प्रति शून्य	31000 व्यक्तियों के प्रति शून्य	निर्माणाधीन	**कार्यशील नहीं था** पार्क के एसईजेड क्षेत्र को गैर-अधिसूचित करने के लिए अनुमोदन और बहिःस्राव के समुद्र में विसर्जन के लिए पाइप लाइन बिछाने के लिए

क्र. सं.	पार्क का नाम, स्वीकृति की तिथि एवं पूरा होने की नियत तिथि	पूरा होने की तिथि/ पूर्ण होने में विलंब[25]	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान (₹ करोड़)	अनुमानों के प्रति सृजित निवेश (₹ करोड़)	अनुमानों के प्रति स्थापित इकाईयों की सं.	अनुमानों के प्रति रोजगार सृजन	मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार पार्कों की स्थिति	क्षेत्रीय दौरे के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई स्थिति
								पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी।
13.	अमितारा ग्रीन हाई टेक वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात 20.09.2014; मार्च 2018	निर्माणाधीन (45 माह)	35.34	500.22 के प्रति 497.66	11 के प्रति 8	2580 व्यक्तियों के प्रति 840	निर्माणाधीन	**आंशिक रूप से कार्यशील** प्रशासनिक ब्लॉक और कुछ स्थानों पर चारदीवारी के निर्माण को छोड़कर, अधिकांश सामान्य बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं का निर्माण किया गया था।
14.	किशनगढ़ हाई-टेक वस्त्र बुनाई पार्क लिमिटेड, राजस्थान 01.07.2006; दिसंबर 2008	निर्माणाधीन (156 माह)	36.00	209.72 के प्रति 92.07	34 के प्रति 14	2175 व्यक्तियों के प्रति 2020	निर्माणाधीन	**कार्यशील** अधिकांश सामान्य बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं का निर्माण किया गया था लेकिन जल आपूर्ति और सीवेज उपचार संयंत्र कार्यशील नहीं पाए गए थे।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

पूर्ण किए गए पार्क:

- पूरे हो चुके नौ पार्कों में से तीन (33 *प्रतिशत*) बंद पाए गए।
- सभी नौ पार्कों को 22 महीने से लेकर 132 महीने तक की देरी के बाद पूरा किया गया।
- नौ में से आठ पार्क रोजगार सृजन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके और 50,358 व्यक्तियों के प्रति केवल 8,792 व्यक्तियों (17 *प्रतिशत*) के लिए रोजगार सृजित किया गया।

- नौ में से आठ पार्क इकाइयों की संख्या के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके और 2,286 इकाइयों के प्रति केवल 124 इकाइयां (5 *प्रतिशत*) स्थापित की गईं।
- नौ में से सात पार्क निवेश सृजन के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके और ₹ 2,450.57 करोड़ के प्रति केवल ₹ 1,772.46 करोड़ (72 *प्रतिशत*) निवेश सृजित हुआ।
- नौ पूर्ण पार्कों में से पांच (56 *प्रतिशत*) में, सामान्य बुनियादी ढांचा पूरी तरह से सृजित नहीं किया गया था जैसा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित किया गया था।
- दो पूर्ण पार्कों (22 *प्रतिशत*) में, इकाइयों में गैर-वस्त्र गतिविधियां चल रही थीं।
- एक पूर्ण पार्क को बैंकों द्वारा जब्त कर लिया गया।

निर्माणाधीन पार्क:

- दिसंबर 2021 तक सभी पांच निर्माणाधीन पार्कों में 45 महीने से लेकर 164 महीने तक की देरी हो चुकी थी।
- 2005 और 2008 के बीच इन पार्कों को स्वीकृत किए जाने के बावजूद पांच में से तीन पार्क (60 *प्रतिशत*) कोई रोजगार सृजित करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं।
- सभी पांचों पार्क इकाइयों की संख्या के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके और 144 इकाइयों के प्रति केवल 22 इकाइयां स्थापित की गईं।
- सभी पांच पार्कों में निवेश सृजन के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका और ₹ 3,331.94 करोड़ के प्रति केवल ₹ 769.88 करोड़ (23 *प्रतिशत*) का निवेश सृजित हुआ।

इस प्रकार, पार्कों में स्थापित इकाइयों की निरंतरता की गैर- निगरानी और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव और पार्कों को 'पूर्ण' माने जाने के बाद शेष इकाइयों की स्थापना नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें न तो स्थापित इकाइयां निरंतर कार्यशील थीं और न ही शेष इकाइयों की स्थापना की गई, जिससे एकीकृत वस्त्र पार्कों की स्थापना के लिए योजना का उद्देश्य विफल हो गया।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि योजना के दिशा-निर्देशों में वस्त्र पार्कों की पूर्णता के बाद निगरानी के लिए कोई तंत्र/प्रावधान उपलब्ध नहीं कराया गया है। हालाँकि, पूर्ण किए गए

पार्क क्रियाशील रूप से निष्पादन कर रहे थे। लेखापरीक्षा बिंदु को भविष्य के लिए नोट किया जा सकता है।

क्रियाशील रूप से निष्पादन कर रहे पार्कों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा अवलोकन में सामने आई जमीनी स्तर की स्थिति को देखते हुए स्वीकार्य नहीं है जो चयनित पार्कों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखा गया था। वस्त्र पार्कों के पूरा होने के बाद निगरानी के लिए योजना के दिशा-निर्देशों में कोई प्रावधान न होने के कारण तैयार पार्क भी बाद में बंद हो गए।

अनुशंसा संख्या 9

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अभीष्ट उद्देश्यों को दीर्घावधि में प्राप्त किया जा सकेगा, पूर्ण पार्कों के आवधिक भौतिक सत्यापन के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करे।

पार्कों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण से उत्पन्न विस्तृत निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

4.1 'पूर्ण' बताए गए पार्कों का लेखापरीक्षा द्वारा बंद पाया जाना

मंत्रालय द्वारा पूर्ण माने गए 26 पार्कों में से, लेखापरीक्षा ने 10 पार्कों के एक नमूने का चयन किया और नौ पार्कों का क्षेत्र दौरा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन पार्क[26], जहां कुल ₹ 93.60 करोड़ का अनुदान जारी किया गया था और मंत्रालय ने उन्हें सफलतापूर्वक पूरा माना था और अपने रिकॉर्ड में कार्यशील रूप में दिखाया था, वे बंद/शट डाउन पाए गए थे। इन मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

(i) सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड, गुजरात

मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड 'पूर्ण' हो गया था (जुलाई 2013 में उद्घाटन किया गया था) और इसमें 200 व्यक्तियों को रोजगार के साथ आठ इकाइयां चालू थीं। लेखापरीक्षा ने सितंबर 2021 में पार्क का भौतिक सत्यापन किया और पाया कि:

---

[26] सूरत सुपर यार्न पार्क लिमटेड, गुजरात (अनुदानः ₹ 40.00 करोड़); लातूर एकीकृत वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र (अनुदानः ₹ 40.00 करोड़); और पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क लिमिटेड, तेलंगाना (अनुदानः ₹ 13.60 करोड़)।

- पार्क बंद, परित्यक्त और पूरी तरह से सुनसान पड़ा था।
- पार्क में निर्मित बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, भवन, जल निकासी व्यवस्था आदि जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पाए गए।
- परिसर के बाहर निर्मित कैप्टिव पावर प्लांट अपरिचालित पाया गया। संयंत्र की मशीनरी/उपकरण गायब पाए गए थे।

सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड, गुजरात	
चित्र 1 **पार्क का मुख्य प्रवेश द्वार**	**चित्र 2** **फैक्ट्री बिल्डिंग एवं आंतरिक सड़क**

- प्रबंध निदेशक, जिनका संपर्क ब्यौरा मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान किया गया था, ने सूचित किया कि उन्होंने अपने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। इसलिए, एसपीवी का कोई पदाधिकारी उपलब्ध नहीं पाया गया।

- सूरत शहर में स्थित एसपीवी के पंजीकृत कार्यालय को भी ताला लगा हुआ पाया गया।

अतः, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा को पार्क की गलत और भ्रामक स्थिति प्रस्तुत की। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने देखा कि जुलाई 2013 में इसके उद्घाटन के बाद, क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त कार्यालय, अहमदाबाद की एक टीम ने पाया (जून 2015) कि पार्क को बंद कर दिया गया था। परियोजना प्रबंधन सलाहकार ने पार्क को बंद करने के लिए निम्नलिखित कारणों का हवाला दिया (नवम्बर 2016):

(ए) प्रमुख प्रवर्तक अर्थात् मैसर्स नाकोड़ा समूह विदेशी अधिग्रहण और अपने विदेशी कारखाने में आग लगने के कारण गहरे वित्तीय संकट में चले गए (नवम्बर 2014)।

(बी) एसपीवी के सदस्यों के बीच वित्तीय तनाव, जिन्हें इसके संचालन को जारी रखने और पार्क के संचालन और रखरखाव में योगदान करने की भी आवश्यकता थी, ने पार्क में संचालन को निलंबित कर दिया। फलस्वरूप, एसपीवी कैप्टिव पावर प्लांट को संचालित करने में असमर्थ था, जिसके परिणामस्वरूप बिजली की अनुपलब्धता के कारण इकाइयां बंद हो गईं।

(सी) वित्तीय कठिनाइयों के कारण, एसपीवी सावधि ऋणों को चुकाने में असमर्थ था और इसके खातों को ऋणदाताओं द्वारा गैर निष्पादित संपत्ति के रूप में घोषित किया गया था।

हालांकि, मंत्रालय ने अपने रिकॉर्ड में इस पार्क को 'पूर्ण' माननाजारी रखाऔर यहां तक कि पार्क में 200 व्यक्तियों के रोजगार के साथ आठ इकाइयों को परिचालन में दिखाया। इसलिए, पार्कों के संबंध में मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित सूचना अविश्वसनीय थी।

(ii) पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क लिमिटेड, तेलंगाना

मंत्रालय ने मार्च 2011 में पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क, तेलंगाना को 'पूर्ण' माना और जुलाई 2020 तक 189 परिचालन इकाइयों और 350 व्यक्तियों के रोजगार के साथ इसे अपने रिकॉर्ड में कार्यशील के रूप में दिखाना जारी रखा। हालांकि, दिसंबर 2021 में क्षेत्रीय दौरे के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- पार्क को बंद/शटडाउन कर दिया गया था।
- परियोजना प्रबंधन सलाहकार ने पार्क की अचल और चल संपत्ति पर कब्जा कर लिया था और मुख्य द्वार परा ई-नीलामी बिक्री नोटिस चिपका दिया था। कब्ज़ा नोटिस से पता चला कि 30 अप्रैल 2021 को एसपीवी से वसूली योग्य ₹ 69.42 करोड़ की राशी बकाया थी।
- बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, जल निकासी प्रणाली, कारखाने के भवन, बिजली की आपूर्ति, सीवेज उपचार संयंत्र आदि वीरान थे और अक्रियाशील पाए गए।

<table>
<tr><th colspan="2">पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क लिमिटेड, तेलंगाना</th></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>चित्र 3
कब्जा नोटिस दर्शाने वाला पार्क का मुख्य द्वार</td><td>चित्र 4
कब्जा नोटिस</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>चित्र 5
सीवेज उपचार संयंत्र</td><td>चित्र 6
फैक्ट्री बिल्डिंग</td></tr>
</table>

- पार्क के किसी भी निदेशक/सदस्य ने संयुक्त निरीक्षण में भाग नहीं लिया और न ही लेखापरीक्षा को जानकारी/रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए साईट पर मौजूद थे।

उपरोक्त दोनों मामलों में, परियोजना प्रबंधन सलाहकार, (मैसर्स आईएलएंडएफएस क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिमिटेड) जिसके पास ऋण घटक के लिए स्वीकृति पत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करके पहली किस्त के दूसरे भाग को जारी करने से पहले परियोजना की विश्वसनीयता की जांच करने की जिम्मेदारी थी, ने स्वयं ऋण घटक के लिए स्वीकृति पत्र जारी किया और मंत्रालय द्वारा अनुदान जारी करने की अनुशंसा की। इस प्रकार, यहाँ हितों का टकराव स्पष्ट था क्योंकि परियोजना प्रबंधन सलाहकार स्वयं इन पार्कों के लिए ऋणदाता था। सरकारी धन की सुरक्षा के लिए मंत्रालय द्वारा समय पर हस्तक्षेप करने के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा एसपीवी के द्वारा सामना की गई शटडाउन की स्थिति या वित्तीय संकट की सूचना तुरंत नहीं दी गई थी।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड के सदस्य 2014 के दौरान बाहरी कारणों और बाजार की खराब स्थितियों के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे। इसके कारण,एसपीवी सावधि ऋण चुकाने में असमर्थ था और उधारदाताओं द्वारा उसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया था तथा पार्क को चलाने के लिए मुख्य प्रवर्तक यानी मेसर्स नाकोडा ग्रुप की असमर्थता के कारण पार्क को अंततः बंद कर दिया गया था क्योंकि इसे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था। मंत्रालय ने आगे कहा (अगस्त 2022) कि पूर्ण पार्क की निगरानी के लिए योजना दिशा-निर्देशों में कोई प्रावधान नहीं था। पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क के बंद होने के कारणों पर मंत्रालय का उत्तर मौन थी।

तथ्य यह है कि दो पार्कों के लिए जारी ₹ 53.60 करोड़ की राशि का भारत सरकार का अनुदान निष्फल साबित हुआ। इन दोनों मामलों में, मंत्रालय द्वारा परियोजना प्रबंधन सलाहकार की भूमिका की और जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा,योजना के दिशानिर्देशों में भी कमी थी क्योंकि इसमें पार्कों में उनके पूरा होने के बाद सृजित संपत्तियों के उपयोग पर निगरानी के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं था।

अनुशंसा संख्या 10

मंत्रालय सूरत सुपर यार्न पार्क और पोचमपल्ली हथकरघा पार्क के मामले में परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा की गई चूकों और इसकी ऋणदाता की भूमिका की जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई करे।

(iii) लातूर एकीकृत वस्त्र पार्क, महाराष्ट्र

मंत्रालय ने लातूर एकीकृत वस्त्र पार्क को पूर्ण माना और अक्तूबर 2012 में अनुदान की अंतिम किस्त जारी की और तब से इसे अपने रिकॉर्ड में कार्यशील दिखाना जारी रखा। हालांकि,लेखापरीक्षा ने अक्तूबर 2021 में एसपीवी के प्रमुख प्रवर्तक (अर्थात् बॉम्बे रेयॉन फैशन्स लिमिटेड) के महाप्रबंधक की उपस्थिति में पार्क का दौरा किया और निम्नलिखित अनियमितताओं को देखा:

- पार्क बंद/शटडाउन था और साइट पर कोई उत्पादन गतिविधियां नहीं चल रही थीं। पार्क स्थल सुनसान पड़ा था।

- पार्क में बनाए गए बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, जल निकासी व्यवस्था, कारखाने के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पाए गए। बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी गई थी।

- कुछ इकाइयों में स्थापित सिलाई और काटने की मशीनें अक्रियाशील और बेकार पाई गईं।

लातूर एकीकृत वस्त्र पार्क, महाराष्ट्र	
चित्र 7 **पार्क का प्रवेश द्वार**	**चित्र 8** **निष्क्रिय मशीनों/उपकरणों को दर्शाती गारमेंटिग यूनिट**
चित्र 9 **अपूर्ण प्रशासनिक भवन**	**चित्र 10** **पार्क की चारदीवारी**

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में योजना के अनुसार क्रेच, बैंक एटीएम, डाकघर, श्रमिक आवास आदि जैसी सामान्य सुविधाओं का निर्माण नहीं पाया गया।

एसपीवी ने बताया कि लातूर शहर से 12-15 किमी की दूरी के कारण श्रमिकों को नहीं रखा जा सका, इसलिए पार्क बंद हो गया।

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, मांग के वैज्ञानिक आकलन तथा क्षेत्र की संभावना के आधार पर पार्क को स्थापित करने के लिए स्थान की पहचान के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार उत्तरदायी था। हांलाकि, लातूर एकीकृत वस्त्र पार्क परियोजना की असफलता इंगित करती है कि परियोजना प्रबंधन सलाहकार (मेसर्स टेक्नोपाक एडवाइजर्स प्रा. लि.) ने

पार्क के स्थान के संदर्भ निदानात्मक अध्ययन नहीं किया और पार्क की स्वीकृति की अनुशंसा कर दी। इस कारण पार्क पूर्ण होने के बाद बंद हो गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 51.31 लाख के सलाहकार शुल्क के भुगतान के अलावा ₹ 40 करोड़ (जीओआई अनुदान) का निष्फल व्यय हुआ।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि मुख्य कारण जिसकी वजह से पार्क का संचालन रुक गया वह यह था कि पार्क का मुख्य प्रवर्तक (अर्थात् बाम्बे रेयान फैशन्स लिमिटेड) वित्तीय संकट में था तथा यह राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण (एन सी एल टी) की प्रक्रिया के अधीन भी था। इस तरलता/वित्तीय संकट के कारण पार्क का संचालन बहुत अधिक प्रभावित हुआ। कोई पार्क सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है यदि इकाइयां संचालन में हों तथा प्रवर्तक की वित्तीय क्षमता अच्छी हो। मंत्रालय ने आगे कहा कि पार्क का स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 361 से केवल 6.5 कि.मी दूरी पर है तथा पार्क के आसपास अन्य उद्योग भी हैं। कामगारों के आने जाने के लिए बसें भी चल रही थी।

उत्तर मंत्रालय का बाद का विचार प्रतीत होता है क्योंकि मंत्रालय पार्क के बंद होने की स्थिति से अनभिज्ञ था तथा लेखापरीक्षा को इसकी स्थिति 'पूर्ण" के रूप में प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त, पार्क के बंद होने के लिए मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण एसपीवी द्वारा दिए गए कारणों से भिन्न थे। हालांकि, तथ्य यह है कि भारत सरकार के अनुदान के ₹ 40 करोड़ पार्क बंद होने के कारण निष्फल हो गए।

4.2 पार्क में गैर वस्त्र गतिविधियां जिसे 'पूर्ण' बताया गया

मंत्रालय ने डोडबल्लापुर एकीकृत वस्त्र पार्क, कर्नाटक को जून 2012 में पूर्ण हुआ मान लिया तथा तब से इसे अपने दस्तावेजों में लगातार कार्यशील दिखाया। जुलाई 2020 तक, मंत्रालय ने डाटा प्रस्तुत किया जिसमें पार्क में 550 व्यक्तियों को रोजगार के साथ 42 इकाइयों को संचालित दिखाया गया। लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2021 में पार्क का दौरा किया तथा निम्न पायाः

- पार्क में 70 इकाइयां संचालित थीं जिसमे से 55 इकाइयां गैर-वस्त्र गतिविधियों जैसे अभियांत्रिकी कार्य, फर्नीचर कार्य, बीज प्रसंस्करण इत्यादि के साथ संचालित थी।
- वास्तविक हिस्सेदारों/उद्यमियों ने अपने फैक्ट्री शेडों को गैर-वस्त्र गतिविधियों को चलाने के लिए किराए पर दे दिया था।

डोडबल्लापुर एकीकृत वस्त्र पार्क, कर्नाटक	
चित्र 11 **पार्क का मुख्य द्वार**	**चित्र 12** **गैर वस्त्र गतिविधि - अभियान्त्रिकी कार्य**
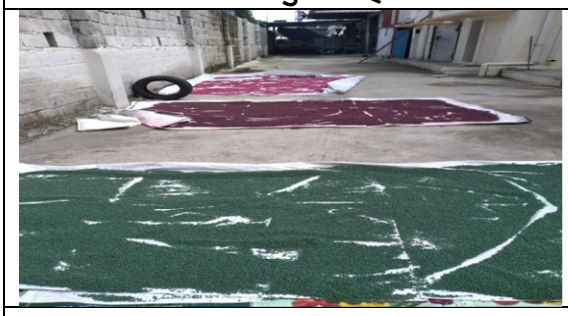	
चित्र 13 **गैर वस्त्र गतिविधि -बीज**	**चित्र 14** **बेकार पड़ा सामान्य सुविधा भवन**

- प्रशिक्षण केन्द्र में रखे गए उपकरणों (भारत सरकार के अनुदान से बनाये गए) को मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना बेच दिया गया।
- बहुउद्देश्यीय हॉल, डिज़ाइन केंद्र, प्रदर्शन केंद्र, डिस्पेंसरी इत्यादि जैसी सामान्य सुविधाओं के लिए निर्मित तीन अलग-अलग भवनों का कभी उपयोग नहीं किया गया और निर्माण के बाद से वे बेकार पड़े रहे।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि हो सकता है कि अधिकांशतः परियोजना पूर्ण होने के बाद पार्क के लिए बनाए गए फ्रेमवर्क से विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) विचलित हो गया हो। इसलिए, एसपीवी से इस संदर्भ में, वस्त्र इकाइयों को स्थापित करने/चलाए जाने के निर्देशन के साथ, स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

इस प्रकार, पार्क की लगातार निगरानी जारी रखने में मंत्रालय की विफलता के कारण पार्क में गैर-वस्त्र गतिविधियां संचालित हुई जिससे योजना के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए।

4.3 बैंक द्वारा इसकी इकाइयों को जब्त करने के बावजूद पार्क को "पूर्ण" माना गया

मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर एकीकृत वस्त्र पार्क, कठुआ स्वीकृत किया (नवम्बर 2011)। चूंकि यह पार्क जम्मू और कश्मीर में होने के कारण, विशेष वर्ग में आता है, इसलिए यह परियोजना की लागत के 90 *प्रतिशत* और अधिकतम सीमा ₹ 40 करोड़ तक भारत सरकार के अनुदान के लिए योग्य था। ₹ 44.11 करोड़ की परियोजना लागत में से, ₹ 35.73 करोड़ का भारत सरकार का अनुदान फरवरी 2015 तक जारी किया गया था तथा अनुदान की केवल अन्तिम किश्त जारी किए जाने के लिए लम्बित थी।

सितम्बर 2016 में, परियोजना प्रबंधन सलाहकार (आईएलएंडएफएस क्लस्टर डेवलपमेंट इनीशियेटिव लि.) ने भारत सरकार के अनुदान की अन्तिम किश्त जारी करने की अनुशंसा करते हुए कहा कि 27 अनुमोदित फैक्टरी इकाइयों में से 9 (33 *प्रतिशत*) ने प्रचालन प्रारम्भ कर दिया है। इसके पश्चात, मंत्रालय ने क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त, अमृतसर के कार्यालय से भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन मांगा जिसने दिसम्बर 2016 में पार्क का दौरा किया तथा पाया कि केवल तीन फैक्टरी इकाइयों (11 *प्रतिशत*) ने ही संचालन प्रारम्भ किया है जोकि जीओआई अनुदान की अंतिम किश्त जारी करने के लिए संचालन इकाइयों के 25 *प्रतिशत* के न्यूनतम मानदण्ड से मेल नहीं खाता है। इस प्रकार, परियोजना प्रबंधन सलाहकार ने पार्क को पूर्ण हुआ मानने तथा अंतिम अनुदान जारी करने की अनुशंसा करते समय गलत सूचना दी।

लेखापरीक्षा ने पार्क का क्षेत्र दौरा नवम्बर 2021 में किया और पाया किः

- पार्क में स्थापित 26 इकाइयों में से 17 इकाइयों को बैंकों ने जब्त कर लिया है।
- गैर-कपड़ा गतिविधियाँ (अर्थात् छत की चादरों का निर्माण) 2 इकाइयों में चल रही थीं।
- कुछ वस्त्र गतिविधियां प्रशासनिक ब्लाक तथा प्रशिक्षण केंद्र में देखी गई क्योंकि फैक्ट्री इकाइयों को बैंकों द्वारा जब्त कर लिया गया था।

जे एंड के एकीकृत वस्त्र पार्क, जम्मू एवं कश्मीर	
चित्र 15 **पार्क का मुख्य द्वार**	**चित्र 16** **बहिःस्त्राव संवहन तथा उपचार संयंत्र के लिए अपूर्ण अवसंरचना**
चित्र 17 **गैर वस्त्र गतिविधि - रूफ शीट का निर्माण**	**चित्र 18** **फैक्टरी बिल्डिंग का आंतरिक दृश्य**

- दो सामान्य अवसंरचना सुविधाएं जैसे बहिःस्त्राव संवहन एवं उपचार प्रणाली तथा कैप्टिव पावर प्लांट, यद्यपि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में नियोजित थे परन्तु पूर्ण/बनाये हुए नहीं पाए गए। साथ ही फैक्टरी भवन भी अपूर्ण थे।

मंत्रालय ने हांलाकि, फरवरी 2022 में दिए गए डाटा के अनुसार इस पार्क को पूर्ण हुआ मान लिया।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि परियोजना प्रबंधन सलाहकार ने सनदी लेखाकार एवं सनदी अभियंता से प्रमाण-पत्र के साथ प्रचालन के अधीन इकाईयों के बारे में सूचित किया था। इसके पश्चात, वस्त्र आयुक्त के कार्यालय ने विमुद्रीकरण के तुरंत बाद पार्क का दौरा किया तथा सूचना दी कि तीन इकाइयां संचालित थी जबकि अन्य इकाइयां विमुद्रीकरण के प्रभाव के कारण अस्थाई रूप से बंद थी। मंत्रालय ने आगे कहा (अगस्त 2022) कि पार्क को पूर्ण होने का दर्जा अभी दिया जाना शेष है तथा अन्तिम अनुदान भी अभी जारी किया जाना शेष है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त, अमृतसर की दौरा रिपोर्ट (दिसम्बर 2016) ने स्पष्ट रूप से बताया कि केवल तीन इकाइयों ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया था 11 अन्य इकाइयां वर्ष 2017 के प्रारम्भ में स्थापित होने की संभावना थी। आगे, लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त क्षेत्रीय दौरे के दौरान देखे गए अवलोकनों पर उत्तर मौन था। मंत्रालय का उत्तर कि पार्क को अभी पूर्ण होने का दर्जा दिया जाना शेष है इसके पहले के दिए गए उत्तर (जून 2022) तथा प्रस्तुत डाटा (फरवरी 2022) विरोधाभासी है जिसमें पार्क को पूर्ण दिखाया गया था।

4.4 आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के बिना पार्कों को 'पूर्ण' घोषित किया जाना

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना को शुरू करने का एक मुख्य उद्देश्य वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने वाली उनकी वस्त्र इकाइयों की स्थापना के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना था। योजना ने जीओआई अनुदान की सहायता का विचार मुख्यतः दो घटकों के लिए कियाः

(क) सामान्य बुनियादी ढांचा जैसे चारदीवारी, सड़कें, जल निकासी, पानी की आपूर्ति, कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) सहित बिजली की आपूर्ति, अपशिष्ट उपचार, दूरसंचार, तथा

(ख) परीक्षण प्रयोगशाला, डिजाइन केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, गोदाम, क्रेच, कैंटीन, श्रमिकों के छात्रावास, मनोरंजन सुविधाओं आदि जैसी सामान्य सुविधाओं के लिए भवन।

नमूने में लिए गए 10 'पूर्ण' पार्कों में से, निम्न पांच पार्कों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने ₹ 40.69 करोड़ मूल्य के सामान्य अवसंरचना एवं सुविधाओं के निर्माण को बिना सुनिश्चित किए, जिन्हें प्रारम्भ में उनके विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में नियोजित किया गया था, पार्क को पूर्ण मान लियाः

तालिका 12: पूर्ण पार्कों में सामान्य अवसंरचना और सुविधाओं को न बनाया जाना

क्र. स.	पूर्ण पार्क का नाम	महत्वपूर्ण सामान्य सुविधाओं का नियोजन परंतु निर्माण नहीं किया जाना
1.	लातूर एकीकृत वस्त्र पार्क प्रा. लि., महाराष्ट्र	₹ 80 लाख की अनुमानित लागत का प्रशासनिक भवन अपूर्ण पाया गया। सामान्य सुविधाएं जैसे क्रेच, बैंक एटीएम, पोस्ट आफिस इत्यादि को पार्क में नहीं बनाया गया।

क्र. स.	पूर्ण पार्क का नाम	महत्वपूर्ण सामान्य सुविधाओं का नियोजन परंतु निर्माण नहीं किया जाना
2.	जयपुर एकीकृत टेक्सक्राफ्ट पार्क प्रा. लि, राजस्थान	सामान्य सुविधाएं जैसे सेवा क्षेत्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, कामगारों के लिए आवास, प्रशिक्षण केंद्र, जांच केंद्र इत्यादि, जिन्हें ₹ 190.32 लाख की अनुमानित लागत से बनाया जाना था, नहीं बनाए गए थे।
3.	जेएंडके एकीकृत वस्त्र पार्क प्राइवेट लि. जम्मू एंड कश्मीर	सामान्य अवसंरचना जैसे ₹ 95.54 लाख की अनुमानित लागत के साथ बहिःस्त्राव संवहन और उपचार प्रणाली तथा ₹ 1250 लाख की अनुमानित लागत के साथ कैप्टिव पावर प्लांट पूर्ण नहीं हुआ।
4.	लोटस एकीकृत टेक्स पार्क लि., पंजाब	₹ 843.18 लाख की अनुमानित लागत की सामान्य अवसंरचनाएं जैसे सामान्य बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र तथा सीवेज उपचार संयंत्र नहीं बनाए गए। तथापि, एसपीवी ने योजना के अंतर्गत अपने स्वयं के सामान्य बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र तथा सीवेज उपचार संयंत्र के लिए अनुदान प्राप्त होने के बावजूद इन सुविधाओं की सेवा प्राप्त करने के लिए समीप की कम्पनी अर्थात् मेसर्स ट्राइडेंट लिमिटेड से विभिन्न करारों के अंतर्गत व्यवस्था की थी। पार्क को पूर्ण घोषित करते हुए तथा अनुदान की अंतिम किश्त मांगते हुए, एसपीवी ने प्रमाणित किया (अप्रैल 2012) कि ये सुविधाएं पूरी हो गई हैं।
5.	लुधियाना एकीकृत वस्त्र पार्क लि., पंजाब	₹ 1610 लाख की अनुमानित लागत की सामान्य सुविधाएं जैसे छात्रावास भवन, प्रशिक्षण केंद्र, जांच प्रयोगशाला, कैन्टीन, अग्निशमन स्टेशन, क्रेच इत्यादि नहीं बनाए गए

इस प्रकार, पूर्ण हुए पार्कों के मामले में, एसपीवी द्वारा पूर्ण होने की गलत घोषणा के मामले लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए। पार्क के पूर्ण होने को परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा भी अंतिम अनुदान जारी करवाने के लिए प्रमाणित किया गया। इन सभी मामलों में, परियोजना प्रबंधन सलाहकार तथा एसपीवी की भूमिका की मंत्रालय द्वारा उचित रूप से जांच तथा यदि आवश्यक हो तो, दंडात्मक कार्यवाही भी की जानी चाहिए।

मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि सामान्य अवसंरचना के अधिकांश निर्माण के बिना, पार्क को पूर्ण नहीं माना जा सकता है, और योजना के दिशानिर्देशों तथा पार्क को चलाने के लिए आवश्यक सामान्य सुविधाओं के निर्माण को ध्यान में रखते हुए उचित परीक्षण के बाद ही इसके द्वारा पार्क को पूर्ण का स्तर दिया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्तियों को संबंधित एसपीवी के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के आधार पर उठाया गया था जिसमें यह पाया गया था कि कथित अवसंरचनात्मक सुविधाएं उन पार्कों में नहीं बनाई गई थी।

4.5 सांविधिक अनुमति सुनिश्चित किए बिना बहुत अधिक अनुदान जारी करना

लेखापरीक्षा ने निर्माणाधीन पार्कों में से आठ का चयन किया तथा पांच पार्कों[27] में संयुक्त क्षेत्र दौरा किया। क्षेत्र दौरों में पाया गया कि तीन पार्कों[28], जहां ₹ 79.61 करोड़ के कुल अनुदान जारी के गए थे तथा जिन्हें मंत्रालय द्वारा संचालित माना गया था, अपनी स्वीकृति के समय से 6 वर्षों से अधिक से 16 वर्षों तक के लिए सांविधिक अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब के कारण रुके पड़े थे।

मंत्रालय ने पार्कों के प्रारम्भ होने से पहले सांविधिक अनुमति की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना परियोजना प्रबंधन सलाहकार की अनुशंसा के आधार पर इन तीन पार्कों को अनुदान (कुल अनुदान के 60 *प्रतिशत* से 79 *प्रतिशत* के बीच) जारी किया। इन मामलों की नीचे चर्चा की गई है:

(i) ईआईजीएमईएफ परिधान पार्क लि., पश्चिम बंगाल

मंत्रालय ने कम से कम 10,000 लोगों के लिए सीधे रोजगार सृजित करने के लिए महिषबाथन, कोलकाता में एक परिधान पार्क की स्थापना के प्रयोजन से जुलाई 2006 में इस पार्क की स्वीकृति दी। ₹ 40.00 करोड़ की जीओआई अनुदान सहायता के साथ ₹ 130.50

---

[27] ***कश्मीर वूल एंड सिल्क वस्त्र पार्क प्रा.लि. और इच्छापुर वस्त्र पार्क प्रा.लि. में क्षेत्र दौरा नहीं किया गया था क्योंकि इन पार्कों में अनुदान जारी नहीं किया गया था। हिमाचल वस्त्र पार्क लि. का क्षेत्र दौरा भी नहीं किया गया था क्योंकि चल रहे सतर्कता मामले के कारण पार्क के दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।***

[28] ***ईआईजीएमईएफ परिधान पार्क लि. पश्चिम बंगाल (अनुदान: ₹ 31.61करोड़), एसआईएमए वस्त्र प्रसंस्करण केन्द्र, तमिलनाडु (अनुदानः ₹ 24 करोड़) तथा एमएएस फैब्रिक पार्क (इंडिया) प्रा.लि., आंध्र प्रदेश (अनुदान: ₹ 24 करोड़)।***

करोड़ की परियोजना लागत की स्वीकृति दी गई जिसमें से ₹ 31.61 करोड़ (79 *प्रतिशत*) का अनुदान दिसम्बर 2017 तक जारी किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा अगस्त 2021 में क्षेत्र दौरा किया गया और पाया गया किः

- परियोजना स्थल पर कोई विनिर्माण गतिविधियां नहीं चल रही थी।

ईआईजीएमईएफ परिधान पार्क लिमिटेड, पश्चिमी बंगाल	
चित्र 19 **फैक्टरी बिल्डिंग की आंशिक निर्माण संरचना**	**चित्र 20** **सामान्य सुविधाओं के निर्माण के लिए स्थान**

- चारदीवारी के अतिरिक्त कोई अन्य अवसंरचनात्मक तथा सामान्य सुविधाएं निर्मित नहीं पायी गई।

दस्तावेजों के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि भवन की अधिरचना के निर्माण के बाद, बिधाननगर नगर निगम तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सांविधिक अनुमति की अनुपलब्धता के कारण सितम्बर 2011 में परियोजना रुक गई।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि एसपीवी ने पाइलिंग कार्य शुरू करने के लिए 2008 में बिधाननगर नगर निगम से अनुमति मांगी तथा एसपीवी का अनुरोध निगम द्वारा अनुमोदित किया गया जिसके आधार इसने कार्य प्रारम्भ किया तथा पाइलिंग कार्य को पूरा किया। पाइलिंग कार्य के पूर्ण होने पर, एसपीवी ने निगम से अधिसंरचना के निर्माण की अनुमति मांगी। इसके पश्चात, पार्क को सितम्बर 2013 में परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया तथा जनवरी 2015 में पुनर्जीवित किया गया जब भवन योजना को निगम द्वारा स्वीकृति दी गई। निर्माण शुरू करने के लिए अगस्त 2015 में एसपीवी द्वारा अंतिम अनुमोदन प्राप्त किए गए। मंत्रालय परियोजना अनुमोदन समिति के द्वारा इस परियोजना की समीक्षा कर रहा है।

तथ्य यह रह जाता है कि सांविधिक अनुमति की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य में विलंब हुआ और अंतिम अनुमति प्राप्त करने के छः वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी पार्क को पूरा नहीं किया जा सका।

(ii) एसआइएमए वस्त्र प्रसंस्करण केंद्र लि., तमिलनाडु

मंत्रालय ने 5000 लोगों के लिए सीधे रोजगार उत्पन्न करने के लिए 247.74 एकड़ से अधिक क्षेत्र में सात इकाइयों के साथ वस्त्र प्रसंस्करण पार्क की स्थापना के उद्देश्य से नवम्बर 2005 में इस पार्क की स्वीकृति दी। ₹ 40.00 करोड़ की जीओआई अनुदान सहायता के साथ ₹ 111.60 करोड़ की परियोजना लागत की स्वीकृति दी गई जिसमें से ₹ 24 करोड़ का अनुदान (60 *प्रतिशत*) फरवरी 2013 तक जारी किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि पार्क के लिए 10.50 मिलियन लीटर भूमिगत जल प्रति दिन निकालने के लिए भूमिगत जल बोर्ड, चेन्नई से एसपीवी द्वारा अनुमति नहीं ली गई जिससे पार्क में कार्य की प्रगति में अत्यधिक विलम्ब हुआ।

लेखापरीक्षा ने सितम्बर 2021 में पार्क का दौरा किया तथा पाया कि चारदीवारी तथा समुद्री बाहिर्वाह के लिए पाइपलाइन के अतिरिक्त, कोई फैक्टरी भवन तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं नहीं बनाई गई थी।

एसआईएमए वस्त्र प्रसंस्करण केंद्र, तमिलनाडु

चित्र 21
पार्क का मुख्य द्वार

चित्र 22
जल निकास व्यवस्था का आंशिक निर्माण

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि वर्तमान में तमिलनाडु का राज्य उद्योग उन्नयन निगम लि. प्रतिदिन 5.6 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति करने की स्थिति में है। यह भी कहा गया कि परियोजना कई कारकों की वजह से विलंबित हुई जिसमें से एक परियोजना को देरी से अनुमति मिलना था।

तथ्य यह रह जाता है कि मंत्रालय ने आधारभूत सुविधाएं जैसे पानी की उपलब्धता तथा संबंधित प्राधिकरण से अनुमति सुनिश्चित किए बिना अनुदान का 60 *प्रतिशत* जारी कर दिया। इस कारण से 2005 में स्वीकृत पार्क अपूर्ण रह गया।

(iii) एमएएस फैब्रिक पार्क (इंडिया) लि., आन्ध्र प्रदेश

मार्च 2008 में, वस्त्र मंत्रालय ने 581.68 एकड़ से अधिक भूमि में 16 वस्त्र इकाइयों के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में वस्त्र पार्क की स्थापना के उद्देश्य से परियोजना की स्वीकृति दी ताकि 31,000 लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न किया जा सके। ₹ 40 करोड़ के जीओआई अनुदान के साथ ₹ 254.70 करोड़ की परियोजना लागत की स्वीकृति दी गई जिसमें से ₹ 24 करोड़ का अनुदान (60 *प्रतिशत*) नवम्बर 2012 तक जारी किया गया। एसईजेड़ पार्कों के लिए कुछ प्रोत्साहन हटाए जाने के कारण एसपीवी ने एसईजेड़ क्षेत्र को निरस्त करवाने का निर्णय लिया जिसके लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। इसके पश्चात, परियोजना रुक गई क्योंकि पार्क के एसईजेड क्षेत्र को निरस्त कराने के लिए अनुमोदन तथा बहिःस्त्राव के समुद्री बहाव के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त नहीं किए गए।

लेखापरीक्षा ने दिसम्बर 2021 में पार्क का दौरा किया तथा पाया किः

- कंटीली बाड़ के साथ चारदीवारी के निर्माण के अतिरिक्त कोई अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं नहीं पाई गई।
- एमएएस अक्षय स्पोर्टवियर प्रा. लि. नामक एक वस्त्र बनाने वाली इकाई ने पार्क में संचालन प्रारम्भ किया था परन्तु यह भी अस्थाई रूप से बंद पाई गई।

एमएएस फैब्रिक पार्क (इंडिया) प्रा. लि., आंध्र प्रदेश	
चित्र 23 **कंटीलेतार वाली बाड़ के साथ चारदीवारी तथा खाली भूमि**	**चित्र 24** **बंद पड़ी एमएएस अक्षय स्पोर्टवियर प्रा. लि. का आंतरिक दृश्य**

- पार्क में कोई भी विनिर्माण गतिविधियां चलती हुई नहीं पाई गई।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि एसपीवी ने भूमि उपयोग के परिवर्तन, पर्यावरणीय अनुमति तथा स्थापना के लिए सहमति से संबंधित अनुमोदन प्राप्त कर लिए थे। परियोजना में देरी मुख्यतः एसईजेड़ क्षेत्र से भूमि को निरस्त कराने के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त न कर सकने के कारण हुई, जिसके लिए एसपीवी राज्य सरकार के साथ अनुवर्ती कार्यवाही कर रही है तथा यह जल्दी ही अपेक्षित है।

इस प्रकार, तीन पार्कों को ₹ 79.61 करोड़ के अनुदान की स्वीकृति से अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि सांविधिक मंजूरी की अनुपलब्धता के कारण पार्क अभी भी अपूर्ण है। यद्यपि उपरोक्त तीनों पार्क 10$^{वीं}$ तथा 11$^{वीं}$ योजना के दौरान स्वीकृत किए गए थे जहां योजना दिशानिर्देशों में मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करने की पूर्व शर्त के रूप में सांविधिक अनुमति की उपलब्धता की आवश्यकता नहीं थी, यह आवश्यक था कि ऐसी शर्तें लागू की जानी चाहिए थी क्योंकि पार्क में कार्य केवल सांविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही प्रारम्भ किया जा सकता था। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि 12$^{वीं}$ योजना अवधि के लिए योजना दिशानिर्देशों ने जीओआई अनुदान की दूसरी किश्त जारी करने की शर्तों में एक नई शर्त प्रारम्भ की जो निर्धारित करती है कि परियोजना को शुरू करने के लिए सभी आवश्यक सांविधिक अनुमतियाँ, पानी और विद्युत को शामिल करते हुए जो परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा प्रमाणित हों, उपलब्ध होनी चाहिए।

अध्याय-V

निगरानी और मूल्यांकन

10वीं और 11वीं योजना अवधि के लिए योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, वस्त्र मंत्रालय को समय-समय पर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करनी थी। परियोजना प्रबंधन सलाहकार को एक उपयुक्त निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली तैयार करनी थी और मंत्रालय को मासिक प्रतिवेदन/रिटर्न प्रस्तुत करनी थी। आगे, 12वीं योजना अवधि के लिए योजना दिशानिर्देशों में मंत्रालय ने वर्णित किया कि एक निगरानी समिति, जिसकी अध्यक्षता सचिव (वस्त्र) करेंगे व संयुक्त सचिव (एसआईटीपी) और निदेशक (एसआईटीपी) जिसके सदस्य होंगे, परियोजनाओं की निगरानी करेगी। इसके अतिरिक्त, पार्क की प्रगति की निगरानी और समन्वय के लिए वस्त्र मंत्रालय और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समन्वय समिति बनाई जाएगी।

योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकनों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

5.1 परियोजना प्रबंधन सलाहकारों की अप्रभावी भूमिका

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) पारदर्शी और पेशेवर तरीके से परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा, जिसके लिए मंत्रालय द्वारा शुल्क का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मामलों में पीएमसी की ओर से सम्यक् तत्परता की कमी देखी:

(i) लातूर एकीकृत वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र के मुख्य शहर से दूरी के कारण पार्क में मजदूरों को नहीं रखा जा सका और इसके परिणामस्वरूप पार्क पूरा होने के बाद बंद हो गया। इसके अतिरिक्त, एसआईएमए वस्त्र प्रसंस्करण केन्द्र, तमिलनाडु का काम मुख्य रूप से प्रति दिन 11 मिलियन लीटर पानी की अनुपलब्धता के कारण 16 वर्षों से अधिक समय से रुका हुआ था। इन मामलों से पता चलता है कि इन पार्कों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पीएमसी द्वारा महत्वपूर्ण कारकों जैसे पार्क के स्थान, श्रम की उपलब्धता, जल आपूर्ति आदि पर विचार किए बिना तैयार किए गए थे।

(ii) सांविधिक मंजूरी की अनुपलब्धता के कारण चार पार्क निरस्त कर दिए गए थे (पैरा 3.11 को संदर्भ में लें) और सांविधिक मंजूरी की अनुपलब्धता के कारण तीन पार्कों में काम रुका हुआ था (पैरा 4.5 को संदर्भ में लें)। मंजूरी की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना, पीएमसी ने अनुदान जारी करने की अनुशंसा की जिसके परिणामस्वरूप सात पार्कों में ₹ 107.75 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(iii) पार्कों के पूरा होने में एक वर्ष से लेकर 10 वर्ष से अधिक की देरी थी (पैरा 3.3 को संदर्भ में लें), जबकि पीएमसी की जिम्मेदारी थी कि वह परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा निर्धारित समापन तिथि के अनुसार परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करे।

(iv) पीएमसी, जिसके पास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और मंत्रालय को समय-समय पर प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी थी, ने कम से कम तीन मामलों में मंत्रालय को गलत सूचना दी (पैरा 3.7 को संदर्भ में लें)।

(v) जयपुर एकीकृत टेक्सक्राफ्ट पार्क प्रा .लिमिटेड, राजस्थान के मामले में सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्र और सीवेज शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए पीएमसी ने उच्चतम बोली लगाने वाले (सबसे कम बोली लगाने वाले के प्रति) का चयन किया। इस प्रकार, पीएमसी ने ठेकेदार का गलत चयन किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दायित्वों की पूर्ति में विफलता के बावजूद, पीएमसी के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई जो मुख्य रूप से परियोजनाओं की पहचान, मूल्यांकन, त्वरित कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार थे। इसके अतिरिक्त, 10$^{वीं}$ और 11$^{वीं}$ योजना अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा पीएमसी के साथ हस्ताक्षरित अनुबन्धों में पीएमसी से ज़मानत बंध-पत्र प्राप्त करने या उसकी ओर से किसी भी चूक की स्थिति में परिनिर्धारित हर्जाना प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं था। केवल 12$^{वीं}$ योजना अवधि में हस्ताक्षरित अनुबन्धों में ही बैंक प्रत्याभूति के रूप में व्यावसायिक शुल्क के 5 *प्रतिशत* की दर से निष्पादन सुरक्षा प्राप्त करने का प्रावधान शामिल किया गया था।

5.2 पीएमसी द्वारा निभाई गई भूमिका में हितों का टकराव

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएमसी को स्थानीय उद्योग की भागीदारी के साथ प्रत्येक पार्क में एसपीवी के गठन की सुविधा प्रदान करनी थी और पार्कों में सुविधाओं के बोली दस्तावेजों, निर्माण, संचालन और रखरखाव की तैयारी के लिए एजेंसियों के चयन में एसपीवी की सहायता करनी थी। आगे, मंत्रालय और पीएमसी के बीच किए गए अनुबन्धों

के प्रावधानों के अनुसार, पीएमसी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एसपीवी द्वारा ठेकेदारों/परामर्शदाताओं की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था। लेखापरीक्षा द्वारा दौरा किए गए 14 पार्कों (नौ पूर्ण पार्क और पाँच निर्माणाधीन पार्क) में से 13 पार्कों के दौरे में यह पाया गया कि पीएमसी स्वयं एसपीवी का सलाहकार बन गया था और उसने एसपीवी को कुछ सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अनुबन्ध किया था जो पहले से ही मंत्रालय के साथ किये गए अनुबन्ध का हिस्सा थी। पीएमसी द्वारा मंत्रालय के साथ-साथ एसपीवी को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 13: पीएमसी द्वारा मंत्रालय और एसपीवी को प्रदान की गई सेवाएं

मंत्रालय को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ	एसपीवी को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ
(क) उपयुक्त मानकों/प्रक्रियाओं को विकसित करना ताकि एसपीवी को डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, खरीद और निविदा देने में सहायता मिल सके। (ख) यह सुनिश्चित करना कि एसपीवी द्वारा परियोजनाओं को गुणवत्ता के उच्च मानकों के अनुसार निष्पादित किया जाता है। (ग) स्वीकृत पार्कों की परियोजना प्रगति की निगरानी करना और परियोजना अनुमोदन समिति को समय-समय पर प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। (घ) निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एसपीवी द्वारा ठेकेदारों/परामर्शदाताओं की नियुक्ति सुनिश्चित करना।	(क) परियोजना की योजना, इंजीनियरिंग और खरीद जिससे कि अनुबंध प्रदान किया जा सके। (ख) परियोजना निर्माण के दौरान परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण जिससे कि ठेकेदारों द्वारा कार्यों के चरणबद्ध समापन पर बिलिंग की जा सके। (ग) परियोजना को वित्त प्रदान करना जिससे कि एसपीवी द्वारा संसाधनों को जुटाया जा सके।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पीएमसी एसपीवी के गठन के लिए उद्यमियों की पहचान करने और उन कार्यों के कार्यान्वयन में मुख्य भूमिका निभा रहे थे जिनका पर्यवेक्षण उनके द्वारा किया जाना था और जिनकी प्रगति उनके द्वारा मंत्रालय को सूचित की जानी थी। इस प्रकार, पीएमसी की परस्पर विरोधी भूमिका थी जिसने उन्हें मंत्रालय को गलत सूचना देने का आधार प्रदान किया। पीएमसी पर अत्यधिक निर्भरता के कारण मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की स्वतंत्र निगरानी का पूर्ण अभाव था।

आगे, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मामलों में पीएमसी द्वारा निभाई गई भूमिका में हितों के टकराव को पाया:

(i) अनुदान की पहली किस्त के दूसरे भाग को जारी करने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता परियोजना के ऋण घटक के संबंध में बैंक से स्वीकृति पत्र की उपलब्धता थी। लेखापरीक्षा ने चार चयनित पार्कों[29] में पाया कि पीएमसी, जिनके पास पार्क की विश्वसनीयता की जांच करने का दायित्व था, ने स्वयं ऋण घटक के लिए एक स्वीकृति पत्र जारी किया और जीओआई अनुदान जारी करने की अनुशंसा की। इस प्रकार, पीएमसी एसपीवी को ऋण स्वीकृत करने और प्रदान करने में शामिल थे। योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवश्यक बैंक/वित्तीय संस्थान से स्वीकृति पत्र प्राप्त करने में एसपीवी की सहायता करने के प्रति, पीएमसी ने स्वयं एसपीवी को सावधि ऋण स्वीकृत किया और जीओआई अनुदान को जारी करने के लिए पार्कों को विश्वसनीय मानने की अनुशंसा की। इस प्रकार, एक ही एजेंसी द्वारा पार्क को सावधि ऋण स्वीकृत करना और इसे विश्वसनीय परियोजना के रूप में प्रमाणित करना हितों का टकराव था। उपरोक्त चार पार्कों में से दो[30] पार्क वित्तीय समस्याओं के कारण पूरा होने के तुरंत बाद बंद हो गए।

(ii) अनुबन्ध के अनुसार, जिस उद्देश्य के लिए निधि को स्वीकृत किया गया था, उसका उचित उपयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पीएमसी की थी। लेखापरीक्षा ने दो पार्कों[31] में पाया कि पीएमसी ने स्वयं एसपीवी को जारी किए गए जीओआई अनुदान से अपना परामर्श शुल्क (कुल ₹ 2.19 करोड) प्राप्त किया, जबकि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, जीओआई अनुदान का उपयोग केवल सामान्य अवसंरचना और सामान्य सुविधाओं के लिए किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एस्क्रो खाते में रखा गया जीओआई अनुदान आईएलएंडएफएस (इन परियोजनाओं के पीएमसी) के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था।

---

[29] सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड, गुजरात; ईआईजीएमईएफ परिधान पार्क लिमिटेड, पश्चिम बंगाल; डोडबल्लापुर एकीकृत वस्त्र पार्क लिमिटेड, कर्नाटक और पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क लिमिटेड, तेलंगाना।

[30] सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड, गुजरात और पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क लिमिटेड, तेलंगाना।

[31] जयपुर एकीकृत टेक्सक्राफ्ट पार्क प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान और ईआईजीएमईएफ परिधान पार्क लिमिटेड, पश्चिम बंगाल।

(iii) एक मामले[32] में, लेखापरीक्षा ने देखा कि पार्क के कर्ज में होने के कारण पार्क ने अपने प्रशिक्षण उपकरण और बुनाई पूर्व सुविधाओं को बेच दिया था। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पार्क ने पीएमसी से ही उच्च ब्याज दर पर ऋण लिया था और पीएमसी उस बोर्ड बैठक का भी हिस्सा था जहां ऋण की अदायगी के लिए जीओआई अनुदान से बनाई गई परिसंपति को बेचने का निर्णय लिया गया था।

यह भी पाया गया कि 10वीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत सभी 33 पार्कों के लिए पीएमसी के रूप में मंत्रालय द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएलएंडएफएस) को नियुक्त किया गया था। आगे, आईएलएंडएफएस 56 पूर्ण/निर्माणाधीन पार्कों में से 31 पार्कों (55 *प्रतिशत*) के संबंध में पीएमसी था।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि वह परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी व मंत्रालय को वस्त्र पार्कों में सहायता/प्रगति की रिपोर्ट देने के लिए पीएमसी की सेवाएं लेता है क्योंकि पीएमसी मंत्रालय की विस्तारित शाखा है और वह मंत्रालय और एसपीवी के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, एसपीवी के लिए पीएमसी तकनीकी कार्य में सहायता करता है और मंत्रालय के लिए वह प्रशासनिक कार्य करता है। हालांकि, 12वीं योजना अवधि के लिए योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएमसी को परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित कोई सेवा प्रदान करने के लिए एसपीवी के साथ ऐसा कोई भी अनुबन्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो मंत्रालय की राय में हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न करेगा। इसलिए, मंत्रालय की राय में, वहाँ हितों का कोई टकराव नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि वही पीएमसी मंत्रालय के साथ-साथ एसपीवी की ओर से सलाहकार बन जाता है तो हितों का स्पष्ट टकराव होता है। हालांकि मंत्रालय ने 12वीं योजना अवधि के लिए योजना दिशानिर्देशों में प्रावधान किया है कि पीएमसी एसपीवी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, तथ्य यह है कि 10वीं और 11वीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत मामलों में पीएमसी की परस्पर विरोधी भूमिका थी जिसके कारण पार्कों के अनुमोदन से लेकर पूरा होने तक सभी चरणों में पारदर्शिता की कमी थी।

---

[32] ***मैसर्स डोडबल्लापुर एकीकृत वस्त्र पार्क, कर्नाटक।***

5.3 परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा स्वतंत्र सत्यापन का अभाव

पीएमसी द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों को एक परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा स्वीकृत किया जाना था। इसके संचालन की प्रत्येक अवधि के लिए योजना के दिशानिर्देशों में परियोजना अनुमोदन समिति की एक अलग संरचना वर्णित थी जैसा कि **अनुलग्नक-I** में बताया गया है। योजना के संचालन के अधिकांश भाग के लिए, समिति की अध्यक्षता सचिव (वस्त्र) द्वारा की गई थी। हालाँकि, 12वीं योजना अवधि के बाद (01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020) के योजना दिशानिर्देशों में, वस्त्र मंत्री को समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। परियोजना अनुमोदन समिति अपने द्वारा स्वीकृत पार्कों की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए भी जिम्मेदार थी। परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा की गई समीक्षा और अनुशंसा के आधार पर निधियां भी जारी की जानी थीं।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा पार्कों की प्रगति की समीक्षा एक स्वतंत्र कार्य नहीं था बल्कि परियोजना प्रबंधन सलाहकार/एसपीवी द्वारा प्रदान की गई सूचना पर आधारित था। परिणामस्वरूप, ऐसे दो मामले सामने आए जहाँ (i) विशेष प्रयोजन तंत्र ने परियोजना प्रबंधन सलाहकार के साथ मिलकर धोखाधड़ी से अनुदान प्राप्त किया[33] और (ii) मंत्रालय ने विशेष प्रयोजन तंत्र और परियोजना प्रबंधन सलाहकार के विरुद्ध आवश्यक जानकारी को छुपाते हुए और परियोजना की स्वीकृति (सितंबर 2011) के समय भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करते हुए गलत और फर्जी दस्तावेज[34] प्रस्तुत करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्णय लिया।

अनुशंसा करने से पहले परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा स्वतंत्र सत्यापन योजना के कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बना सकता था।

5.4 राज्य सरकारों की गैर-भागीदारी

योजना के तहत स्वीकृत किसी भी परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए, राज्य सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। योजना के दिशा-निर्देशों में सभी आवश्यक मंजूरी प्रदान करने, उपयुक्त भूमि की पहचान और खरीद आदि में राज्य सरकार की भूमिका की

---

[33] *ईआईजीएमईएफ परिधान पार्क लिमिटेड, पश्चिम बंगाल के मामले में।*

[34] *हिमाचल वस्त्र पार्क, हिमाचल प्रदेश के मामले में।*

परिकल्पना की गई थी। हालांकि, दिशानिर्देशों में राज्य सरकारों को शामिल करने के लिए एक प्रभावी तंत्र निर्धारित नहीं किया गया था।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पार्कों की स्थापना के लिए स्थान की पहचान परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा की जाएगी और राज्य सरकार ऐसी पहचान और भूमि की खरीद में सहायता करेगी। लेखापरीक्षा ने तथापि, देखा कि पार्कों के अनुमोदन से पहले मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों की अनुशंसाएँ नहीं मांगी गई थीं। परियोजनाओं के उपयुक्त स्तर पर राज्य सरकारों की गैर-भागीदारी स्वीकृत पार्कों के मामले में योजना के खराब प्रदर्शन के लिए एक मुख्य कारण रहा है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि सांविधिक अनुमोदन/मंजूरी में देरी, एसपीवी द्वारा गलत भूमि का चयन, भूमि आवंटन से संबंधित मुद्दों, आदि के कारण नौ पार्कों की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा (पैराग्राफ 3.3, 3.11 और 4.5 के संदर्भ में देखें)।

12$^{वीं}$ योजना अवधि के लिए योजना के संदर्भ में मई 2013 में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, योजना आयोग ने सुझाव दिया था कि नए पार्क को मंजूरी देने से पहले राज्य सरकार की अनुशंसाएँ प्राप्त की जानी चाहिए। हालांकि, वस्त्र मंत्रालय ने उत्तर दिया कि पार्कों की स्थापना के लिए राज्य से अनुशंसा मांगने से मंत्रालय द्वारा जांच के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में और देरी होगी और इसलिए योजना के दिशानिर्देशों में, राज्य सरकारों से भूमि, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति और सांविधिक मंजूरी प्रदान करने के लिए मंत्रालय के साथ अनुबन्ध पर हस्ताक्षर के माध्यम से भाग लेने का अनुरोध किया जाएगा। तथापि, मंत्रालय की प्रतिक्रिया उचित नहीं थी क्योंकि मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों की त्वरित जांच का कोई लाभ नहीं होगा यदि परियोजना के प्रारंभ होने से पहले राज्य सरकार से सांविधिक मंजूरी प्राप्त नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के साथ किसी अनुबन्ध पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, जैसा कि मंत्रालय की प्रतिबद्धता थी। इस प्रकार, वर्ष 2005 में अपनी शुरुआत से ही, इस योजना में एक पार्क की स्थापना के लिए प्रस्ताव की शुरुआत से ही राज्य सरकारों की भागीदारी के लिए एक तंत्र निर्धारित किया जाना चाहिए था।

5.5 जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन न होना

12$^{वीं}$ योजना अवधि के लिए योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, पार्कों की प्रगति की निगरानी और समन्वय के लिए वस्त्र मंत्रालय और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ जिला

कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समन्वय समिति बनाई जानी थी। हालांकि,लेखापरीक्षा ने नमूना मामलों में पाया कि पार्कों की प्रगति की निगरानी के लिए ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई थी।

5.6 वस्त्र आयुक्त/क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्तों को पार्कों की निगरानी में शामिल न करना

योजना के दिशा-निर्देशों में वस्त्र आयुक्त/क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्तों की भूमिका की परिकल्पना नहीं की गई थी। मंत्रालय को कभी-कभी उनसे रिपोर्ट मिलती थी जब भी इसकी आवश्यकता महसूस होती थी। योजना में एक प्रभावी निगरानी और अनुवर्ती तंत्र का अभाव था। वस्त्र आयुक्त/क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्तों की एक सुपरिभाषित भूमिका मंत्रालय द्वारा समय पर हस्तक्षेप और प्रभावी क्षति नियंत्रण सुनिश्चित करने में बहुत उपयोगी हो सकती थी।

योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित है कि परियोजना प्रबंधन सलाहकार मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा जो सचिव (वस्त्र) के अधीक्षण और नियंत्रण के तहत प्रत्यक्ष रूप से परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। वस्त्र आयुक्त/क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त का कार्यालय परियोजना कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण में मंत्रालय के लिए आंख और कान की भूमिका निभा सकता था।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि वस्त्र आयुक्त परियोजना अनुमोदन समिति में सदस्य थे और उन्हें समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता था। परियोजना के लिए अनुदान जारी करने पर विचार करने से पहले, वस्त्र आयुक्त के कार्यालय से भौतिक और वित्तीय प्रगति, टिप्पणियों/अनुशंसाओं आदि सहित एक दौरा प्रतिवेदन माँगा जाता था। वस्त्र आयुक्त/क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दौरे किये जाते थे। इस प्रकार, इसमें वस्त्र आयुक्त के कार्यालय की भागीदारी है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में लेखापरीक्षा को वस्त्र आयुक्त से कोई दौरा प्रतिवेदन नहीं मिला। आगे, योजना के दिशा-निर्देशों में पार्कों की पहचान, कार्यान्वयन और निगरानी में वस्त्र आयुक्त की किसी भी भूमिका की परिकल्पना नहीं की गई थी, हालांकि कभी-कभी वस्त्र आयुक्त से निरीक्षण प्रतिवेदन माँगा जाता था। लेखापरीक्षा ने अधिकांश चयनित पार्कों में पाया कि मंत्रालय ने केवल परियोजना प्रबंधन सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट के आधार पर जीओआई अनुदान जारी किया था और पार्कों को पूर्ण माना था।

अध्याय-VI

निष्कर्ष

वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) ने वर्ष 2005 (10वीं योजना अवधि) में 'एकीकृत वस्त्र पार्कों के लिए योजना' (एसआईटीपी) शुरू की थी, जिसका उद्देश्य उद्योग के लिए एकीकृत वस्त्र पार्कों के रूप में वस्त्र इकाईयों की स्थापना हेतु विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाएं निर्मित करना था। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और निवेश में वृद्धि होगी। इस योजना में 25 पार्कों के विकास के माध्यम से मार्च 2007 तक पांच लाख नौकरियों के सृजन की परिकल्पना की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि योजना नियोजित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही। योजना के अंतर्गत स्वीकृत 98 पार्कों में से 42 पार्कों (43 *प्रतिशत*) को निरस्त कर दिया गया था और योजना की शुरुआत से केवल 26 पार्कों (27 *प्रतिशत*) को ही पूरा किया जा सका था। पार्कों को पूरा करने में अत्यधिक विलंब हुआ और 10वीं योजना अवधि (2005-07) में इस योजना की शुरुआत के समय स्वीकृत पांच पार्क अभी भी पूरे नहीं हुए थे। मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने की प्रतिबद्धता के बावजूद पार्कों की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और खरीद के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया। इससे स्वीकृत पार्कों की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि उन्हें भूमि आवंटन और सांविधिक मंजूरी के अभाव में समय पर पूरा नहीं किया जा सका।

मंत्रालय ने 10वीं योजना अवधि के बाद योजना के अंतर्गत प्राप्ति के मापनीय लक्ष्यों को समाप्त कर दिया था। योजना के तीन चिन्हित लक्ष्यों, नामतः रोजगार सृजन, निवेश और वस्त्र इकाइयों की स्थापना की प्राप्ति में भारी कमी थी। फरवरी 2022 तक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में किये गए अनुमानों की तुलना में 56 पूर्ण/निर्माणाधीन पार्कों (नवंबर 2005 से जून 2016 के बीच स्वीकृत) के लिए समग्र प्राप्ति रोजगार सृजन के संदर्भ में केवल 30 *प्रतिशत*, निवेश में 50 *प्रतिशत* और वस्त्र इकाइयों की स्थापना में 37 *प्रतिशत* थी। इस प्रकार योजना के तहत स्वीकृत पार्कों को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया ₹ 1592.52 करोड़ का अनुदान काफी हद तक निष्फल साबित हुआ जिसके परिणामस्वरूप लोक धन की बर्बादी हुई।

योजना का खराब प्रदर्शन एक पार्क में एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला के प्रमुख घटकों, जैसे कि कताई, बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान, के अभाव के कारण था। लेखापरीक्षा द्वारा चुने गए 17 पार्कों में से केवल तीन पार्कों में पूरी तरह से एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला थी। सभी मामलों में पार्कों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था और परियोजना प्रबंधन सलाहकारों (पीएमसी) की ओर से गलत सूचना के मामले पाए गए। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने एसपीवी की खराब वित्तीय स्थिति, श्रमिकों की कार्य स्थल से दूरी और बैंकों द्वारा पार्क की इकाइयों को जब्त किए जाने के कारण पूर्ण किए गए पार्कों को बंद पाए जाने के उदाहरण भी देखे। मंत्रालय भौतिक सत्यापन की कमी और पीएमसी द्वारा प्रदान की गई सूचना, जो कई मामलों में भ्रामक पाई गई, पर निर्भरता के कारण इस जानकारी से अनभिज्ञ था। लेखापरीक्षा ने पाया कि पूर्ण घोषित किये जा चुके पार्क बुनियादी सुविधाओं से रहित थे जैसे कि बैंक एटीएम, डाक घर, छात्रावास, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, बहिस्राव संवहन और शोधन प्रणाली आदि, जो, हालांकि पार्कों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में परिकल्पित थे, किन्तु निर्मित नहीं किए गए।

परियोजना प्रबंधन सलाहकारों को पारदर्शी तरीके से योजना के कार्यान्वयन में एक प्रमुख भूमिका निभानी थी। कार्यान्वयन की निगरानी और पार्कों का समय पर पूर्ण होना सुनिश्चित करना पीएमसी की जिम्मेदारी थी। तथापि, पीएमसी क्षेत्र की क्षमता के आधार पर वस्त्र पार्कों की स्थापना के लिए उचित स्थानों की पहचान करने में, अपेक्षित सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए एसपीवी को सुविधाएं प्रदान करने में एवं परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन की निगरानी करने के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असफल रहे। आगे, पीएमसी द्वारा निभाई गई भूमिका में हितों का टकराव था, क्योंकि कुछ मामलों में, पीएमसी ने बैंकों से ऋण प्राप्त करने में एसपीवी की सहायता करने के प्रति स्वयं ऋण घटक के लिए एक स्वीकृति पत्र जारी किया। लेखापरीक्षा ने ऐसे दृष्टांत देखे जहां योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में एसपीवी को सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएमसी ने स्वयं सरकारी अनुदान से अपना परामर्श शुल्क प्राप्त किया।

जबकि 98 स्वीकृत पार्कों में से 42 को निरस्त कर दिया गया, यह पाया गया कि 10 पार्कों के एसपीवी से ₹ 77.34 करोड़ का अनुदान वसूली के लिए लंबित था। मंत्रालय ने योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार इन एसपीवी से ₹ 117.72 करोड़ का दंडात्मक ब्याज वसूल नहीं किया। 10$^{वीं}$ और 11$^{वीं}$ योजना अवधि के लिए योजना के दिशानिर्देश सरकार के वित्तीय हितों को पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं करते थे क्योंकि इसमें जारी अनुदानों के

लिए एसपीवी से बैंक प्रत्याभूति प्राप्त करने का प्रावधान नहीं था। ज़मानत बंध-पत्र प्राप्त करने की सुरक्षा को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि मंत्रालय के प्रतिनिधि ने ज़मानत बंध-पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। परिणामस्वरूप, वह न्यायालय में बकाया राशि की वसूली के लिए आगे नहीं बढ़ सका।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्यों में वस्त्र आयुक्त/क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्तों के कार्यालय होने के बावजूद, पार्कों की निगरानी के लिए योजना में उनकी किसी भूमिका की परिकल्पना नहीं की गई, यद्यपि कभी-कभार मंत्रालय द्वारा उनसे निरीक्षण प्रतिवेदन माँगा जाता था।

इस प्रकार, वस्त्र उद्योग को विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2005 में शुरू की गई योजना लागू होने के 17 साल बाद भी रोजगार के अवसर पैदा करने, निवेश बढ़ाने और वस्त्र इकाइयों की स्थापना करने के अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी हद तक विफल रही।

(आर जी विश्वनाथन)
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली
दिनांक: 30 जनवरी 2023

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 31 जनवरी 2023

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

(पैरा 1.2.4 और 5.3 में संदर्भित)

परियोजना अनुमोदन समिति की संरचना

10वीं योजना अवधि (2005-07) के लिए योजना दिशानिर्देशों के अनुसार		
(i)	सचिव (वस्त्र)	समिति के अध्यक्ष
(ii)	सलाहकार (उद्योग), योजना आयोग	सदस्य
(iii)	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य/वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
(iv)	वस्त्र आयुक्त, मुम्बई	सदस्य
(v)	संयुक्त सचिव (पीएफ-II) व्यय विभाग	सदस्य
(vi)	संयुक्त सचिव (अवसंरचना), वाणिज्य विभाग	सदस्य
(vii)	संयुक्त सचिव (आईआईयूएस) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	सदस्य
(viii)	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
(ix)	संयुक्त सचिव **(**निर्यात**),** वस्त्र मंत्रालय	सदस्य सचिव
11वीं योजना अवधि (2007-12) के लिए योजना दिशानिर्देशों के अनुसार		
(i)	सचिव (वस्त्र)	समिति के अध्यक्ष
(ii)	सलाहकार (उद्योग), योजना आयोग	सदस्य
(iii)	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
(iv)	वस्त्र आयुक्त, मुम्बई	सदस्य
(v)	संयुक्त सचिव (पीएफ-**II)** व्यय विभाग	सदस्य
(vi)	संयुक्त सचिव (अवसंरचना), वाणिज्य विभाग	सदस्य
(vii)	संयुक्त सचिव (आईआईयूएस) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	सदस्य
(viii)	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
(ix)	संयुक्त सचिव (एसआईटीपी), वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
(x)	निदेशक (एसआईटीपी), वस्त्र मंत्रालय	सदस्य सचिव
12वीं योजना अवधि (2012-17) के लिए योजना दिशानिर्देशों के अनुसार		
(i)	सचिव (वस्त्र)	समिति के अध्यक्ष
(ii)	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
(iii)	संयुक्त सचिव (एसआईटीपी), वस्त्र मंत्रालय	सदस्य

(12वीं योजना अवधि के बाद (01.04.2017 से 31.03.2020) के लिए योजना दिशानिर्देशों के अनुसार)		
(i)	वस्त्र मंत्री	अध्यक्ष
(ii)	सचिव (वस्त्र)	सदस्य
(iii)	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
(iv)	संयुक्त सचिव (वस्त्र) अवसंरचना प्रभाग के प्रभारी	सदस्य
(v)	वस्त्र आयुक्त, मुंबई	सदस्य
(vi)	संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	सदस्य
(vii)	संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य
(viii)	संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	सदस्य
(ix)	संयुक्त सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	सदस्य
(x)	संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि	सदस्य
(xii)	वस्त्र अनुसंधान संघों और उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रितों के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।	

अनुलग्नक-II

(पैरा 1.4 में संदर्भित)

योजना के अन्तर्गत भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निधियों को जारी करना।

10वीं योजना अवधि (2005-07) के लिए योजना दिशानिर्देशों के अनुसार	
(i)	परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा परियोजना के अनुमोदन के तुरंत बाद अग्रिम के रूप में भारत सरकार के कुल हिस्से का 30 *प्रतिशत* जारी होगा। हालांकि, पहली किस्त जारी होने से पहले, यह देखा जाएगा कि परियोजना को वित्तीय संस्थान द्वारा विश्वसनीय परियोजना के रूप में मूल्यांकित किया गया है और एकीकृत वस्त्र पार्क के लिए विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) द्वारा भूमि प्राप्त कर ली गई है। परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा लिये गये निर्णय (नवम्बर 2005) के अनुसार, प्रथम किस्त दो भागों में निम्नानुसार जारी की जायेगी: (i) परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा परियोजना की स्वीकृति के बाद भारत सरकार की हिस्सेदारी का 10 *प्रतिशत* जारी होगा। (ii) निविदा दिए जाने के बाद भारत सरकार की हिस्सेदारी का 20 *प्रतिशत* जारी होगा।
(ii)	पहली किस्त के उपयोग के बाद और एसपीवी द्वारा आनुपातिक व्यय करने के बाद (अर्थात् एसपीवी के हिस्से का 30 *प्रतिशत*) भारत सरकार के कुल हिस्से का 30 *प्रतिशत* जारी होगा। दूसरी किस्त के लिए दावा करते समय एसपीवी द्वारा पहली किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
(iii)	दूसरी किस्त के उपयोग के बाद और एसपीवी द्वारा आनुपातिक व्यय करने के बाद (अर्थात् एसपीवी के हिस्से का एक और 30 *प्रतिशत*) भारत सरकार के कुल हिस्से का 30 *प्रतिशत* जारी होगा। एसपीवी द्वारा तीसरी किस्त के लिए दावा करते समय दूसरी किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
(iv)	परियोजना के सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद और एकीकृत वस्त्र पार्क में 25 *प्रतिशत* इकाइयों द्वारा अपना उत्पादन शुरू करने के बाद भारत सरकार के कुल हिस्से का 10 *प्रतिशत* जारी किया जाएगा। अंतिम किस्त के लिए दावा करते समय एसपीवी द्वारा तीसरी किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा।
11वीं योजना अवधि (2007-12) के लिए योजना दिशानिर्देशों के अनुसार	
(i)	30 *प्रतिशत* की पहली किस्त दो भागों में जारी की जाएगी: • भारत सरकार के कुल हिस्से के 10 *प्रतिशत* का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली किस्त के पहले भाग का भुगतान एसपीवी को निम्न मानदंडों को पूरा करने के अधीन किया जाएगा:

	(क) एसपीवी की स्थापना (ख) एसपीवी के निदेशक मंडल में भारत सरकार के एक प्रतिनिधि और परियोजना प्रबंधन सलाहकार के एक प्रतिनिधि को शामिल करना। (ग) एसपीवी के कब्जे में भूमि का होना। (घ) एसपीवी द्वारा अपने सदस्यों को आवंटित क्षेत्र के अनुपात में शेयर जारी करना। (ड़) शेयरधारकों के करार का निष्पादन। (च) एक राष्ट्रीयकृत बैंक में एस्क्रो खाते की स्थापना। (छ) उपरोक्त बिंदुओं (क) से (च) की पुष्टि करने वाली परियोजना प्रबंधन सलाहकार की अनुशंसा। (ज) परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा विधिवत रूप से मान्य और परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन। • पहली किस्त का दूसरा भाग, जो भारत सरकार के कुल हिस्से का 20 *प्रतिशत* है, एसपीवी को इसका भुगतान निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के अधीन किया जाएगा: (क) पहली किस्त के पहले भाग के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र। (ख) इक्विटी योगदान का विवरण (ग) ऋण घटक के लिए स्वीकृति पत्र, यदि एसपीवी सावधि ऋण ले रहा है। (घ) भूमि लागत को छोड़कर कुल परियोजना लागत के कम से कम 30 *प्रतिशत* के बराबर के अनुबंध प्रदान करना
(ii)	पहली किस्त के उपयोग के बाद और एसपीवी द्वारा आनुपातिक व्यय (अर्थात भारत सरकार के द्वारा जारी हिस्से का 1.5 गुना) के बाद भारत सरकार के कुल हिस्से का 30 *प्रतिशत* जारी होगा। दूसरी किस्त के लिए दावा करते समय एसपीवी द्वारा पहली किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
(iii)	दूसरी किस्त के उपयोग के बाद और एसपीवी द्वारा आनुपातिक व्यय (अर्थात भारत सरकार के द्वारा जारी शेयर का 1.5 गुना) के बाद भारत सरकार के कुल हिस्से का 30 *प्रतिशत* जारी होगा। एसपीवी द्वारा तीसरी किस्त के लिए दावा करते समय दूसरी किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
(iv)	परियोजना के सफल समापन के बाद और एकीकृत वस्त्र पार्क में 25 *प्रतिशत* इकाइयों द्वारा अपना उत्पादन शुरू करने के बाद भारत सरकार के कुल हिस्से का 10 *प्रतिशत* जारी किया जाएगा। एसपीवी द्वारा अंतिम किस्त के लिए दावा करते समय तीसरी किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा।

12वीं योजना अवधि (2012-17) के लिए योजना दिशानिर्देशों के अनुसार	
(i)	भारत सरकार के कुल हिस्से के 10 *प्रतिशत* की पहली किस्त का भुगतान मंत्रालय एसपीवी को समान राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने और निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने पर करेगा: (क) एसपीवी की स्थापना (ख) एसपीवी के निदेशक मंडल में भारत सरकार के एक प्रतिनिधि और परियोजना प्रबंधन सलाहकार के एक प्रतिनिधि को शामिल करना। (ग) एसपीवी के कब्जे में भूमि का होना। (घ) एसपीवी द्वारा अपने सदस्यों को आवंटित क्षेत्र के अनुपात में शेयर जारी करना। (ड़) शेयरधारकों के करार का निष्पादन। (च) एक राष्ट्रीयकृत बैंक में एस्क्रो खाते की स्थापना। (छ) उपरोक्त बिंदुओं (क) से (च) की पुष्टि करने वाली परियोजना प्रबंधन सलाहकार की अनुशंसा। (ज) परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा विधिवत रूप से मान्य और परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ।
(ii)	भारत सरकार के कुल हिस्से के 15 *प्रतिशत* के बराबर दूसरी किस्त का भुगतान एसपीवी द्वारा एसपीवी को जारी अनुदान के आनुपातिक योगदान (अर्थात् सभी स्रोतों से एसपीवी के कुल शेयर का 25 *प्रतिशत*) और निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के अधीन किया जाएगा- (क) पहली किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र। (ख) इक्विटी योगदान का विवरण। (ग) ऋण घटक के लिए स्वीकृति पत्र, यदि एसपीवी सावधि ऋण ले रहा है। (घ) भूमि लागत को छोड़कर कुल परियोजना लागत के कम से कम 30 *प्रतिशत* के बराबर के अनुबंध प्रदान करना (ड) परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा प्रमाणित पानी और बिजली सहित, परियोजना शुरू करने के लिए आवश्यक सभी सांविधिक स्वीकृति की उपलब्धता। (च) मंत्रालय द्वारा अनुदान की दूसरी किस्त मंजूर किए जाने पर एसपीवी द्वारा दी गई बैंक गारंटी वापस कर दी जाएगी। (छ) किस्त का दावा करते समय भारत सरकार के अनुदान पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, वापिस/समायोजित किया जाएगा। दावे के साथ बैंक से एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii)	भारत सरकार के कुल हिस्से के 25 *प्रतिशत* के बराबर तीसरी किस्त दूसरी किस्त के उपयोग के बाद और एसपीवी द्वारा आनुपातिक व्यय (अर्थात् सभी स्रोतों से एसपीवी के कुल शेयर का 50 *प्रतिशत*) किए जाने के बाद जारी की जाएगी। एसपीवी द्वारा तीसरी किस्त के लिए दावा करते समय दूसरी किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। भारत सरकार के अनुदान पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, किस्त का दावा करते समय वापिस/समायोजित किया जाएगा। दावे के साथ बैंक से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा
(iv)	भारत सरकार के कुल हिस्से के 25 *प्रतिशत* के बराबर चौथी किस्त तीसरी किस्त के उपयोग के बाद और एसपीवी द्वारा (अर्थात् सभी स्रोतों से एसपीवी के कुल शेयर का 75 *प्रतिशत*) आनुपातिक व्यय करने के बाद जारी की जाएगी। चौथी किस्त के लिए दावा करते समय एसपीवी द्वारा तीसरी किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। भारत सरकार के अनुदान पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, किस्त का दावा करते समय वापस/समायोजित किया जाएगा। दावे के साथ बैंक से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
(v)	भारत सरकार के कुल हिस्से के 25 *प्रतिशत* के बराबर पांचवीं किस्त को परियोजना के सफल समापन के बाद और एकीकृत वस्त्र पार्क (या विशिष्ट परियोजना के सफल समापन के लिए परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा निर्धारित उच्च प्रतिशतता) में 33 *प्रतिशत* इकाइयों के अपना उत्पादन शुरू करने के बादजारी किया जाएगा। अंतिम किस्त के लिए दावा करते समय एसपीवी द्वारा चौथी किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा। भारत सरकार के अनुदान पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, किस्त का दावा करते समय वापस/समायोजित किया जाएगा। दावे के साथ बैंक से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
12वीं योजना अवधि के बाद (01.04.2017 से 31.03.2020) के लिए योजना दिशानिर्देशों के अनुसार	
(i)	भारत सरकार के कुल हिस्से के 30 *प्रतिशत* के बराबर पहली किस्त का भुगतान एसपीवी को निम्न पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन किया जाएगा: (क) एसपीवी मंत्रालय को एक समान राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा। (ख) एसपीवी की स्थापना (ग) एसपीवी के कब्जे में भूमि का होना। (घ) परियोजना शुरू करने के लिए आवश्यक सभी सांविधिक स्वीकृति की उपलब्धता। (ड़) एसपीवी के निदेशक मंडल में भारत सरकार के एक प्रतिनिधि और राज्य के एक प्रतिनिधि को शामिल करना।

	(च) एसपीवी द्वारा अपने सदस्यों को उनके लिए आवंटित क्षेत्र के अनुपात में शेयर जारी करना। (छ) शेयरधारकों के करार का निष्पादन। (ज) एक राष्ट्रीयकृत बैंक में दो एस्क्रो खाते (न्यास और प्रतिधारण खाते) खोलना। एस्क्रो लेखों का संचालन वस्त्र आयुक्त के संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। (झ) परियोजना अनुमोदन समिति का अनुमोदन।
(ii)	भारत सरकार के कुल हिस्से के 40 *प्रतिशत* के बराबर दूसरी किस्त का भुगतान एसपीवी को निम्न पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन किया जाएगा: (क) एसपीवी को अपने आनुपातिक योगदान का व्यय अर्थात सभी स्रोतों से कुल एसपीवी शेयर का 70 *प्रतिशत* खर्च करना होगा। (ख) पहली किस्त के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (ग) इक्विटी योगदान का विवरण। (घ) ऋण घटक के लिए स्वीकृति पत्र, यदि एसपीवी सावधि ऋण ले रहा है। (ड़) भूमि की लागत को छोड़कर कुल परियोजना लागत के 100 *प्रतिशत* मूल्य के ठेके देना। (च) किस्त का दावा करते समय भारत सरकार के अनुदान पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, वापिस/समायोजित किया जाएगा। दावे के साथ बैंक से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। (छ) वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रगति प्रतिवेदन। मंत्रालय द्वारा अनुदान की दूसरी किस्त की स्वीकृति के बाद, एसपीवी द्वारा दी गई बैंक गारंटी एसपीवी द्वारा तीसरी किस्त के बराबर राशि के साथ अपना शेष अंशदान प्रस्तुत करने पर ही वापस की जाएगी।
(iii)	भारत सरकार के कुल हिस्से के 30 *प्रतिशत* के बराबर अंतिम किस्त को निम्न को पूरा करने के अधीन जारी किया जाएगा: (क) एसपीवी द्वारा सभी स्रोतो से प्राप्त एसपीवी हिस्से का 100 *प्रतिशत* व्यय किया गया हो। (ख) समस्त बुनियादे ढांचे को पूरा किया गया हो। (ग) बुनियादी ढांचे और के सफल समापन और वादा किए गए रोजगार के 80 *प्रतिशत* के सृजन के साथ-साथ प्रतिबद्ध इकाइयों के 80 *प्रतिशत* का संचालन। (घ) अंतिम किस्त के लिए दावा करते समय दूसरी किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

	(ङ) किस्त का दावा करते समय भारत सरकार के अनुदान पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, वापिस/समायोजित किया जाएगा। दावे के साथ बैंक से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। (च) वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा अंतिम किस्त जारी करने के दावे के साथ प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

अनुलग्नक-III

(पैरा 1.5 में संदर्भित)

98 स्वीकृत पार्कों का विवरण

क्र. स.	पार्क का नाम	राज्य	स्वीकृति की तिथि	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	भारत सरकार की हिस्सा (₹ करोड़ में)	भारत सरकार द्वारा जारी कुल अनुदान (₹ करोड़ में)	स्थिति
10वीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत 33 पार्कों की सूची (2005-06 से 2006-07)							
(क) पूर्ण हो चुके पार्क							
1	ब्रैंडिक्स इंडिया परिधान सिटी प्राइवेट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	01.07.2006	134.42	40.00	40.00	पूर्ण
2	गुजरात इको वस्त्र पार्क लिमिटेड, सूरत	गुजरात	25.11.2005	128.75	40.00	40.00	पूर्ण
3	मुंद्रा एसईजेड वस्त्र एवं परिधान पार्क लिमिटेड, कच्छ	गुजरात	03.02.2006	103.53	40.00	40.00	पूर्ण
4	व्रज एकीकृत वस्त्र पार्क लिमिटेड, अहमदाबाद	गुजरात	01.07.2006	105.40	40.00	40.00	पूर्ण
5	सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड, सूरत	गुजरात	01.07.2006	104.76	40.00	40.00	पूर्ण

क्र. स.	पार्क का नाम	राज्य	स्वीकृति की तिथि	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	भारत सरकार की हिस्सा (₹ करोड़ में)	भारत सरकार द्वारा जारी कुल अनुदान (₹ करोड़ में)	स्थिति
6	डोडबल्लापुर एकीकृत वस्त्र पार्क, डोडबल्लापुर	कर्नाटक	01.07.2006	80.25	32.01	32.01	पूर्ण
7	मेट्रो हाई-टेक कोआपरेटिव पार्क लिमिटेड, इचलकरंजी	महाराष्ट्र	25.11.2005	100.80	40.00	40.00	पूर्ण
8	बारामती हाई-टेक वस्त्र पार्क लिमिटेड, बारामती	महाराष्ट्र	01.07.2006	108.52	40.00	40.00	पूर्ण
9	प्राइड इंडिया कोआपरेटिव वस्त्र पार्क लिमिटेड, इचलकरंजी	महाराष्ट्र	03.02.2006	58.19	20.95	20.95	पूर्ण
10	लोटस एकीकृत टेक्स पार्क, पंजाब, बरनाला	पंजाब	05.03.2007	110.26	40.00	40.00	पूर्ण
11	नेक्स्ट जेन वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड, पाली	राजस्थान	21.03.2007	101.40	40.00	40.00	पूर्ण
12	पल्लडम हाई-टेक बुनाई पार्क, पल्लडम	तमिलनाडु	03.02.2006	55.42	22.17	22.17	पूर्ण
13	कोमारपलायम हाई-टेक बुनाई पार्क लिमिटेड, कोमलारापलयम	तमिलनाडु	01.07.2006	31.33	12.53	12.54	पूर्ण

क्र. स.	पार्क का नाम	राज्य	स्वीकृति की तिथि	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	भारत सरकार की हिस्सा (₹ करोड़ में)	भारत सरकार द्वारा जारी कुल अनुदान (₹ करोड़ में)	स्थिति
14	करूर एकीकृत वस्त्र पार्क, करूर	तमिलनाडु	21.03.2007	116.10	40.00	40.00	पूर्ण
15	मदुरै एकीकृत वस्त्र पार्क लिमिटेड, मदुरै	तमिलनाडु	05.03.2007	87.30	31.50	31.43	पूर्ण
16	पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क लिमिटेड	तेलंगाना	01.07.2006	34.00	13.60	13.60	पूर्ण
क	**कुल पूर्ण पार्क (16 पार्क)**			**1,460.43**	**532.76**	**532.70**	
(ख) निर्माणाधीन पार्क							
1	हिंदूपुर व्यापार परिधान पार्क लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	01.07.2006	102.27	40.00	24.00	निर्माणाधीन
2	किशनगढ़ हाई-टेक वस्त्र बुनाई पार्क लिमिटेड, किशनगढ़	राजस्थान	01.07.2006	110.58	40.00	36.00	निर्माणाधीन
3	एस आई एम ए वस्त्र प्रसंस्करण केन्द्र, कुड्डालोर	तमिलनाडु	25.11.2005	111.60	40.00	24.00	निर्माणाधीन
4	द ग्रेट इंडियन लिनन एंड वस्त्र आधारभूत संरचना कंपनी, पेरुंदुरई, इरोड	तमिलनाडु	03.02.2006	149.45	40.00	12.00	निर्माणाधीन

क्र. स.	पार्क का नाम	राज्य	स्वीकृति की तिथि	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	भारत सरकार की हिस्सा (₹ करोड़ में)	भारत सरकार द्वारा जारी कुल अनुदान (₹ करोड़ में)	स्थिति
5	ईआईजीएमईएफ परिधान पार्क लिमिटेड, सैयद अमीर अली, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	01.07.2006	130.50	40.00	31.61	निर्माणाधीन
ख	**कुल निर्माणाधीन पार्क (5 पार्क)**			**604.40**	**200.00**	**127.61**	
(ग) निरस्त पार्क							
1	अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	01.07.2006	लागू नहीं	लागू नहीं	0	निरस्त
2	कपिला वस्त्र पार्क, साणंद	गुजरात	05.03.2007	100.65	40.00	4.00	निरस्त
3	सोहम वस्त्र पार्क, अमदावाद	गुजरात	01.07.2006	122.75	40.00	4.00	निरस्त
4	श्री लक्ष्मीनारायण वस्त्र पार्क सूरत, गुजरात	गुजरात	01.07.2006	134.46	40.00	4.00	निरस्त
5	श्री धैर्यशील माने वस्त्र पार्क को-आप सोसाइटी लिमिटेड इचलकरंजी	महाराष्ट्र	01.07.2006	72.25	28.90	8.67	निरस्त
6	वाडा वस्त्र पार्क ठाणे	महाराष्ट्र	03.02.2006	100.89	40.00	4.00	निरस्त

क्र. स.	**पार्क का नाम**	**राज्य**	**स्वीकृति की तिथि**	**परियोजना लागत (₹ करोड़ में)**	**भारत सरकार की हिस्सा (₹ करोड़ में)**	**भारत सरकार द्वारा जारी कुल अनुदान (₹ करोड़ में)**	**स्थिति**
7	तारापुर वस्त्र पार्क ठाणे	महाराष्ट्र	01.07.2006	110.92	40.00	4.00	निरस्त
8	राजस्थान टेक्समार्ट वस्त्र पार्क, जयपुर	राजस्थान	05.03.2007	94.56	37.82	3.78	निरस्त
9	जयपुर टेक्सबुनाई पार्क, राजस्थान	राजस्थान	25.11.2005	96.81	38.72	23.23	निरस्त
10	इरोड हाई-टेक, इरोड	तमिलनाडु	01.07.2006	46.37	18.55	0	निरस्त
11	हैदराबाद हाई-टेक बुनाई पार्क महबूबनगर	तेलंगाना	01.07.2006	106.14	40.00	12.00	निरस्त
12	गोरखपुर वस्त्र पार्क गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	01.07.2006	97.54	39.02	0	निरस्त
ग	**कुल निरस्त पार्क (12 पार्क)**			**1,083.34**	**403.01**	**67.68**	
	33 पार्कों के लिए कुल योग (क+ख+ग)			**3,148.17**	**1,135.77**	**727.99**	

क्र. स.	पार्क का नाम	राज्य	स्वीकृति की तिथि	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	भारत सरकार की हिस्सा (₹ करोड़ में)	भारत सरकार द्वारा जारी कुल अनुदान (₹ करोड़ में)	स्थिति
11वीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत 38 पार्कों की सूची (2007-08 से 2011-12)							
(क) पूर्ण हो चुके पार्क							
1	फेयरडील वस्त्र पार्क प्रा. लिमिटेड, सूरत	गुजरात	25.09.2007	105.63	40.00	40.00	पूर्ण
2	सयाना वस्त्र पार्क लिमिटेड, सूरत	गुजरात	20.03.2008	90.00	36.00	36.00	पूर्ण
3	आरजेडी एकीकृत वस्त्र पार्क, सूरत	गुजरात	29.05.2008	106.5	40.00	40.00	पूर्ण
4	जे एंड के वस्त्र पार्क, कठुआ, जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर	16.09.2011	44.11	39.70	35.73	पूर्ण
5	दीसन आधारभूत संरचना प्राइवेट लिमिटेड, धुले	महाराष्ट्र	29.05.2008	103.12	40.00	40.00	पूर्ण
6	इस्लामपुर एकीकृत वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड, सांगली	महाराष्ट्र	16.05.2008	102.39	40.00	40.00	पूर्ण
7	लातूर एकीकृत वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड, लातूर	महाराष्ट्र	16.05.2008	102.61	40.00	40.00	पूर्ण
8	अस्मिता इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठाणे	महाराष्ट्र	29.05.2008	277.69	40.00	40.00	पूर्ण

क्र. स.	पार्क का नाम	राज्य	स्वीकृति की तिथि	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	भारत सरकार की हिस्सा (₹ करोड़ में)	भारत सरकार द्वारा जारी कुल अनुदान (₹ करोड़ में)	स्थिति
9	लुधियाना एकीकृत वस्त्र पार्क लिमिटेड, लुधियाना	पंजाब	18.12.2008	116.19	40.00	36.00	पूर्ण
10	जयपुर एकीकृत टेक्सक्राफ्ट पार्क प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर	राजस्थान	16.05.2008	60.15	24.06	24.06	पूर्ण
क	**कुल पूर्ण पार्क (10 पार्क)**			**1,108.39**	**379.76**	**371.79**	
(ख) निर्माणाधीन पार्क							
1	एमएएस फैब्रिक पार्क (इंडिया) लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	20.03.2008	254.70	40.00	24.00	निर्माणाधीन
2	केजरीवाल एकीकृत वस्त्र पार्क	गुजरात	16.09.2011	105.79	40.00	36.00	निर्माणाधीन
3	हिमाचल वस्त्र पार्क	हिमाचल प्रदेश	16.09.2011	96.90	38.76	34.88	निर्माणाधीन
4	पूर्णा ग्लोबल वस्त्र पार्क लिमिटेड	महाराष्ट्र	16.05.2008	107.29	40.00	22.03	निर्माणाधीन
5	कलप्पना अवाडे वस्त्र पार्क	महाराष्ट्र	16.09.2011	107.1	40.00	12.00	निर्माणाधीन

क्र. स.	पार्क का नाम	राज्य	स्वीकृति की तिथि	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	भारत सरकार की हिस्सा (₹ करोड़ में)	भारत सरकार द्वारा जारी कुल अनुदान (₹ करोड़ में)	स्थिति
6	रिदम वस्त्र एवं परिधान पार्क लिमिटेड, नवांशहर	पंजाब	16.05.2008	110.73	40.00	36.00	निर्माणाधीन
7	पेरारिग्नर अन्ना हैंडलूम सिल्क पार्क, कांचीपुरम	तमिलनाडु	22.04.2010	83.83	33.53	3.30	निर्माणाधीन
8	पल्लवदा वस्त्र पार्क	तमिलनाडु	16.09.2011	106.58	40.00	4.00	निर्माणाधीन
9	व्हाइट गोल्ड वस्त्र पार्क	तेलंगाना	16.09.2011	95.99	38.40	25.04	निर्माणाधीन
10	होजरी पार्क, हावड़ा	पश्चिम बंगाल	16.09.2011	70.14	28.06	25.25	निर्माणाधीन
ख	**कुल निर्माणाधीन पार्क (10 पार्क)**			**1,139.05**	**378.75**	**222.50**	
(ग) निरस्त पार्क							
1	लेपाक्षी एकीकृत वस्त्र पार्क, अनंतपुर	आंध्रप्रदेश	सितंबर, 2011	101.39	40.00	0	निरस्त
2	असम जूट पार्क, दारांग	असम	16.05.2008	56.13	40.00	0	निरस्त
3	विक्रमशिला वस्त्र पार्क, भागलपुर	बिहार	14.03.2008	लागू नहीं	लागू नहीं	0	निरस्त

क्र. स.	पार्क का नाम	राज्य	स्वीकृति की तिथि	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	भारत सरकार की हिस्सा (₹ करोड़ में)	भारत सरकार द्वारा जारी कुल अनुदान (₹ करोड़ में)	स्थिति
4	गुलबर्गा वस्त्र पार्क	कर्नाटक	16.09.2011	46.39	18.56	1.85	निरस्त
5	सीएलसी वस्त्र पार्क	मध्य प्रदेश	2008	92.48	35.57	11.47	निरस्त
6	बिड़ला एकीकृत वस्त्र पार्क, अमरावती	महाराष्ट्र	नवंबर, 2011	108.09	40.00	0	निरस्त
7	कागल औद्योगिक वस्त्र प्रौद्योगिकी पार्क, कोल्हापुर	महाराष्ट्र	अक्तूबर, 2011	96.83	38.73	0	निरस्त
8	सुंदरराव सोलंकी, माजलगांव	महाराष्ट्र	08.11.2011	105.81	40.00	4.00	निरस्त
9	खेड़ वस्त्र पार्क, खेड़, पुणे	महाराष्ट्र	08.11.2011	80.67	32.27	3.23	निरस्त
10	भारत फेबटेक्स और कॉर्पोरेट पार्क प्राइवेट लिमिटेड पाली	राजस्थान	26.02.2009	103.08	40.00	4.00	निरस्त
11	मेवाड़ एकीकृत वस्त्र पार्क, भीलवाड़ा	राजस्थान	अक्तूबर, 2011	106.32	40.00	0	निरस्त
12	राजस्थान एकीकृत परिधान सिटी, भिवाड़ी	राजस्थान	अक्तूबर, 2011	195.34	40.00	0	निरस्त

क्र. स.	**पार्क का नाम**	**राज्य**	**स्वीकृति की तिथि**	**परियोजना लागत (₹ करोड़ में)**	**भारत सरकार की हिस्सा (₹ करोड़ में)**	**भारत सरकार द्वारा जारी कुल अनुदान (₹ करोड़ में)**	**स्थिति**
13	हिम्मदा एकीकृत वस्त्र पार्क	राजस्थान	08.11.2011	106.98	40.00	4.00	निरस्त
14	एसएलएस वस्त्र पार्क, कृष्णागिरी	तमिलनाडु	16.09.2011	111.40	40.00	4.00	निरस्त
15	वैगई हाई-टेक बुनाई पार्क	तमिलनाडु	16.05.2008	लागू नहीं	लागू नहीं	2.44	निरस्त
16	एडिसन एकीकृत वस्त्र पार्क, अगरतला	त्रिपुरा	अक्तूबर, 2011	58.22	40.00	0	निरस्त
17	श्री लक्ष्मी कोटसिन लिमिटेड, कानपुर	उत्तर प्रदेश	सितंबर, 2011	102.29	40.00	0	निरस्त
18	वेबटेक्स वस्त्र पार्क कोलकाता	पश्चिम बंगाल	16.05.2008	106.88	40.00	0	निरस्त
ग	**कुल निरस्त पार्क (18 पार्क)**			**1,578.30**	**605.13**	**34.99**	
	38 पार्कों के लिए कुल योग (क+ख+ग)			**3,825.74**	**1,363.64**	**629.28**	

क्र. स.	पार्क का नाम	राज्य	स्वीकृति की तिथि	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	भारत सरकार की हिस्सा (₹ करोड़ में)	भारत सरकार द्वारा जारी कुल अनुदान (₹ करोड़ में)	स्थिति
12वीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत 27 पार्कों की सूची (2012-13 से 2016-17)							
(क) निर्माणाधीन पार्क							
1	तारकेश्वरा	आंध्र प्रदेश	24.03.2015	103.44	40.00	20.00	निर्माणाधीन
2	गुंटूर वस्त्र पार्क, गुंटूर	आंध्र प्रदेश	20.09.2014	105.12	40.00	20.00	निर्माणाधीन
3	प्राग ज्योति वस्त्र पार्क, दारांग	असम	20.09.2014	47.25	40.00	20.00	निर्माणाधीन
4	शांति एकीकृत वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड, सूरत	गुजरात	20.09.2014	104.12	40.00	8.00	निर्माणाधीन
5	पलसाना आईटीपी पार्क, सूरत, गुजरात	गुजरात	20.09.2014	103.36	40.00	20.00	निर्माणाधीन
6	अमितारा ग्रीन हाई-टेक वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड	गुजरात	20.09.2014	103.4	40.00	35.34	निर्माणाधीन
7	इच्छापुर वस्त्र पार्क, सूरत	गुजरात	06.08.2015	104.65	40.00	4.00	निर्माणाधीन
8	करंज एकीकृत वस्त्र पार्क	गुजरात	02.02.2016	104.95	40.00	20.00	निर्माणाधीन

क्र. स.	पार्क का नाम	राज्य	स्वीकृति की तिथि	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	भारत सरकार की हिस्सा (₹ करोड़ में)	भारत सरकार द्वारा जारी कुल अनुदान (₹ करोड़ में)	स्थिति
9	शाहलोन वस्त्र पार्क	गुजरात	30.06.2016	103.93	40.00	10.00	निर्माणाधीन
10	अलीशान एकीकृत वस्त्र पार्क, पानीपत	हरियाणा	24.03.2015	102.76	40.00	4.00	निर्माणाधीन
11	कश्मीर वूल एंड सिल्क वस्त्र पार्क, घाट्टी	जम्मू व कश्मीर	20.09.2014	48.06	40.00	0	निर्माणाधीन
12	सत्यराज एकीकृत वस्त्र पार्क, शिरोल, कोल्हापुर	महाराष्ट्र	15.10.2014	104.49	40.00	20.00	निर्माणाधीन
13	धुले वस्त्र पार्क, धुले	महाराष्ट्र	15.10.2014	106.57	40.00	4.00	निर्माणाधीन
14	हिंगनघाट वस्त्र पार्क, विदर्भ	महाराष्ट्र	24.03.2015	108.38	40.00	20.00	निर्माणाधीन
15	श्री गणेश, धुले, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	24.03.2015	104.03	40.00	10.00	निर्माणाधीन
क	**कुल निर्माणाधीन पार्क (15 पार्क)**			**1,454.51**	**600.00**	**215.34**	

क्र. स.	पार्क का नाम	राज्य	स्वीकृति की तिथि	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	भारत सरकार की हिस्सा (₹ करोड़ में)	भारत सरकार द्वारा जारी कुल अनुदान (₹ करोड़ में)	स्थिति
(ख) निरस्त पार्क							
1	रंगराय वस्त्र पार्क प्रा. लिमिटेड, पश्चिम गोदावरी	आंध्र प्रदेश	20.09.2014	131.73	40.00	0	निरस्त
2	गौतम बुद्ध वस्त्र पार्क	आंध्र प्रदेश	09.11.2014	102.91	40.00	4.00	निरस्त
3	जेवीएल वस्त्र पार्क प्रा. लिमिटेड, बिहार रोहतास	बिहार	20.09.2014	113.11	40.00	0	निरस्त
4	माधव वस्त्र पार्क प्रा. लिमिटेड	गुजरात	20.09.2014	113.97	40.00	0	निरस्त
5	एशियाटिक को-आप वस्त्र पार्क, शोलापुर	महाराष्ट्र	13.12.2012	101.03	40.00	12.00	निरस्त
6	प्रोग्रेसिव वस्त्र पार्क प्रा. लिमिटेड, बठिंडा	पंजाब	मार्च, 2015	116.00	40.00	0	निरस्त
7	जयपुर कालीन वस्त्र पार्क	राजस्थान	08.12.2012	98.50	39.08	3.91	निरस्त
8	श्रीनाथ एकीकृत वस्त्र पार्क, भीलवाड़ा	राजस्थान	08.06.2015	101.92	40.00	0	निरस्त

क्र. स.	पार्क का नाम	राज्य	स्वीकृति की तिथि	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	भारत सरकार की हिस्सा (₹ करोड़ में)	भारत सरकार द्वारा जारी कुल अनुदान (₹ करोड़ में)	स्थिति
9	अवंतिका वस्त्र पार्क प्रा. लिमिटेड	तेलंगाना	20.09.2014	105.39	40.00	0	निरस्त
10	श्री लक्ष्मी वस्त्र पार्क, कानपुर	उत्तर प्रदेश	जुलाई, 2015	113.83	38.93	0	निरस्त
11	इकोटेक्स, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	24.03.2015	104.03	40.00	0	निरस्त
12	फर्रुखाबाद एकीकृत वस्त्र पार्क	उत्तर प्रदेश	02.02.2016	104.14	40.00	0	निरस्त
ख	**कुल निरस्त पार्क (12 पार्क)**			**1,306.56**	**478.01**	**19.91**	
	27 पार्कों के लिए कुल योग (क+ख)			**2,761.07**	**1,078.01**	**235.25**	
	98 पार्कों के लिए कुल योग			**9,734.98**	**3,577.42**	**1,592.52**	

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े

अनुलग्नक-IV

(पैरा 2.4 में संदर्भित)

24 नमूना पार्कों के संदर्भ में लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1. सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड, सूरत, गुजरात				**श्रेणी: पूर्ण**
स्वीकृति की तिथि	**: 01.07.2006**	**वर्तमान स्थिति**	**:**	**बंद**
परियोजना लागत	**: ₹ 104.76 करोड़**	**वर्तमान रोजगार/ नियोजित**	**:**	**शून्य/1,000 व्यक्ति**
क्षेत्र	**: 43.29 एकड़**	**पीएमसी का नाम**	**:**	**आईएलएंडएफएस**
प्रस्तावित गतिविधि	**: बुनाई (टेक्सचराइजिंग)**	**पूरा होने में देरी**	**:**	**59 महीने**
वर्तमान गतिविधि	**: शून्य**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**:**	**₹ 40.00 करोड़**

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**
मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड 'पूर्ण' पार्क था (जुलाई 2013 में उद्घाटन किया गया था) और 200 व्यक्तियों के रोजगार के साथ आठ इकाइयां चालू थीं। लेखापरीक्षा ने पार्क में क्षेत्रीय दौरा (सितंबर 2021) किया और पाया कि पार्क बंद, परित्यक्त और पूरी तरह से सुनसान पड़ा था। पार्क में बनाए गए बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें,	मंत्रालय ने (जून 2022/अगस्त 2022) कहा कि: **i. वित्तीय समस्या के कारण बंद:** अंतिम अनुदान मार्च 2013 में जारी किया गया था और जुलाई 2013 में पार्क का उद्घाटन किया गया था। पीएमसी ने, अपने पत्र दिनांक 01.11.2016 के द्वारा वस्त्र आयुक्त कार्यालय को अवगत कराया कि पार्क में एसपीवी और अन्य इकाई धारकों को 2014 के दौरान खराब बाजार स्थितियों और बाहरी कारणों के कारण	**i. वित्तीय समस्या के कारण बंद:** उत्तर इंगित करते हैं कि हालांकि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया है और पार्क के बंद होने के वही कारण बताए हैं लेकिन मंत्रालय 25 *प्रतिशत* परिचालन इकाइयों के साथ पार्क के पूरा होने के बाद प्रभावी निगरानी के लिए योजना दिशानिर्देशों में प्रावधान करने में विफल रहा। योजना का उद्देश्य 25 *प्रतिशत* परिचालन इकाइयों के साथ

भवन, जल निकासी व्यवस्था आदि जर्जर स्थिति में पाए गए। परिसर के बाहर निर्मित कैप्टिव पावर संयंत्र अकार्यशील पाया गया। संयंत्र की मशीनरी/उपकरण गायब थे। प्रबंध निदेशक, जिनका संपर्क विवरण मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान किया गया था, ने सूचित किया कि उन्होंने अपने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। इसलिए, एसपीवी का कोई पदाधिकारी उपलब्ध नहीं पाया गया। सूरत शहर में स्थित एसपीवी के पंजीकृत कार्यालय पर भी ताला लगा पाया गया।

रिकॉड की जांच में पाया गया कि:

i. **वित्तीय समस्या के कारण बंद:** कर्ज चुकाने में विफल रहने के कारण पूरा होने के तुरंत बाद पार्क बंद हो गया क्योंकि नाकोड़ा समूह, जो प्रमुख प्रवर्तक था, को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा।

ii. **समयपूर्व पूर्ण:** अंतिम किस्त जारी करने से पहले, मंत्रालय ने 54 इकाइयों के स्थान पर केवल 27 इकाइयों को स्थापित

वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा था। इस कारण**,** एसपीवी सावधि ऋण चुकाने में असमर्थ था और ब्याज भुगतान और मूल किस्तों के आस्थगन पर विचार करने के बाद भी ऋणदाताओं द्वारा, इसे गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित कर दिया गया था। मुख्य एंकर अर्थात् नाकोडा समूह की वित्तीय संकट के कारण परियोजना को चलाने में असमर्थता के कारण परियोजना को अंततः बंद कर दिया गया था। हालांकि**,** पार्क इसके पूरा होने की अवधि से चालू था और इकाईयाँ योजना की आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए पार्क में रोजगार और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही थीं। मंत्रालय ने आगे बताया (अगस्त 2022**)** कि पार्क 2016 तक काम कर रहा था और उस समय आवश्यकता के अनुसार रोजगार प्रदान कर रहा था।

ii. **समयपूर्व पूर्ण:** जून 2011 में परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा सदस्य इकाइयों की व्यवसाय योजना तथा बाजार परिदृश्य में परिवर्तन के कारण मशीनों की समान संख्या

पार्क को पूरा करने पर विचार करना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना, वस्त्र इकाइयों की स्थापना करना और इसके माध्यम से रोजगार सृजित करना था। तथ्य यह है कि मंत्रालय योजना के इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा और इस प्रकार भारत सरकार का ₹ 40.00 करोड़ का अनुदान पूरा होने के तुरंत बाद पार्क के बंद होने के कारण निष्फल साबित हुआ।

ii. **समयपूर्व पूर्ण:** इस तथ्य को देखते हुए मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है कि:

- मूल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, 54 उद्यमियों के लिए 54 फैक्ट्री भवनों अर्थात 54 इकाइयों (केवल एक प्रकार की) का निर्माण किया जाना था और मूल योजना के आधार पर, मंत्रालय ने जनवरी 2007 और फरवरी 2010 के बीच भारत सरकार के अनुदान का 90 *प्रतिशत* जारी किया।
- दिसंबर 2009 में, एसपीवी और

करने और 20 मेगावाट गैस आधारित सीपीपी के स्थान पर 15 मेगावाट कोयला आधारित सीपीपी स्थापित करने की कम क्षमता वाले संशोधित परियोजना विन्यास को स्वीकृति दी। पार्क को पूर्ण माना गया था जब केवल 8 इकाइयों ने संचालन शुरू किया था और केवल 7.5 मेगावाट टर्बाइन चालू किया गया था। अंतिम किस्त जारी होने के बाद, कोई और इकाई स्थापित नहीं की गई, न ही दूसरी 7.5 मेगावाट टर्बाइन चालू की गई, और पार्क बंद हो गया। **iii. पुरानी मशीनरी की स्थापना के कारण अपव्ययः-** मूल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में, ₹ 65.00 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 20 मेगावाट गैस आधारित कैप्टिव पावर संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था, बाद में, एसपीवी ने सूरत में गैस की उपलब्धता की अनिश्चितता और कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण 15 मेगावाट के कोयला आधारित कैप्टिव पावर संयंत्र को स्थापित	अर्थात् 27 इकाइयों में 108 को बनाए रखते हुए 54 इकाइयों से 27 इकाइयों में परियोजना विन्यास के परिवर्तन को अनुमोदित किया गया था। इस प्रकार, पार्क की समग्र क्षमता में परिवर्तन नहीं किया गया। इसके अलावा, पार्क को इस तथ्य के आधार पर पूरा मानने की अनुमति दी गई थी कि 25 *प्रतिशत* इकाइयों ने प्रचालन शुरू कर दिया था और सीपीपी की सम्पूर्ण खेप अर्थात 15 मेगावाट साइट पर स्थापित कर दी गई थी। इसके बाद, बाजार की स्थितियों और वित्तीय संकट के कारण एसपीवी के प्रमुख सदस्यों की अक्षमता के कारण पार्क को बंद कर दिया गया। इस प्रकार, पार्क को समय से पहले पूरा नहीं माना गया। **iii. पुरानी मशीनरी की स्थापना के कारण अपव्यय:** 7.5 मेगावाट का पहला मॉड्यूल शुरू किया गया था और उस समय चूंकि पार्क से उपलब्ध लोड/मांग पर्याप्त नहीं थी (शुरुआत में केवल 25 *प्रतिशत* इकाइयों ने उत्पादन शुरू	पीएमसी ने फैक्ट्री भवनों के 97 *प्रतिशत* पूरा होने की सूचना दी थी और जनवरी 2010 तक सभी फैक्ट्री भवनों (अर्थात् 54 इकाइयों) को पूरा करने का लक्ष्य रखा था। परन्तु, जून 2011 में, एसपीवी ने भूतल और प्रथम तल के निर्माण के लिए लेआउट योजना में परिवर्तन करके केवल 27 फैक्ट्री भवनों के निर्माण के लिए परियोजना विन्यास में संशोधन प्रस्तावित किया था। जबकि प्रारंभिक योजना में बेसमेंट, भूतल और प्रथम तल का निर्माण किया जाना था| ➢ मंत्रालय ने 27 फैक्ट्री भवनों के निर्माण के लिए परियोजना विन्यास में संशोधन को स्वीकृति दी और एसपीवी द्वारा प्रदान की गई जानकारी और पीएमसी द्वारा अनुशंसा के आधार पर माना कि 27 फैक्ट्री इकाइयों का निर्माण किया गया था, जिनमें से 8 इकाइयां चालू हो गई। ➢ वस्त्र आयुक्त की टीम ने अक्तूबर 2017 में साइट का दौरा किया और 27

करने का प्रस्ताव रखा। इसने चीन से 2x7.5 मेगावाट की पुरानी मशीनरी (टर्बाइन और बॉयलर) खरीदने का भी प्रस्ताव दिया था और इसे मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। कोयला आधारित सीपीपी चालू होने के एक साल के भीतर ही गैर-परिचालित हो गया और सीपीपी पर किया गया ₹ 42.30 करोड़ का निवेश एक व्यर्थ व्यय साबित हुआ। **iv. बिना विवरण के निवेशकों/उद्यमियों की सूचीः** भारत सरकार के अनुदान की पहली किस्त जारी करने का दावा करते हुए, एसपीवी ने 55 सदस्यों की एक सूची प्रस्तुत की थी जिन्होंने एसपीवी के साथ भागीदारी अंशदान करार निष्पादित किया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि सदस्यों की सूची में उनके संपर्क विवरण जैसे पता, ईमेल, टेलीफोन नंबर आदि शामिल नहीं थे, न ही एसपीवी के प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर शामिल थे। इसके अलावा, अपनी इकाइयों को चालू करने के लिए परियोजना के पुनरुद्धार के लिए	किया था), दूसरा मॉड्यूल आरंभ नहीं किया गया था। मंत्रालय ने आगे बताया (अगस्त 2022) कि 7.5 मेगावाट के दूसरे मॉड्यूल को चालू करना तभी आवश्यक होता यदि अन्य इकाइयों ने भी उत्पादन शुरू कर दिया होता। **iv. विवरण के बिना निवेशकों/उद्यमियों की सूचीः** एसपीवी के सभी सदस्यों ने एसपीवी के साथ भागीदारी अंशदान करार निष्पादित किया था। इसके अलावा, सभी सदस्यों ने एसपीवी के पक्ष में अपने शेयरों को गिरवी रखने के लिए मुख्तारनामा भी निष्पादित किया था और ये दस्तावेज उधारदाताओं के पास रिकॉर्ड में थे। इसलिए, इस सूची को फर्जी नहीं कहा जा सकता। मंत्रालय ने आगे बताया (अगस्त 2022) कि पार्टी का नाम और अंशदान की राशि फाइल में उपलब्ध है। केवल निवेशकों/उद्यमियों की फर्जी सूची के बारे में उठाए गए संदेह को बंद/शट डाउन करने का कारण नहीं माना जा सकता है।	इकाइयों को समायोजित करने के लिए केवल 13 भवनों का निर्माण किया हुआ पाया। जैसा कि दिसंबर 2009 तक, 97 *प्रतिशत* फ़ैक्टरी भवनों को पहले ही पूरा कर लिया गया बताया गया था, जून 2011 में फ़ैक्टरी भवनों के लेआउट में बदलाव के लिए एसपीवी का प्रस्ताव एसपीवी द्वारा पहले ही प्रतिवेदन की गई प्रगति के विपरीत था। इस प्रकार, तथ्य यह है कि 15 मेगावाट कैप्टिव पावर संयंत्र के संचालन के साथ-साथ सफल समापन की पुष्टि किए बिना 54 फैक्ट्री इकाइयों के स्थान पर 27 फैक्ट्री इकाइयों के निर्माण के लिए परियोजना विन्यास को बदलने के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के कारण पार्क समय से पहले पूरा हो गया। **iii. पुरानी मशीनरी की स्थापना के कारण अपव्यय :**मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विश्वस्तरीय अवसंरचना सुविधाएं

रिकॉर्ड पर इन सदस्यों द्वारा कोई प्रयास/अभ्यावेदन नहीं पाए गए। इसलिए, सूची के फर्जी होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

v. निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त सरकारी प्रतिनिधि की विफलता: नियुक्त सरकारी प्रतिनिधि समय पर उचित कार्रवाई के द्वारा भारत सरकार के अनुदान के अपव्यय से बचने के लिए वित्तीय समस्याओं और परियोजना की विफलता के लक्षणों की प्रतिवेदन करने और इन घटनाओं को मंत्रालय के ध्यान में लाने में भी विफल रहे।

vi. पीएमसी की विफलता और पीएमसी शुल्क पर अपव्यय : अंतिम किस्त जारी होने के बाद, पीएमसी ने अपना 100 *प्रतिशत* शुल्क प्राप्त किया और परियोजना की विफलता के लक्षणों की सूचना कभी नहीं दी।

vii. पीएमसी की भूमिका में हितों का टकरावः मंत्रालय का पीएमसी (अर्थात

v. निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त सरकारी प्रतिनिधि की विफलता: एसपीवी के निदेशक मंडल के नामित सदस्य के रूप में नियुक्त सरकारी प्रतिनिधि सामान्यतः वस्त्र पार्क की बोर्ड की बैठकों में भाग लेते हैं और बैठक में चर्चा किए गए मामले पर ध्यान देते हैं। योजना के दिशा-निर्देशों में सरकारी प्रतिनिधि की भूमिका को परिभाषित नहीं किया गया है। आगे, परियोजना के पूरा और आरंभ होने के बाद ही सदस्यों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसलिए, माँग का मूल्याँकन और वित्तीय मुद्दों के कारण परियोजना को चलाने के लिए अग्रणी समूह की अक्षमता की भविष्यवाणी करना संभव नहीं था।

vi. पीएमसी की विफलता और पीएमसी शुल्क पर अपव्यय: परियोजना पूरी होने के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक परिचालन में रही। परियोजना के पूरा होने के बाद पीएमसी के पर्यवेक्षण को योजना के दिशा-निर्देशों में परिभाषित नहीं किया गया और विफलता एसपीवी और उसके सदस्यों के परिचालन मामलों के कारण रही।

प्रदान करना योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था और सीपीपी का दूसरा मॉड्यूल कभी भी चालू नहीं हुआ। पार्क भी बंद हो गया।

iv. विवरण के बिना निवेशकों/उद्यमियों की सूचीः उत्तर इंगित करते हैं कि मंत्रालय ने उद्यमियों की वास्तविकता को सत्यापित नहीं किया क्योंकि मंत्रालय ने स्वयं कहा है कि भागीदारी अंशदान करार, मुख्तारनामा आदि जैसे दस्तावेज उधारदाताओं के पास रिकॉर्ड में थे। तथ्य यह है कि मंत्रालय के रिकॉर्ड में सदस्यों की मूल जानकारी जैसे पैन, पता, ईमेल, टेलीफोन नंबर आदि उपलब्ध नहीं थे। प्रारंभ में, समान भागीदारी अंशदान के साथ 55 निवेशक/उद्यमी थे जबकि पार्क एंकर/लीड प्रवर्तक की वित्तीय समस्याओं के कारण बंद हो गया और मंत्रालय उन कारणों का

आईएलएंडएफएस) परामर्श शुल्क प्राप्त करने के लिए स्वयं एसपीवी का सलाहकार बन गया।	vii. **पीएमसी की भूमिका में हितों का टकराव**: इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करने के लिए एक तकनीकी एजेंसी की भूमिका पीएमसी की भूमिका से अलग है और एसपीवी के पास तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी एजेंसी को नियुक्त करने का विवेक है और तदनुसार उन्होंने आईएलएंडएफएस को नियुक्त किया था जो कि मंत्रालय का पीएमसी भी था। भूमिका के टकराव का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि आईएलएंडएफएस और वस्त्र मंत्रालय के बीच निष्पादित करार ने पीएमसी को खंड 6 जिसके अनुसार "डिजाइनिंग/इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण, प्रबंधन और पर्यवेक्षण और परियोजना के वित्तपोषण से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए आईएलएंडएफएस प्रत्येक परियोजना एसपीवी के साथ अलग करार करने के लिए स्वतंत्र होगा।" के अंतर्गत सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति दी। इसके अलावा, बाद में, उक्त खंड को करारों में से हटा दिया गया था और यह शामिल किया	पता लगाने में विफल रहा कि शेष 54 उद्यमी पार्क को चलाने के लिए प्रयास क्यों नहीं कर सके। इस प्रकार, निवेशकों के बारे में मूल जानकारी का अभाव और पार्क बंद होने के बाद उनकी ओर से प्रतिक्रिया न देना निवेशकों/उद्यमियों की सूची की वास्तविकता के बारे में संदेह पैदा करता है। **v. निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त सरकारी प्रतिनिधि की विफलता :**मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त सरकारी प्रतिनिधि की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए थी। तथ्य यह है कि नियुक्त सरकारी प्रतिनिधि पार्क के बंद/बंद होने की स्थिति और परियोजना की विफलता के लक्षणों की सूचना देने में विफल रहे।

	गया था कि "पीएमसी को परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी सेवा के प्रावधान के लिए संबंधित एसपीवी के साथ किसी भी करार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो मंत्रालय की राय में, हितों का टकराव उत्पन्न करे।" इसलिए, पीएमसी की भूमिका में कोई टकराव नहीं है।	**vi. पीएमसी की विफलता और पीएमसी शुल्क पर अपव्यय:** उत्तर तर्कसंघत नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने बताया कि प्रमुख एंकर अर्थात नाकोड़ा समूह द्वारा सामना किए गए वित्तीय संकट के कारण परियोजना को चलाने में असमर्थता के कारण पार्क बंद हो गया। पार्क के सदस्यों की वित्तीय ताकत और निवल मूल्य की जांच पीएमसी की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक थी। तथ्य यह है कि पार्क बंद होने के कारण पीएमसी को भुगतान की गई फीस भी व्यर्थ सिद्ध हुई। **vii. पीएमसी की भूमिका में हितों का टकरावः:**उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उसी एजेंसी से निष्पक्ष और पारदर्शी रिपोर्टिंग की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जिसका एसपीवी को भारत सरकार का अनुदान जारी होने में निहित स्वार्थ है (पीएमसी तकनीकी शुल्क के रूप में परियोजना लागत का 5 *प्रतिशत* प्राप्त करता है)।

		हालांकि मंत्रालय ने पहले ही पीएमसी के साथ करार में सुधार कर लिया था, तथ्य यह है कि इस मामले में एक ही पीएमसी एसपीवी और मंत्रालय दोनों का सलाहकार था और इसलिए इसमें हितों का टकराव है।

2. लातूर एकीकृत वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र				**श्रेणी: पूर्ण**
स्वीकृति की तिथि	**: 16.05.2008**	**वर्तमान स्थिति**	**: बंद**	
परियोजना लागत	**: ₹ 102.61 करोड़**	**वर्तमान रोजगार/नियोजित**	**: शून्य/ 10,000 व्यक्ति**	
क्षेत्र	**: 50 एकड़**	**पीएमसी का नाम**	**: टेक्नोपाक एडवाईजर्स**	
प्रस्तावित गतिविधि	**: वस्त्र बनाना**	**पूरा होने में देरी**	**: 22 महीने**	
वर्तमान गतिविधि	**: शून्य**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**: ₹ 40.00 करोड़**	

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**
मंत्रालय ने लातूर एकीकृत वस्त्र पार्क को पूरा माना और अक्तूबर 2012 में अनुदान की अंतिम किस्त जारी की और तब से इसे अपने रिकॉर्ड में कार्यात्मक रूप में दिखाना जारी रखा। लेखापरीक्षा ने (अक्तूबर 2021 में) पार्क के क्षेत्र का दौरा किया और पाया कि पार्क बंद, परित्यक्त और पूरी तरह से सुनसान पड़ा था। पार्क में बनाए गए बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, जल निकासी व्यवस्था, फैक्ट्री के भवन जर्जर हालत में पाए गए। बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी गई थी। कुछ इकाइयों में स्थापित सिलाई और काटने की मशीनें बेकार एवं त्रुटि	मंत्रालय ने बताया कि (जून/अगस्त 2022) कि पार्क का संचालन बंद होने का प्रमुख कारण यह है कि पार्क का प्रमुख प्रवर्तक अर्थात् बॉम्बे रेयॉन्स फैशन लिमिटेड (बीआरएफएल) वित्तीय संकट में था और यह राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत भी चला गया था। नकदी प्रवाह की समस्या/वित्तीय संकट के कारण ने पार्क के संचालन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। कोई भी पार्क सफलतापूर्वक चल सकता है यदि इकाइयां चालू हों और प्रमोटरों की वित्तीय व्यवहार्यता अच्छी हो; बुनियादी ढांचे	उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तथ्य यह है कि पार्क या तो स्थानीय दूरी (एसपीवी द्वारा वर्णित) या वित्तीय संकट (मंत्रालय द्वारा वर्णित) के कारण बंद हो गया और भारत सरकार का ₹ 40 करोड़ का अनुदान निष्फल हो गया। पार्क को 25 *प्रतिशत* परिचालन इकाइयों के साथ पूर्ण मानने के बाद मंत्रालय एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने में विफल रहा। **i. समय पूर्व पूर्ण**: इस तथ्य को देखते हुए उत्तर मान्य नहीं है कि:

युक्त पाई गईं। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में योजना के अनुसार क्रेच, बैंक एटीएम, डाकघर, श्रमिक आवास आदि जैसी सामान्य सुविधाओं का निर्माण नहीं पाया गया। ₹ 80 लाख की अनुमानित लागत वाला प्रशासनिक भवन अधूरा पाया गया। एसपीवी ने उत्तर दिया कि पार्क को बंद कर दिया गया था क्योंकि शहर से लगभग 10-15 किमी की स्थानीय दूरी और श्रमिकों के लिए आने-जाने के साधनों की अनुपलब्धता के कारण श्रमिकों को रखना सम्भव नहीं हो पा रहा था। रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि: i. **समयपूर्व पूर्ण**:अंतिम किस्त जारी करने से पहले, मंत्रालय ने 20 बुनाई और वस्त्र निर्माण इकाइयों के स्थान पर केवल 10 वस्त्र निर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए कम क्षमता वाले संशोधित परियोजना विन्यास को स्वीकृति दी। परियोजना को पूर्ण माना गया जब केवल 3 इकाइयों ने परिचालन शुरू किया।	का निर्माण लंबे समय में किसी भी पार्क की सफलता की गारंटी नहीं दे सकता है। इकाइयों का संचालन ही पार्क की सफलता की गारंटी दे सकता है। पार्क का स्थान एनएच 361-महाराष्ट्र से केवल 6.5 किमी की दूरी पर है और पार्क के आसपास अन्य उद्योग भी हैं। मजदूरों के आने-जाने के लिए बसें भी चल रही थीं। i. **समय पूर्व पूर्ण**: मंत्रालय ने कहा कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बहुत प्रारंभिक दस्तावेज है और इसे भविष्य के विस्तार और विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। 20 से 10 इकाइयों के परिवर्तन का यथार्थवादी निर्णय एसपीवी के सदस्यों द्वारा इसके गठन के समय लिया गया था और परियोजना अनुमोदन समिति विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के संशोधन में निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।	➢ स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार 20 इकाइयों (10 बुनाई इकाइयां और 10 वस्त्र निर्माण इकाइयां) का निर्माण किया जाना था। हालांकि, एसपीवी ने केवल 10 वस्त्र निर्माण इकाइयों का निर्माण किया और जून 2011 में पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जब तीन इकाइयों (20 इकाइयों का 15 *प्रतिशत*) ने उत्पादन शुरू किया। ➢ चूंकि 15 *प्रतिशत* परिचालन इकाइयां पार्क को पूरा मानने पर विचार करने के लिए अपेक्षित 25 *प्रतिशत* से कम थीं, मंत्रालय ने जनवरी 2012 में 20 से 10 इकाइयों की कमी के साथ एक संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मांगी और यह मानते हुए कि 30 *प्रतिशत* इकाइयों द्वारा (10 इकाइयों में 3) उत्पादन शुरू कर दिया गया है, परियोजना को पूर्ण मान लिया। ➢ इस प्रकार, पार्क को 10 बुनाई इकाइयों के निर्माण के बिना पूरा माना

ii. निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त सरकारी प्रतिनिधि की विफलता: नियुक्त सरकारी प्रतिनिधि भी एसपीवी के सामने आने वाली समस्याओं और परियोजना की विफलता के लक्षणों की प्रतिवेदन करने और भारत सरकार के अनुदान के व्यर्थ व्यय से बचने के लिए समय पर उचित कार्रवाई करने के लिए घटनाओं को मंत्रालय के ध्यान में लाने में विफल रहे। **iii. पीएमसी की विफलता और पीएमसी शुल्क पर अपव्यय :**भारत सरकार के अनुदान की अंतिम किस्त जारी होने के बाद, पीएमसी ने अपना 100 *प्रतिशत* शुल्क प्राप्त किया और परियोजना की विफलता के लक्षणों की सूचना कभी भी नहीं दी। **iv. अवसंरचना का निर्माण न होना:** मंत्रालय ने परियोजना को पूर्ण माना जबकि लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रशासनिक भवन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ था।	**ii. निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त सरकारी प्रतिनिधि की विफलता:** मंत्रालय ने बताया कि सरकार के नामित व्यक्ति आम तौर पर पार्क की बोर्ड की बैठकों में भाग लेते हैं और बैठक में चर्चा किए गए मामलों पर ध्यान देते हैं। योजना के दिशा-निर्देशों में नामित निदेशक की भूमिका को परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, इसका ध्यान रखा जा सकता है। **iii. पीएमसी की विफलता और पीएमसी शुल्क पर अपव्यय:** मंत्रालय ने बताया कि पीएमसी और मंत्रालय के बीच करार मार्च 2012 तक लागू था और मंत्रालय द्वारा प्रदत्त पूर्णता के समय पार्क चालू था। बाद में ऑर्डर की पुष्टि नहीं होने और मुख्य प्रवर्तक के वित्तीय संकट के कारण उत्पादन कम होने लगा। पूरा होने के बाद पीएमसी परियोजना के संचालन में शामिल नहीं था और यह केवल एसपीवी था जो परियोजना को चलाता था। पार्क का संचालन एसपीवी की एकमात्र जिम्मेदारी है और किसी भी मामले में जब भी मंत्रालय	गया। तथ्य यह है कि पार्क को मूल योजना के अनुसार पूरा नहीं किया गया था और एसपीवी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद कम क्षमता के साथ संशोधित विन्यास स्वीकृत किया गया था। **ii निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त सरकारी प्रतिनिधि की विफलता :** उत्तर इंगित करता है कि हालांकि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और योजना दिशानिर्देशों में सरकारी प्रतिनिधि की भूमिका को परिभाषित करने के लिए नोट किया है, तथ्य यह है कि नियुक्त सरकारी प्रतिनिधि पार्क के बंद होने की स्थिति की प्रतिवेदन करने में भी विफल रहे। **iii. पीएमसी की विफलता और पीएमसी शुल्क पर अपव्यय:** उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजना की निगरानी और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी पीएमसी की है कि स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के

	और वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा रिपोर्ट मांगी गई वह प्रस्तुत की गई थी। यह पता चला था कि वित्तीय संकट के कारण प्रमुख प्रवर्तक (बीआरएफएल) के नेशनल कंपनी विधि प्राधिकरण(एनसीएलटी) की प्रक्रिया के अन्तर्गत होने के कारण पार्क गैर-परिचालन में था। मंत्रालय ने आगे बताया (अगस्त 2022) कि 25 *प्रतिशत* से अधिक इकाइयां चालू होने पर पार्क को पूर्णता प्रदान की गई थी। पीएमसी फीस पर कोई व्यर्थ व्यय नहीं हुआ। **iv. अवसंरचना का निर्माण न होना:** मंत्रालय ने बताया कि प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जा चुका था और यहां तक कि प्रशासनिक भवन के ऊपर एक कैंटीन भी चल रही थी। मंत्रालय ने आगे कहा (अगस्त 2022) कि केवल प्रशासनिक भवन का पूरा न होना ही पार्क को पूर्णता की स्थिति से वंचित करने का मानदंड नहीं है। पार्क में उचित स्थान पर प्रशासनिक कार्य का प्रबंधन किया गया होगा।	अनुसार परियोजना का निर्माण किया जा रहा था या नहीं| पीएमसी ने कभी भी यह नहीं बताया कि एसपीवी स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के विचलन में परियोजना को क्रियान्वित कर रहा था।इसके अतिरिक्त पार्क के लिए उपयुक्त स्थान की पहचान भी पीएमसी की जिम्मेदारियों में से एक थी। एसपीवी ने बताया कि परियोजना स्थानीय दूरी के कारण विफल हो गई। इस प्रकार, तथ्य यह है कि पीएमसी की ओर से आवश्यक परिश्रम की कमी थी और इसे भुगतान किया गया शुल्क व्यर्थ हो गया क्योंकि पार्क पूरा माने जाने के बाद बंद हो गया। **iv. अवसंरचना का निर्माण न होना:** मंत्रालय का उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने अक्तूबर 2021 में एसपीवी के साथ संयुक्त निरीक्षण किया और एक अधूरा भवन पाया जिसे कि प्रशासन के लिए बनाया जाना था, जबकि पार्क के पूरा होने के समय,

		प्रशासनिक भवन का निर्माण पूर्ण दिखाया गया था। इस प्रकार, तथ्य यह है कि पार्क को प्रशासनिक भवन पूर्ण किए बिना पूर्ण माना गया था और इसके अपूर्ण होने के तथ्य को अभिलेखों में नहीं लिया गया था।

3. पोचमपल्ली हेंडलूम पार्क प्राईवेट लिमिटेड, तेलंगाना				**श्रेणी: पूर्ण**
स्वीकृति की तिथि	**: 01.07.2006**	**वर्तमान स्थिति**	**:**	**बंद**
परियोजना लागत	**: ₹ 34.00 करोड़**	**वर्तमान रोजगार/ नियोजित**	**:**	**शून्य/ 5,550 व्यक्ति**
क्षेत्र	**: 23 एकड़**	**पीएमसी का नाम**	**:**	**आईएलएंडएफएस**
प्रस्तावित गतिविधि	**: बुनाई और प्रंसस्करण**	**पूरा होने में देरी**	**:**	**33 महीने**
वर्तमान गतिविधि	**: शून्य**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**:**	**₹ 13.60 करोड़**

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**
मंत्रालय ने पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क, तेलंगाना को मार्च 2011 में 'पूर्ण' माना और जुलाई 2020 तक 189 परिचालन इकाइयों और 350 व्यक्तियों के रोजगार के साथ इसे अपने रिकॉर्ड में कार्यात्मक रूप में दिखाना जारी रखा। लेखापरीक्षा ने पार्क के क्षेत्र का दौरा किया (दिसंबर 2021) और पाया कि पार्क बंद पड़ा था। विस्तरा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (जिसे पहले आईएलएंडएफएस ट्रस्ट कंपनी के नाम से जाना जाता था) ने पार्क की चल और अचल संपत्ति पर कब्जा कर लिया था और पार्क के मुख्य द्वार पर ई-नीलामी बिक्री नोटिस चिपका दिया था। सड़कें, जल निकासी व्यवस्था, फैक्ट्री के भवन, बिजली की आपूर्ति, सीवेज उपचार	**i. गैर-विश्वसनीय परियोजना की स्वीकृति:** मंत्रालय ने बताया(जून/अगस्त 2022) कि कहीं भी, यह टिप्पणी नहीं की गई है कि पीएमसी ने उल्लेख किया है कि प्रमोटरों का न्यूनतम योगदान 20 *प्रतिशत* से 25 *प्रतिशत* होना चाहिए। हैंडलूम परियोजना के लिए ऋण प्राप्त करने और बृहद् विरासत वाले देश के पारंपरिक शिल्प को समर्थन देने के प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। इस पार्क के मामले में, चूंकि प्रवर्तक छोटे बुनकर थे, ऋणदाताओं ने भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान सहायता पर विचार करते हुए प्रवर्तक के कम योगदान के साथ परियोजना को स्वीकृति दी थी।	**i. गैर-विश्वसनीय परियोजना की स्वीकृति:** उत्तर सही नहीं है क्योंकि 5 दिसंबर 2011 के पीएमसी पत्र के खंड 2(बी) में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाए जाने वाले सामान्य वित्तपोषण मापदंडों के अनुसार, परियोजना लागत का न्यूनतम 20 से 25 *प्रतिशत* प्रमोटरों का योगदान ऋणदाताओं द्वारा निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, तथ्य यह है कि मंत्रालय ने प्रवर्तक के 5 *प्रतिशत* के योगदान सहित एक वित्तीय रूप से अव्यवहार्य परियोजना/गैर-विश्वसनीय परियोजना को स्वीकृति दी और पीएमसी द्वारा स्वीकृत

संयंत्र आदि जैसे बुनियादी ढांचे सुनसान थे और बेकार पाए गए। पार्क के किसी भी निदेशक/सदस्य ने संयुक्त निरीक्षण में भाग नहीं लिया और न ही लेखापरीक्षा को जानकारी/रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए साइट पर उपस्थित थे | रिकार्डों की जांच में पाया गया कि: **i. गैर-विश्वसनीय परियोजना को स्वीकृति:** पीएमसी के 5 दिसंबर 2011 के पत्र में परिकल्पना की गई है कि बैंकों द्वारा पालन किए जाने वाले सामान्य वित्तपोषण मापदंडों के अनुसार, प्रवर्तक का न्यूनतम योगदान परियोजना लागत का 20 *प्रतिशत* से 25 *प्रतिशत* होना चाहिए। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि परियोजना को प्रवर्तक के केवल 5 *प्रतिशत* के अंशदान से स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार, मंत्रालय ने एक ऐसी परियोजना को स्वीकृति दी जो गैर-विश्वसनीय थी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं थी। **ii. पीएमसी द्वारा निभाई गई भूमिका में हितों का टकराव:** परियोजना के पीएमसी अर्थात	स्वीकृति से पहले ऋणदाताओं द्वारा परियोजना का विधिवत मूल्यांकन किया गया था। तथा इस प्रकार, ऋणदाताओं द्वारा विश्वसनीयता और व्यवहार्यता का अध्ययन/जांच की गई थी । **ii. पीएमसी द्वारा निभाई गई भूमिका में हितों का टकराव:** मंत्रालय ने बताया कि पार्क को ऋण पूल्ड म्युनिसिपल डेट ऑब्लिगेशन (पीएमडीओ) सुविधा के अन्तर्गत बढाया गया था, जिसे आईएलएंडएफएस अर्बन आधारभूत संरचना मैनेजर्स (आईयूआईएमएल) द्वारा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) के रूप में प्रबंधित किया जाता है। पीएमडीओ एक क्रेडिट सुविधा है जिसमें 15 बैंकों का एक संघ उचित परिश्रम करने के बाद परियोजना के लिए जोखिम लेता है। कंसोर्टियम में आईएलएंडएफएस का प्रदर्शन 10 *प्रतिशत* से कम था और शेष 14 बैंकों के कंसोर्टियम के पास था।	ऋण के पुनर्भुगतान में विफलता के कारण परियोजना अंततः बंद हो गई। **ii. पीएमसी द्वारा निभाई गई भूमिका में हितों का टकराव:**उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने आईएलएंडएफएस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं (16 सितंबर 2005) जिसमें इसके उत्तराधिकारी, निर्धारिती, सहयोगी, सहायक और इसके प्रबंधन के अन्तर्गत निधि शामिल होंगे। इस प्रकार, आईएलएंडएफएस अर्बन आधारभूत संरचना मैनेजर्स और आईएलएंडएफएस क्लस्टर्स इनिशिएटिव लिमिटेड को दो अलग-अलग संस्थाओं के रूप में नहीं माना जा सकता है। तथ्य यह है कि मंत्रालय का पीएमसी होने के कारण, आईएलएंडएफएस के पास सावधि ऋण के लिए स्वीकृति पत्र की उपलब्धता की जांच करने की जिम्मेदारी थी लेकिन इसने स्वयं एसपीवी को ऋण घटक के लिए एक स्वीकृति पत्र जारी किया और भारत सरकार से अनुदान जारी करने की

आईएलएंडएफएस ने एक गैर-विश्वसनीय परियोजना को स्वीकृति देने की अनुशंसा की। भारत सरकार के अनुदान की दूसरी किस्त जारी करने के लिए, आईएलएंडएफएस ने स्वयं सावधि ऋण के लिए एक स्वीकृति पत्र जारी किया और भारत सरकार के अनुदान को जारी करने की अनुशंसा की। इसने पार्क के 19 *प्रतिशत* इक्विटी शेयर भी ले लिए थे।	आईयूआईएमएल द्वारा ऋण के लिए स्वीकृति पत्र जारी किया गया था, जबकि पीएमसी आईएलएंडएफएस क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिमिटेड था, जिसने हैंडलूम सेक्टर को समर्थन देने के उपाय के रूप में इक्विटी हिस्सेदारी भी ली थी। इसके अलावा, इक्विटी निवेश योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप था जिसने पीएमसी को भी परियोजना में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुल परियोजना लागत- वस्त्र मंत्रालय, राज्य सरकार, राज्य औद्योगिक विकास निगम, उद्योग, परियोजना प्रबंधन सलाहकार के द्वारा इक्विटी/अनुदान और बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण के संयुक्त माध्यम से वित्तपोषित की जाएगी।	अनुशंसा की जिसके आधार पर मंत्रालय ने अनुदान जारी किया। इस प्रकार, पीएमसी द्वारा निभाई गई भूमिका में हितों का स्पष्ट टकराव है।

4. डोड़बल्लापुर एकीकृत वस्त्र पार्क, कर्नाटक				**श्रेणीः पूर्ण**	
स्वीकृति की तिथि	**: 01.07.2006**	**वर्तमान स्थितिः**	**:**	**गैर-वस्त्र गतिविधियों के साथ कार्यात्मक**	
परियोजना लागत	**: ₹ 80.25 करोड़**	**वर्तमान रोजगार/योजनाबद्ध**	**:**	**948/ 2,000 व्यक्ति**	
क्षेत्र	**: 48 एकड़**	**पीएमसी का नाम**	**:**	**आईएलएण्डएफएस**	
प्रस्तावित गतिविधि	**: बुनाई**	**पूर्ण होने में विलम्ब**	**:**	**47 माह**	
वर्तमान गतिविधि	**: बुनाई और गैर-वस्त्र गतिविधियां**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**:**	**₹ 32.01 करोड़**	

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**
मंत्रालय ने डोड़बल्लापुर एकीकृत वस्त्र पार्क, कर्नाटक को जून 2012 में पूरा हुआ माना और तब से इसे अपने रिकॉर्ड में कार्यात्मक दिखाना जारी रखा। जुलाई 2020 तक, मंत्रालय ने 550 व्यक्तियों के रोजगार के साथ पार्क में 42 इकाइयों को संचालित दिखाते हुए जानकारी प्रदान की । लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2021 में पार्क का दौरा किया और निम्नलिखित पायाः-	**i. गैर-वस्त्र गतिविधियां और** **ii. फैक्ट्री के भवन को किराये पर देना:** मंत्रालय ने बताया (जून 2022) कि परियोजना के पूर्ण होने के बाद एसपीवी पार्क के लिए तैयार किये गये ढांचे से बड़े पैमाने पर विचलित हो गया होगा। इसलिए इस संबंध में एसपीवी से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है और पार्क में वस्त्र इकाइयों को स्थापित करने/चलाने के लिए निर्देश दिये जा सकते हैं। **iii. निष्क्रिय सामान्य सुविधाएं:** मंत्रालय ने बताया (जून 2022) कि उक्त जगह के गैर-उपयोग और	**i. गैर-वस्त्र गतिविधियां और** **ii. फैक्ट्री के भवन को किराये पर देना:** उत्तर इंगित करता है कि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया है परन्तु तथ्य यह है कि कोई प्रभावी निगरानी तंत्र मौजूद नहीं था जो इस तरह के विचलन को रोक सकता । **iii. निष्क्रिय सामान्य सुविधाएं:** उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सामान्य सुविधाएं निष्क्रिय थीं और किराये पर नहीं दी गई थी। तथ्य यह है कि भारत सरकार

i. गैर-वस्त्र गतिविधियां-

कुल 70 कार्यात्मक इकाइयों में से 55 फैक्टरी इकाइयों में गैर-वस्त्र गतिविधियां जैसे इंजीनियरिंग कार्य, फर्नीचर कार्य, बीज प्रसंस्करण आदि चल रही थी।

ii. फैक्ट्री के भवन को किराये पर देना: बड़ी संख्या में वास्तविक शेयरधारकों/उद्यमियों ने गैर-वस्त्र गतिविधियों को चलाने के लिए अपने फैक्ट्री के शेड किराये पर दिये थे।

iii. निष्क्रिय सामान्य सुविधाएं-

बहुउद्देशीय हॉल, डिजाइन केन्द्र, डिस्प्ले केन्द्र, डिस्पेंसरी इत्यादि, जैसी सामान्य सुविधाओं के लिए निर्मित तीन अलग-अलग भवनों का कभी भी उपयोग नहीं किया गया और निर्माण के बाद से बेकार पड़े हुए थे।

मौजूदा सदस्यों द्वारा आधारभूत संरचना के उपयोग के तरीके पर एसपीवी से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। मंत्रालय ने आगे कहा (अगस्त 2022) कि आम सुविधाओं को सदस्यों की सामान्य जरूरतों के लिए डिजाईन किया गया था और उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान पर सदस्यों को किराए पर दिया गया था। निर्मित स्थान का उपयोग न होने के कारण हो सकते हैं।

iv. भारत सरकार के अनुदान से निर्मित आधारभूत संरचनाओं की बिक्री: मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि बेची गई मशीनरी का विवरण एसपीवी से मांगा जाएगा, क्योंकि यह पार्क के पूर्ण होने के बाद किया गया हो सकता है। एसपीवी को स्पष्टीकरण के साथ अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया जाएगा। मंत्रालय ने आगे कहा (अगस्त 2022) कि पार्कों के पूर्ण होने के बाद उनकी निगरानी और पीएमसी को व्यावसायिक शुल्क के भुगतान के प्रावधान के अभाव में लेखापरीक्षा दल द्वारा किया गया अवलोकन मंत्रालय के संज्ञान में नहीं आ सका।

के अनुदान से निर्मित सामान्य सुविधाएं निष्क्रिय पाई गई थी।

iv. भारत सरकार के अनुदान से निर्मित आधारभूत संरचना की बिक्री:-

उत्तर इंगित करता है कि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को मान लिया है और एसपीवी से स्पष्टीकरण मांगने हेतु नोट कर लिया है। मंत्रालय मामले की जांच कर उचित कार्रवाई कर सकता है।

v. पीएमसी द्वारा निभाई गई भूमिका में हितों का टकराव:- उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने आईएलएंडएफएस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं (सितंबर 2005) जिसमें इसके प्रबंधन के अन्तर्गत आने वाले उत्तराधिकारी, नियुक्त किये गये व्यक्ति, सहायक और फंड शामिल हैं। अतः आईएलएंडएफएस अर्बन आधारभूत संरचना मैनेजर्स को एक अलग इकाई के रूप में नहीं माना जा सकता। तथ्य यह है कि मंत्रालय के पीएमसी होने

iv. भारत सरकार के अनुदान से निर्मित आधारभूत अवसंरचना की बिक्रीः

एसपीवी ने एक सामान्य तैयारी इकाई (सामान्य आकार, वारपिंग और गोदाम, प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण, प्रशिक्षण इकाई और प्रशिक्षण उपकरण) को विकसित करने हेतु रू 12.72 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान की मांग की। इन सुविधाओं को मंत्रालय की पूर्व अनुमति लिए बिना बेच दिया गया।

v. पीएमसी द्वारा निभाई गई भूमिका में हितों का टकराव: परियोजना के पीएमसी अर्थात् आईएलएंडएफएस ने परियोजना की विश्वसनीयता की पुष्टि किये बिना भारत सरकार के अनुदान की पहली किस्त के दूसरे भाग को जारी करने की अनुशंसा की क्योंकि आईएलएंडएफएस ने स्वयं सावधि ऋण प्रदान करने के लिए एक स्वीकृति पत्र जारी किया और मंत्रालय ने अनुदान जारी कर दिया। एसपीवी कर्ज के जाल में

v. पीएमसी द्वारा निभाई गई भूमिका में हितों का टकरावः मंत्रालय ने कहा कि पीएमसी से यह पता चला कि पूल्ड म्युनिसिपल डेट आब्लिगेशन (पीएमडीओ) सुविधा के रूप में 15 बैंकों के कंसोर्टियम के अन्तर्गत ऋण सुविधा का विस्तार किया गया था जिसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) के रूप में आईएलएंडएफएस अर्बन आधारभूत संरचना मैनेजर्स (आईयूआईएमएल) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। पीएमडीओ एक क्रेडिट सुविधा है जिसमें 15 बैंकों का एक संघ अपनी खुद की जांच पड़ताल करने के बाद परियोजना में ऋण का जोखिम लेता है। संघ में आइएलएंडएफएस का ऋण जोखिम 10 *प्रतिशत* से भी कम है तथा बाकी का ऋण जोखिम 14 बैंकों के संघ का है। ऋण स्वीकृत करने का निर्णय पीएमडीओ और आईयूआईएमएल के अन्तर्गत ऋणदाताओं की एक क्रेडिट समिति द्वारा लिया जाता है, क्योंकि एएमसी एसपीवी को स्वीकृति की सूचना देता है। अतः यह तर्क कि परियोजना कार्यान्वयन में सहायता हेतु ऋण दिया गया था पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। इसके अतिरिक्त

के नाते, आईएलएंड़एफएस के पास सावधि ऋण के लिए स्वीकृति पत्र की उपलब्धता की जांच करने की जिम्मेदारी थी। परन्तु इसने स्वयं एसपीवी को ऋण घटक के लिए स्वीकृति पत्र जारी किया और भारत सरकार के अनुदान को जारी करने की अनुशंसा की जिसके आधार पर मंत्रालय ने अनुदान जारी कर दिया। अतः, पीएमसी द्वारा निभाई गई भूमिका में हितों का स्पष्ट रूप से टकराव है।

vi. केन्द्र सरकार के नामिती द्वारा किया गया आपराधिक कृत्यः-

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि केन्द्र सरकार के नामिती ने भारत सरकार के अनुदान से बनाई गई संपति की बिक्री पर सवाल नहीं उठाया और जनहित की रक्षा करने में विफल रहे जिसके लिए उन्हें सरकारी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था।

फंस गया क्योंकि पार्क के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं में से एक बहुत अधिक ब्याज दर थी जिस पर पीएमसी द्वारा ऋण प्रदान किया गया था। **vi. सरकारी नामिती द्वारा किया गया आपराधिक कृत्यः** भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुदान के स्वीकृति पत्र के नियम व शर्तों के अनुसार सरकारी अनुदान से बनाई गई संपति को मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं बेचा जा सकता। बोर्ड की एक बैठक में जिसमें केन्द्र सरकार का नामिती भी मौजूद था, एसपीवी ने पार्क की संपत्तियों/आधारभूत संरचना को बेचने का प्रस्ताव पारित किया। तत्पश्चात, एसपीवी ने मंत्रालय के अनुमोदन के बिना ही प्रशिक्षण उपकरण और अन्य आधारभूत संरचनाएं बेच दी। इस प्रकार सरकार का नामिती जनहित की रक्षा करने में विफल रहा और इस तरह का कार्य अपराध की श्रेणी में आता है।	ऋण अंततः 15 ऋणदाताओं द्वारा पीएमडीओ संघ के रूप में स्वीकृत किये गये थे और उस समय ऋण पर ब्याज दर बहुत अधिक नहीं थी। यह मात्र 10.50 *प्रतिशत* वार्षिक थी। **vi. सरकारी नामिती द्वारा किया गया आपराधिक कृत्यः** मंत्रालय ने कहा कि एसपीवी बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त सरकारी प्रतिनिधि सामान्यतः वस्त्र पार्क की बैठक में भाग लेते है और बैठक में चर्चा किये गये मामलों पर ध्यान रखते हैं और निदेशक मण्डल के सदस्य के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। मंत्रालय हालांकि इस बात से सहमत था (अगस्त 2022) कि योजना के दिशा-निर्देशों में सरकारी नामिती की भूमिका को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।	

5. ब्रैंडिक्स इंडिया परिधान सिटी प्राइवेट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश				**श्रेणीः पूर्ण**
स्वीकृति की तिथि	**: 01.07.2006**	**वर्तमान स्थितिः**	**:**	**कार्यात्मक**
परियोजना लागत	**: ₹ 134.42 करोड़**	**वर्तमान रोजगार/योजनाबद्ध**	**:**	**19,000/ 60,000 व्यक्ति**
क्षेत्र	**: 1,000 एकड़**	**पीएमसी का नामः**	**:**	**आईएलएण्डएफएस**
प्रस्तावित गतिविधि	**: कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, गारमेंटिग और संबद्ध गतिविधियां**	**कार्य पूर्ण होने में विलम्ब**	**:**	**27 महीने**
वर्तमान गतिविधि	**: क्षेत्र का दौरा नहीं किया गया**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**:**	**₹ 40.00 करोड़**

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**
कोविड-19 की तीसरी लहर के कारण लेखापरीक्षा इस पार्क का दौरा नहीं कर सका। हालांकि, रिकार्ड की जांच में निम्नलिखित तथ्य पाए गए:- **i. खाली भूमिः** 1,000 एकड़ भूमि में से, 500 एकड़ भूमि (50 फीसदी) अब भी खाली थी। **ii. उद्देश्यों की प्राप्ति न होनाः** कार्य पूर्ण होने के 10 वर्ष से अधिक के बाद भी रोजगार पैदा करने, निवेश आकृष्ट करने और वस्त्र इकाइयों को लगाने, जैसे अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है।	**i. खाली भूमिः**- मंत्रालय ने बताया (जून 2022) कि परियोजना को 14 इकाइयों की स्थापना हेतु एसईजेड पार्क के रूप में स्वीकृति दी गई थी। पार्क के संचालन के बाद, कई नीतिगत बदलाव हुए जैसे कि एसईजेड इकाइयों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) लगाना, लाभांश वितरण कर आदि जिसने एसईजेड इकाइयों को आयकर-छूट के रूप में मिलने वाले लाभ को गंभीर रुप से प्रभावित किया। इन्हीं कारणों से, एसपीवी को और अधिक निवेशकों को आकर्षित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था।	उत्तर दर्शाता है कि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा किये गये अवलोकन को स्वीकार किया है और पार्क में अधिक निवेशकों को लाने के लिए ठोस प्रयास करने हेतु नोट भी किया है।

	हालांकि,यह अधिक निवेशकों को लाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। **ii. उद्देश्यों की प्राप्ति न होनाः** मंत्रालय ने कहा कि 15 इकाइयां संचालित हैं, वर्तमान समय में 21000 व्यक्तियों के पास रोजगार है और वर्तमान निवेश ₹ 1,098 करोड़ (लगभग) है।	

6. लोटस एकीकृत टेक्स पार्क, बरनाला, पंजाब				**श्रेणीः पूर्ण**
स्वीकृति की तिथि	**: 05.03.2007**	**वर्तमान स्थिति**	**:**	**संचालित**
परियोजना लागत	**: ₹ 110.26 करोड़**	**वर्तमान रोजगार/योजनाबद्ध**	**:**	**962/2,400 व्यक्ति**
क्षेत्र	**: 100 एकड़**	**पीएमसी का नामः**	**:**	**आईएलएण्डएफएस**
प्रस्तावित गतिविधि	**: कताई, बुनाई, गारमेंटिग और संबद्ध गतिविधियां**	**कार्य पूर्ण होने में विलम्ब**	**:**	**39 महीने**
वर्तमान गतिविधि	**: कताई, बुनाई, गारमेंटिग और रंगाई**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**:**	**₹ 40.00 करोड़**

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**
वस्त्र पार्क के विकास के उद्देश्य से, अभिषेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (ट्राइडेंट ग्रुप) ने नवंबर 2006 में लोटस एकीकृत टेक्स पार्क लिमिटेड नामक एक कंपनी को शामिल किया और अपनी 99.11 एकड़ जमीन इस कंपनी को पट्टे पर दी, जिसमें अभिषेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 30 *प्रतिशत* शेयर के साथ प्रमुख शेयरधारक बन गया। लेखापरीक्षा ने इस पार्क का क्षेत्र दौरा किया और निम्नलिखित पायाः- **i. एसपीवी द्वारा सभी इकाइयां स्वयं चलानाः** 10वीं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पार्क	**i. एसपीवी द्वारा सभी इकाइयां स्वयं चलानाः** मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि पार्क ने एकीकृत वेल्यू चैन के भाग के रूप में कार्य करने हेतु 7 इकाइयों की स्थापना करने की परिकल्पना की थी। सभी इकाइयों ने एक अलग विधिक इकाई के रूप में अपना व्यावसायिक उत्पादन शुरु कर दिया था और मंत्रालय ने पार्क को अक्तूबर 2012 में पूर्ण माना। पार्क का कार्य पूर्ण होने के बाद, इन इकाइयों को परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था तथा ये स्टैंडअलोन आधार पर बैंक से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने	**i. एसपीवी द्वारा सभी इकाइयां स्वयं चलानाः** यद्यपि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया है कि एसपीवी स्वयं सभी इकाइयों को चला रहा था, लेकिन एसपीवी द्वारा इकाइयों के समामेलन और सभी इकाइयों को चलाने के लिए मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया, जोकि एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर था क्योंकि इसने एसपीवी को ₹ 40.00 करोड़ का अनुदान प्रदान किया था। अतः, तथ्य यह रह जाता है कि एसपीवी का कार्य योजना दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।

में बुनियादी ढांचे के विकास के बाद, एसपीवी इकाइयों की स्थापना के लिए उद्योग को साइट आवंटित करेगा और इकाई धारकों से सेवा और उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करके निर्मित की गई उपयोगिताओं और बुनियादी ढांचे को बनाए रखेगा। हालांकि, लेखापरीक्षा ने कम्पनी की वार्षिक प्रतिवेदन से पाया कि कंपनी स्वयं पार्क में स्थित सभी इकाइयों को चला रही थी। **ii. स्वयं की आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाओं का निर्माण न करनाः** एसपीवी ने अपनी स्वयं की अव-सरंचना जैसे चारदीवारी, जलापूर्ति (अनुमानित लागत ₹ 2.08 करोड़), सामान्य अपशिष्ट उपचार संयत्र (अनुमानित लागत ₹ 8.43 करोड़), और विद्युत वितरण प्रणाली (अनुमानित लागत ₹ 3.17 करोड़) नहीं बनाई थी। भारत सरकार के जलापूर्ति हेतु ₹ 1.00 करोड़ और विद्युत वितरण प्रणाली हेतु ₹ 3.00 करोड़ के अनुदान इन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए ट्राइडेंट	में विफल रहीं। इससे इन इकाइयों के लिए नियमित रूप से एसपीवी को पट्टे और अन्य शुल्कों का भुगतान करना कठिन हो गया। इसके कारण, अलग-अलग कानूनी संस्थाओं के रूप में इकाइयों को चलाना अव्यावहारिक हो गया और इसलिए अपने संचालन को बनाए रखने के अंतिम उपाय के रूप में, उक्त इकाइयों/कंपनियों ने एसपीवी के साथ समामेलन की एक योजना में प्रवेश किया और एसपीवी (2014 और 2018 में) में समामेलित हो गईं। इसके बाद, समामेलन को माननीय उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया। एसपीवी हितधारकों से सभी आवश्यक अनुमोदन और सहमति लेने के बाद सभी इकाइयों को चला रहा था। **ii. स्वयं की आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाओं का निर्माण न करनाः** मंत्रालय ने कहा कि एसपीवी ने पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पीएसईबी) से एक नये	**ii. स्वयं की आधारभूत संरचनाओं संबंधी सुविधाओं का निर्माण न करनाः**- उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एसपीवी ने अपनी स्वयं की अवसंरचना जैसे विद्युत वितरण प्रणाली, जलापूर्ति प्रणाली और सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र का निर्माण नहीं किया जबकि अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में ₹ 3.17 करोड़ के 33/11 के.वी सबस्टेशन, ₹ 2.08 करोड़ की जलापूर्ति प्रणाली और ₹ 8.43 करोड़ की अपशिष्ट उपचार संयत्र प्रणाली के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। मंत्रालय ने ऐसी बुनियादी सुविधाओं की भौतिक प्रगति का पता लगाए बिना भारत सरकार के अनुदान का 90 *प्रतिशत* हिस्सा जारी कर दिया। तथ्य यह है कि एसपीवी ने अपनी स्वयं की अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण किए बिना भारत सरकार का सम्पूर्ण अनुदान प्राप्त कर लिया।

समूह को हस्तांतरित कर दिये गये। **iii. प्रशासनिक कार्यालय का न होनाः** परिसर में एसपीवी के लिए कोई प्रशासनिक कार्यालय नहीं पाया गया। **iv. भूमि का खाली पड़े रहनाः** 99.11 एकड़ भूमि में से, 24 एकड़ (24 *प्रतिशत*) खाली पड़ी थी। **v. बनाई गई आधारभूत संरचना को पट्टे पर देनाः** भारत सरकार के अनुदान में से, एसपीवी ने प्रशिक्षण केंद्र और अतिथि गृह के लिए तक्षशिला भवन का निर्माण किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि तक्षशिला भवन को ₹ 2.38 लाख प्रति माह की राशि पर ट्राइडेंट ग्रुप को किराये पर दिया गया था। **vi. ट्राइडेंट ग्रुप की 20 *प्रतिशत* से अधिक इक्विटी होल्डिंगः-** मंत्रालय ने नवंबर 2005 में आयोजित परियोजना अनुमोदन समिति की दूसरी बैठक में निर्णय लिया था कि किसी भी एक उद्यमी के पास पार्क के अन्दर औद्योगिक उपयोग के लिए	कनेक्शन के लिए अनुरोध किया था परन्तु उसने ट्राइटेंड लिमिटेड द्वारा स्थापित सबस्टेशन से बिजली लेने का सुझाव दिया। इसलिए, एसपीवी ने पीएसईबी की सलाह को मानते हुए बिजली की आपूर्ति हेतु ट्राइडेंट लिमिटेड के साथ समझौता किया। परियोजना अनुमोदन समिति ने अपनी 28$^{वीं}$ बैठक में भी इन तथ्यों को नोट किया और भारत सरकार के अनुदान को ₹ 40.00 करोड़ पर अपरिवर्तित रखते हुए ₹ 4.00 करोड़ के व्यय को कार्य के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया। इस प्रकार ₹ 4.00 करोड़ की पूरी राशि एसपीवी द्वारा अपने स्वयं के कोष से वहन की गई थी। **iii. प्रशासनिक कार्यालय का न होनाः** मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि एसपीवी का प्रशासनिक कार्यालय लर्निंग एंड डेवलपमेंट केन्द्र में चल रहा है। मंत्रालय ने आगे कहा (अगस्त 2022) कि प्रशासनिक कार्यालय तक्षशिला भवन का हिस्सा था। एसपीवी द्वारा डीपीआर में कोई अलग प्रशासनिक	**iii. प्रशासनिक कार्यालय का न होनाः-** उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लर्निंग एवं डेवलपमेंट केन्द्र अर्थात् तक्षशिला भवन को ट्राइडेंट समूह को किराये पर दिया गया था और एसपीवी के साथ किये गये संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक कार्यालय नहीं मिला। डीपीआर के अनुसार, सामान्य सुविधा के अन्तर्गत प्रशासनिक ब्लाक बनाया जाना था जिसके लिए ₹ 1.32 करोड़ का प्रावधान किया गया था। **iv. भूमि का खाली पड़े रहनाः** उत्तर इंगित करता है कि मंत्रालय ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया है कि उक्त खाली भूमि में मानव निर्मित फाइबर और तकनीकी वस्त्र परियोजना स्थापित किये जायेंगे। **v. बनाई गई आधारभूत संरचना को पट्टे पर देनाः** उत्तर दर्शाता है कि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया है।

निर्धारित क्षेत्र का 20 *प्रतिशत* से अधिक स्वामित्व नहीं होगा। 2019-20 की वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, ट्राइडेंट ग्रुप के पास कंपनी की 37.49 *प्रतिशत* हिस्सेदारी है। **vii. लोटस एकीकृत वस्त्र पार्क ट्राइडेंट की एसोसिएट फर्म बन गईः** 7 जनवरी 2016 के बिजनेस स्टैंडर्ड के एक समाचार लेख के अनुसार, लोटस एकीकृत टेक्स पार्क ट्राइडेंट समूह की एसोसिएट फर्म बन गई।	कार्यालय प्रस्तावित नहीं किया गया था। एसपीवी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इसकी एक कॉर्पोरेट, प्रशासनिक और संचालन टीम है जो मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के अन्तर्गत काम करती है। **iv. भूमि का खाली पड़े रहनाः** मंत्रालय ने कहा कि पार्क में पड़ी खाली जमीन भविष्य में विस्तार हेतु थी। खाली भूमि पर सुविधाओं का निर्माण किया जा सकता है जिसे किसी भी संभावित उद्यमी को आबंटित किया जा सकता है। पीएमसी से पता चला है कि एसपीवी ने हाल ही में उपरोक्त खाली भूमि पर मानव निर्मित फाइबर और तकनीकी वस्त्र परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। **v. बनाई गई आधारभूत संरचना को पट्टे पर देनाः** मंत्रालय ने बताया कि सामान्य सुविधाएं मैम्बर इकाइयों के उपयोग के लिए बनाई गई थीं जिसके लिए उन्हें एसपीवी को एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना था। तक्षशिला भवन का निर्माण सामान्य सुविधा	**vi. ट्राइडेंट समूह की 20 *प्रतिशत* से अधिक इक्विटी होल्डिंग और vii. लोटस एकीकृत वस्त्र पार्क का ट्राइडेंट की सहयोगी फर्म बननाः**- तथ्य यह है कि एसपीवी की स्थापना के समय, अभिषेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (ट्राइडेंट समूह) के पास एसपीवी के 30 *प्रतिशत* शेयर थे जो मंत्रालय के नवम्बर 2005 के निर्णय के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने नवंबर 2005 में निर्णय लिया था कि किसी भी उद्यमी के पास 20 *प्रतिशत* से अधिक शेयर नहीं होंगे जबकि परियोजना को मार्च 2007 में स्वीकृति दी गई थी, इस प्रकार, तथ्य यह है कि मंत्रालय ने परियोजना को स्वीकृति देते समय अपने स्वयं के निर्णय का पालन नहीं किया और अभिषेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (ट्राइडेंट समूह) को 20 *प्रतिशत* शेयर की निर्धारित सीमा के मुकाबले 30 *प्रतिशत* शेयर रखने की अनुमति दी।

	के एक भाग के रुप में किया गया था और इसे ट्राइडेंट लिमिटेड़ को किराये पर दिया गया है। **vi.ट्राइडेंट समूह की 20 *प्रतिशत* से अधिक इक्विटी होल्डिंग और vii. लोटस एकीकृत वस्त्र पार्क का ट्राइडेंट की एसोसिएट फर्म बननाः** मंत्रालय ने कहा कि उसे ट्राइडेंट ग्रुप की वार्षिक प्रतिवेदन से सम्बंधित जानकारी नहीं है। मंत्रालय ने परियोजना प्रबंधन सलाहकार से पता लगाया कि आज की तारीख में लोटस एकीकृत वस्त्र पार्क ट्राइडेंट की एसोसिएट फर्म नहीं है क्योंकि लोटस एकीकृत वस्त्र पार्क के एसपीवी में अवरोक्त की शेयरधारिता को स्थानांतरित कर दिया गया है और इसलिए 16.10.2020 से एसपीवी में ट्राइडेंट लिमिटेड की कोई इक्विटी शेयरहोल्डिंग नहीं है। मंत्रालय ने आगे बताया (अगस्त 2022) कि धारा 'एसपीवी द्वारा सदस्यों को आबंटित क्षेत्र के अनुपात में शेयर जारी करना' उस समय लागू योजना दिशा-निर्देशों में नहीं था।	

7. जयपुर एकीकृत टेक्सक्राफ्ट पार्क प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान				**श्रेणीः पूर्ण**
स्वीकृति की तिथि	**: 16.05.2008**	**वर्तमान स्थितिः**	**:**	**संचालित**
परियोजना लागत	**: ₹ 60.15 करोड़**	**वर्तमान रोजगार/योजनाबद्ध**	**:**	**534/4,400 व्यक्ति**
क्षेत्र	**: 23.42 एकड़**	**पीएमसी का नामः**	**:**	**आईएलएण्डएफएस**
प्रस्तावित गतिविधि	**: हैडंब्लॉक प्रिंटिंग, गारमेंटिंग और रंगाई**	**कार्य पूर्ण होने में विलम्ब**	**:**	**35 महीने**
वर्तमान गतिविधि	**: हैंडब्लॉक प्रिंटिंग, गारमेंटिंग और रंगाई**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**:**	**₹ 24.06 करोड़**

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**
लेखापरीक्षा ने (जुलाई 2021) पार्क का क्षेत्र दौरा किया और निम्नलिखित को पायाः **i. सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) के निर्माण में अनियमितताएं-** 0.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) के जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सीईटीपी के टर्नकी निर्माण के लिए आईएलएंडएफएस/एसपीवी ने उच्चतम बोली लगाने वाले मैसर्स जीईटी वाटर साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड़ का चयन किया, जबकि सबसे कम बोली लगाने वाले ने केवल ₹ 2.29 करोड़ की	**i. सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र के निर्माण में अनियमितताएं-** मंत्रालय ने बताया (जून 2022) कि जैसा कि पता चला है, एल-1 बोलीदाता (जीईटी वाटर साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड) को ठेका तकनीकी जांच प्रक्रिया का पालन करने के बाद दिया गया। इस प्रक्रिया में किसी न्यूनतम बोलीदाता को अस्वीकार नहीं किया गया। सीईटीपी के कार्य का दो चरणों में कार्यान्वयन किया गया (100 किलो लीटर प्रति दिन (केएलडी) + 400 केएलडी)। सीईटीपी की समेकित लागत	**i. सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) के निर्माण में अनियमितताएं-** उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसपीवी द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए दस्तावेज़/रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि ठेका उच्चतम बोलीदाता को दिया गया था जो एसपीवी के तीन साल के संचालन और रखरखाव के दायित्व को पूरा करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के अनुसार, निम्नलिखित चार बोलीदाताओं

बोली लगाई। तीन साल के संचालन और रखरखाव के साथ सीईटीपी और सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण कार्य मैसर्स जीईटी वाटर साल्यूशन को ₹ 3.55 करोड़ रुपये में जारी किया गया। इसके उपरान्त इसी कार्य के लिए कुल ₹ 11.63 करोड़ के विभिन्न कार्य आदेश जारी किए गए और 2010 और 2014 के बीच लगभग ₹ 11.28 करोड़ का भुगतान किया गया। इसके उपरान्त मैसर्स जीईटी वाटर साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने सीईटीपी और एसटीपी का कार्य पूर्ण किया। जब कई खामियां पाई गई और सुधार के लिए फर्म को बताया गया तो फर्म के कर्मचारी एसपीवी को बिना बताये साइट छोड़कर चल गये, इसके बाद फर्म ने तीन साल के संचालन और रखरखाव की प्रतिबद्धता को भी कभी पूरा नहीं किया और उसके बाद कभी वापस नहीं आये। फर्म के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था परन्तु वह फरार हो गई थी।

सीईटीपी की निविदा के विरूद्ध केवल ₹ 7.37 करोड़ थी न कि ₹ 11.63 करोड़ जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा उल्लेखित है। क्योंकि यह केवल मौजूदा अनुबंध में उन्नयन था, ₹ 2.68 करोड़ की लागत के जलापूर्ति और सीवरेज कार्य (जल प्रबंधन प्रणाली के रूप में बदला गया नाम) को पैकेज-2 के शेष कार्य से निष्पादित किया गया था। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए ही फंडिंग उपलब्ध है। सभी भुगतान पात्र व्यय के लिए किये गये थे और केवल सुविधाओं के निर्माण से संबंधित थे। एसपीवी अपनी स्वयं की वित्तीय व्यवस्था के साथ ओएंडएम के लिए एजेंसी चुनने के लिए स्वतंत्र था। एसपीवी द्वारा जीईटी वाटर साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को ओएंडएम के लिए 3 वर्ष का कार्य आदेश दिया गया और इसके व्यय की राशि का भुगतान केवल अपने स्वयं के अंशदान से किया।

की वित्तीय बोली जुलाई 2010 में खोली गई:-

विक्रेता का नाम	**बोली लगाया गया मूल्य (₹)**
अरविंद एसीसीईएल लिमिटेड	8,80,35,924 (एल 3)
जीईटी वाटर साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	**18,18,16,003 (एल 4)**
जे.बी.आर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	2,29,22,922 (एल 1)
रोकेम सेपरेशन सिस्टम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	8,54,76,930 (एल2)

आईएलएंडएफएस और एसपीवी ने उच्चतम बोलीदाता (एल 4) को चुना।

ii. परियोजना प्रबंधन सलाहकार की ओर से निगरानी और देखरेख में चूकः आईएलएंडएफएस (एसपीवी द्वारा नियुक्त परियोजना प्रबंधन सलाहकार) ने जीईटी वाटर साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया और इसके कार्यों का पर्यवेक्षण किया जिसके लिए आईएलएंडएफएस को निगरानी और पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान किया गया था। फर्म को सभी भुगतान आईएलएंडएफएस की सिफारिशों के आधार पर किये गए। इस प्रकार, आईएलएंडएफएस और एसपीवी भारी भुगतान करने के बावजूद सीईटीपी को सफलतापूर्वक संचालित करने में विफल रहे। **iii.** ₹ 190.32 लाख की अनुमानित लागत से निर्मित की जाने वाली सामान्य सुविधाएं जैसे सर्विस एरिया, प्राथमिक उपचार केंद्र, श्रमिकों का आवास, प्रशिक्षण केंद्र, परीक्षण केंद्र आदि सुविधाएं निर्मित नहीं पाई गई।	**ii. परियोजना प्रबंधन सलाहकार की ओर से निगरानी और देखरेख में चूकः** मंत्रालय ने कहा कि सीईटीपी, सीवेज उपचार संयंत्र और जल प्रबंधन प्रणाली डिजाइन के अनुसार पूर्ण की गई थी और वांछित गुणवत्ता के साथ प्रदत्त की गई। जीईटी वाटर साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड परियोजना के पूरा होने के बाद और अन्तिम रूप से चालू करने के दौरान विफल रही क्योंकि वे उस समय अपनी कमजोर वित्तिय स्थिति के कारण चालू करने के लिए एक टीम नियुक्त नहीं कर सका। हालांकि परियोजना पूरी हो गई थी और अब सफलतापूर्वक चल रही है।	**ii. परियोजना प्रबंधन सलाहकार की ओर से निगरानी और देखरेख में चूकः** उत्तर इस तथ्य को साबित करता है कि जीईटी वाटर साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहा क्योंकि यह अपनी कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण चालू करने हेतु एक टीम नियुक्त नहीं कर सका।

8. मदुरई एकीकृत वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड, मदुरई, तमिलनाडु				**श्रेणीः पूर्ण**
स्वीकृति की तिथि	**: 05.03.2007**	**वर्तमान स्थितिः**	**:**	**संचालित**
परियोजना लागत	**: ₹ 87.30 करोड़**	**वर्तमान रोजगार/योजनाबद्ध**	**:**	**3,575/2,500 व्यक्ति**
क्षेत्र	**: 106 एकड़**	**पीएमसी का नाम**	**:**	**आईएलएण्डएफएस**
प्रस्तावित गतिविधि	**: बुनाई, वस्त्र निर्माण और संबद्ध गतिविधियां**	**कार्य पूर्ण होने में विलम्ब**	**:**	**65 महीने**
वर्तमान गतिविधि	**: बुनाई, वस्त्र निर्माण और संबद्ध गतिविधियां**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**:**	**₹ 31.43 करोड़**

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**
लेखापरीक्षा ने (अक्तूबर 2021) पार्क में क्षेत्र दौरा किया और पाया कि इकाइयां अच्छी तरह से चल रही थी, हालांकि, रिकार्ड की जांच से पता चला किः **i. पार्क को योजना के अनुसार पूरा नहीं किया गयाः** पार्क को मूल रूप से पूर्ण मूल्य श्रृंखला हेतु 17 इकाइयों (4 बुनाई इकाइयां, 5 वस्त्र इकाइयां, 7 प्रसंस्करण इकाइयां और एक तैयारी हेतु इकाई) की स्थापना हेतु ₹ 87.30 करोड़ की पात्र परियोजना लागत के साथ स्वीकृत किया गया था। हालांकि, प्रसंस्करण इकाइयों हेतु पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने में देरी के कारण, एसपीवी	**i. पार्क को योजना के अनुसार पूरा नहीं किया गयाः** मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने में देरी के कारण ड्राई इकाइयों को स्थापित करने हेतु सितंबर 2011 में परियोजना के प्रारूप को बदल दिया गया था, क्योंकि इससे परियोजना को पूर्ण करने में बहुत अधिक देरी हो जाती। एसपीवी ने पार्क में रोजगार और निवेश की प्रतिबद्धता को पूरा किया और तदनुसार इसे रोजगार और निवेश के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अप्रैल 2015 में सम्मानित/पुरस्कृत किया गया।	हालांकि, तथ्य यह है, कि मंत्रालय ने मार्च 2010 तक भारत सरकार के अनुदान का 90 *प्रतिशत* हिस्सा पर्यावरण स्वीकृति की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना ही जारी कर दिया था जबकि परियोजना मूल योजना के अनुरूप प्रगति नहीं कर रही थी।

ने 15 ड्राई इकाइयों को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था जिसे मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। **ii. अनुमतियों की प्राप्ति को सुनिश्चित किए बिना भारत सरकार के अनुदान को जारी करनाः** मार्च 2007 और मार्च 2010 के बीच मंत्रालय ने परियोजना शुरु करने हेतु आवश्यक वैधानिक अनुमतियों की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना ₹ 31.43 करोड़ (भारत सरकार के अनुदान का 90 *प्रतिशत*) जारी कर दिए।	**ii. अनुमतियों की प्राप्ति को सुनिश्चित किये बिना भारत सरकार के अनुदान को जारी करनाः** मंत्रालय ने कहा कि योजना दिशा-निर्देशों में अनुदान जारी करने की निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद ही वस्त्र पार्क को भारत सरकार का अनुदान जारी किया गया था। तदनुसार चूंकि एसपीवी ने पात्र इक्विटी योगदान लाने की सभी शर्तों को पूरा किया था और आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, इसलिए आगे के अनुदान पर विचार किया गया और परियोजना हेतु जारी किया गया।	

9. एमएएस फैब्रिक पार्क (इंडिया) लिमिटेड, आंध्र प्रदेश				**श्रेणीः निर्माणाधीन**
स्वीकृति की तिथि	**: 20.03.2008**	**वर्तमान स्थिति**	**:**	**(गैर-संचालित) रुका हुआ**
परियोजना लागत	**: ₹ 254.70 करोड़**	**वर्तमान रोजगार/योजनाबद्ध**	**:**	**शून्य /31,000 व्यक्ति**
क्षेत्र	**: 581.68 एकड़**	**पीएमसी का नाम**	**:**	**आईएलएण्डएफएस**
प्रस्तावित गतिविधि	**: बुनाई, प्रसंस्करण, गारमेंटिग और संबद्ध गतिविधियां**	**कार्य पूर्ण होने में विलम्ब**	**:**	**137 महीने**
वर्तमान गतिविधि	**: शून्य**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**:**	**₹ 24.00 करोड़**

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**
मंत्रालय ने इस पार्क को मार्च 2008 में 581.68 एकड़ भूमि पर विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थापित करने के लिए स्वीकृति दी थी। लेखापरीक्षा ने क्षेत्र का दौरा किया और पाया कि कांटेदार बाड़ के साथ चारदीवारी, कुछ सड़कों और एक गारमेंटिग इकाई के निर्माण के अलावा अन्य किसी सामान्य आधारभूत संरचना और सामान्य सुविधाओं का निर्माण नहीं किया गया था, क्योंकि परियोजना निम्नलिखित कारण से अटकी हुई थीः **i. मूल योजना में बदलावः** एसपीवी ने एसईजेड के स्थान पर घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में वस्त्र	**i. मूल योजना में बदलावः** मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि चूंकि पार्क एसईजेड श्रेणी के अंतर्गत आता है, इसलिए कई निवेशकों को प्रतिबंधों के कारण एसईजेड का हिस्सा बनना अव्यहावारिक लगा। एसपीवी भूमि से एसईजेड की अधिसूचना निरस्त करने हेतु राज्य सरकार के साथ निरन्तर अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है, विस्तृत विचार विमर्श के बाद, परियोजना अनुमोदन समिति ने परियोजना को पूरा करने के लिए समय सीमा सहित संशोधित लागत विन्यास प्रस्तुत	**i. मूल योजना में परिवर्तन:** उत्तर इंगित करता है कि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया है, लेकिन तथ्य यह है कि भारत सरकार के अनुदान का 60 *प्रतिशत* जारी करने के बाद पार्क अटक गया। **ii. वैधानिक स्वीकृति की अनुपस्थिति:** उत्तर इस तथ्य को स्थापित करता है कि एसईजेड से भूमि की अधिसूचना निरस्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में राज्य सरकार से एसपीवी द्वारा अभी तक स्वीकृति प्राप्त की जानी थी।

पार्क स्थापित करने का बदलाव अपनी योजना में किया। डीटीए में एसईजेड की अधिसूचना निरस्त करने के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। **ii. वैधानिक स्वीकृति न होनाः** एसपीवी को प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु विभिन्न प्राधिकरणों से अभी वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करनी थी। लेखापरीक्षा ने दिसम्बर 2021 में पार्क का दौरा किया और पाया कि • कंटीली तार के साथ चारदीवारी के निर्माण के अलावा किन्हीं भी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण नहीं पाया गया। • एमएएस अक्षय स्पोर्टवियर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक वस्त्र इकाई ने पार्क में कार्य संचालित किया था, लेकिन यह भी अस्थायी रूप से बंद पाई गई। पार्क में कोई सक्रिय निर्माण गतिविधियां चलती हुई नहीं पाई गई।	करने हेतु एसपीवी को अन्तिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया। **ii. वैधानिक स्वीकृतियों का न होनाः** मंत्रालय ने कहा कि परियोजना ने भूमि उपयोग रूपांतरण, पर्यावरण स्वीकृति और स्थापना के लिए स्वीकृति से संबंधित अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। एसपीवी भूमि से एसईजेड की अधिसूचना निरस्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है, और यह शीघ्र ही अपेक्षित है।	इस प्रकार, तथ्य यह है कि राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब के कारण पार्क 13 वर्षों से अधिक समय से अटका हुआ था।

10. एसआईएमए वस्त्र प्रसंस्करण केन्द्र, कुड्डालौर, तमिलनाडु				**श्रेणीः निर्माणाधीन**
स्वीकृति की तिथि	**: 25.11.2005**	**वर्तमान स्थिति**	**:**	**गैर संचालित (रुका हुआ)**
परियोजना लागत	**: ₹ 111.60 करोड़**	**वर्तमान रोजगार/योजनाबद्ध**	**:**	**शून्य /5,000 व्यक्ति**
क्षेत्र	**: 247.74 एकड़**	**पीएमसी का नाम**	**:**	**आईएलएण्डएफएस**
प्रस्तावित गतिविधि	**: प्रसंस्करण**	**कार्य पूर्ण होने में विलम्ब**	**:**	**161 महीने**
वर्तमान गतिविधि	**: शून्य**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**:**	**₹ 24.00 करोड़**

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**
मंत्रालय ने वस्त्र प्रसंस्करण पार्क स्थापित करने हेतु नवंबर 2005 में इस परियोजना को मंजूरी दी थी। लेखापरीक्षा ने क्षेत्र का दौरा किया और पाया कि चारदीवारी के निर्माण और समुद्री निःस्त्राव हेतु पाइप लाइन बिछाने के अतिरिक्त, कोई अन्य सामान्य अवसंरचना और सामान्य सुविधाओं का निर्माण नहीं किया गया था क्योंकि परियोजना निम्नलिखित कारणों से अटकी हुई थीः **i. आवश्यक पानी की अनुपलब्धताः** इस परियोजना को सात प्रसंस्करण इकाइयों हेतु 11 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) पानी की आवश्यकता थी।	**i. आवश्यक पानी की अनुपलब्धताः** मंत्रालय ने बताया (जून 2022) कि वर्तमान स्थिति के अनुसार, परियोजना की 10 इकाइयों को चलाने हेतु 10.5 एमएलडी पानी की आवश्यकता है। वर्तमान में, स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कारपोरेशन आफ तमिलनाडु लिमिटेड (एसआईपीसीओटी) 5.6 एमएलडी पानी की आपूर्ति करने की स्थिति में है, जिसमें से 2.6 एमएलडी पानी की आपूर्ति चरण 1 में साइट पर खोदे गए 5 बोर वैल से की जानी है, शेष 3 एमएलडी पानी चरण-II में 18 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन के द्वारा आना है, (1.5 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा दी गई	उत्तर इंगित करता है कि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है। तथ्य यह है कि आवश्यक पानी की अनुपलब्धता और वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में देरी के कारण पार्क 16 वर्षों से अधिक समय से अटका हुआ था। हालांकि, मंत्रालय ने वैधानिक स्वीकृति की उपलब्धता और पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित किए बिना भारत सरकार के अनुदान का 60 *प्रतिशत* जारी कर दिया। परियोजना प्रबंधन सलाहकार की ओर से उचित परिश्रम की कमी भी थी क्योंकि सलाहकार ने क्षेत्र में पानी की

11 एमएलडी पानी की व्यवस्था न होना परियोजना के कार्यान्वयन में एक बड़ी बाधा थी। **ii. वैधानिक स्वीकृति मिलने में देरीः** समुद्र में कचरे के निःस्त्राव हेतु पाइपलाइन बिछाने के लिए वैधानिक स्वीकृति मिलने में देरी के कारण भी परियोजना बुरी तरह प्रभावित हुई। **iii. ग्रामीणों द्वारा विरोधः** 2014 से 2019 तक ग्रामीणों के विरोध के कारण भी इस परियोजना को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि समुद्र में गंदे पानी को छोड़ने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी।	है और अतिरिक्त पाइपलाइन कार्य प्रगति पर है)। **ii. वैधानिक स्वीकृति मिलने में देरीः** मंत्रालय ने कहा कि परियोजना में कई कारणों से देरी हुई है, जिनमें से एक परियोजना के लिए स्वीकृति मिलने में देरी है। **iii. ग्रामीणों द्वारा विरोधः** मंत्रालय ने बताया कि 18 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के कारण स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया गया था। 1.5 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है।	उपलब्धता के लिए नैदानिक अध्ययन किए बिना पार्क के प्रस्ताव का मूल्यांकन किया और वैधानिक स्वीकृति सुनिश्चित किए बिना भारत सरकार द्वारा अनुदान को जारी करने की अनुशंसा की।

11. ईआईजीएमईएफ परिधान पार्क लिमिटेड, सैयद अमीर अली एवेन्यु, कोलकाता, पश्चिम बंगाल				**श्रेणीः निर्माणाधीन**
स्वीकृति की तिथि	**: 01.07.2006**	**वर्तमान स्थिति**	**:**	**गैर-संचालित (रुका हुआ)**
परियोजना लागत	**: ₹ 130.50 करोड़**	**वर्तमान रोजगार/योजनाबद्ध**	**:**	**शून्य /10,000 व्यक्ति**
क्षेत्र	**: 12.88 एकड़**	**पीएमसी का नाम**	**:**	**आईएलएण्डएफएस**
प्रस्तावित गतिविधि	**: गारमेंटिंग**	**कार्य पूर्ण होने में विलम्ब**	**:**	**164 महीने**
वर्तमान गतिविधि	**: शून्य**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**:**	**₹ 31.61 करोड़**

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**
मंत्रालय ने जुलाई 2006 में साल्ट लेक से 1.5 कि.मी की दूरी पर महिषबाथन, कोलकाता में बहुमंजिला इमारतों (भूतल+ छह मंजिल (जी+6)) के एक परिसर में एक परिधान पार्क स्थापित करने के लिए इस परियोजना को स्वीकृति दी थी। लेखापरीक्षा ने क्षेत्र का दौरा किया और पाया कि परियोजना स्थल पर कोई निर्माण गतिविधियां नहीं चल रही थी और चारदीवारी को छोड़कर किसी भी आधारभूत संरचना और सामान्य सुविधा का निर्माण नहीं किया गया था। जी+2/जी+3/जी+4/जी+5 तक सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण के बाद परियोजना निम्नलिखित कारणों से अटकी रहीः	**सांविधिक स्वीकृति न होनाः** मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि एसपीवी ने 2008 में बिधाननगर नगर निगम से पाइलिंग का काम शुरू करने की अनुमति मांगी थी और एसपीवी के अनुरोध को निगम द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसके आधार पर कार्य शुरू किया गया और पाइलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका था। पाइलिंग का काम पूरा होने पर एसपीवी ने सुपरस्ट्रक्चर के निर्माण के लिए निगम से स्वीकृति मांगी। इसके बाद, सितम्बर 2013 में परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा पार्क को निरस्त कर दिया और जनवरी 2015 में तब पुनः स्वीकृत किया गया जब निर्माण शुरू करने के लिए	उत्तर इंगित करता है कि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया है और परियोजना की समीक्षा करने के लिए नोट किया है। तथ्य यह है कि पार्क 15 वर्षों से अधिक समय से अटका हुआ है, जबकि मंत्रालय ने सांविधिक स्वीकृति की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना भारत सरकार के अनुदान का 79 *प्रतिशत* जारी कर दिया। सांविधिक स्वीकृति प्राप्त किए बिना भारत सरकार के अनुदान को जारी करने की अनुशंसा करते समय परियोजना प्रबंधन सलाहकार की और से भी सम्यक तत्परता की कमी थी।

सांविधिक स्वीकृति का न होनाः एसपीवी ने अभी तक बिधाननगर नगर निगम (बीएमसी) से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करना भी आवश्यक था। **परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा गलत सूचना देनाः** क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त, कोलकाता के कार्यालय ने प्रतिवेदन किया था कि विशेष परियोजन तन्त्र द्वारा परियोजना प्रबंधन सलाहकार यानि (मैसर्स आईएलएंडएफएस) की मिलीभगत से धोखाघड़ी से अनुदान प्राप्त किया गया था।	अगस्त 2015 में एसपीवी द्वारा अंतिम स्वीकृति प्राप्त कर ली गई। मंत्रालय इस परियोजना की समीक्षा कर रहा है। **परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा गलत सूचना देनाः** मंत्रालय ने कोई उत्तर नहीं दिया।	

12. इच्छापुर वस्त्र पार्क, सूरत, गुजरात				**श्रेणीः निर्माणाधीन**
स्वीकृति की तिथि	**: 06.08.2015**	**वर्तमान स्थिति**	**:**	**निर्माणाधीन**
परियोजना लागत	**: ₹ 104.65 करोड़**	**वर्तमान रोजगार/योजनाबद्ध**	**:**	**शून्य /1,955 व्यक्ति**
क्षेत्र	**: 62.96 एकड़**	**पीएमसी का नाम**	**:**	**टैक्नोपैक एड़वाइजर्स**
प्रस्तावित गतिविधि	**: बुनाई और संबद्ध गतिविधियां**	**कार्य पूर्ण होने में देरी**	**:**	**76 महीने**
वर्तमान गतिविधि	**: शून्य**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**:**	**₹ 4.00 करोड़**

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**
मंत्रालय ने अगस्त 2015 में इस परियोजना को स्वीकृति दी थी, परन्तु एक मुकदमे के चलते, भूमि आवंटन में देरी के कारण परियोजना पांच साल तक अटकी रही। हालांकि भूमि का मुद्दा हल हो गया और भारत सरकार द्वारा पहला अनुदान जून 2021 में जारी किया गया, जिसके अनुसार अनुदान की पहली किस्त की स्वीकृति की तारीख से 36 महीने के अन्दर यानि जून 2024 तक पार्क का कार्य पूर्ण किया जाना था।	मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि पार्क भूमि संबंधी मामलों के कारण अटका हुआ था और जून 2021 में इसका समाधान किया गया था। पार्क प्रगति कर रहा था और अब अनुदान की दूसरी किस्त के लिए आवेदन किया गया है।	तथ्य यह है कि भूमि संबधित मामले के कारण परियोजना पांच साल से अधिक समय के लिए अटकी रही, हालांकि बाद में इस मामले को सुलझा लिया गया था।

13. कश्मीर वूल एंड सिल्क वस्त्र पार्क, घाट्टी, जम्मू और कश्मीर				**श्रेणीः निर्माणाधीन**
स्वीकृति की तिथि	**: 20.09.2014**	**वर्तमान स्थिति**	**:**	**रुकी हुई**
परियोजना लागत	**: ₹ 48.06 करोड़**	**वर्तमान रोजगार/योजनाबद्ध**	**:**	**शून्य /3,110 व्यक्ति**
क्षेत्र	**: 26.16 एकड़**	**पीएमसी का नाम**	**:**	**टैक्नोपैक एड़वाइजर्स**
प्रस्तावित गतिविधि	**: कताई, बुनाई और वस्त्र निर्माण कार्य**	**कार्य पूर्ण होने में विलम्ब**	**:**	**87 महीने**
वर्तमान गतिविधि	**: शून्य**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**:**	**शून्य**

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**
मंत्रालय द्वारा सितम्बर 2014 में इस परियोजना को स्वीकृति दी गई थी लेकिन राज्य सरकार के पास लंबित भूमि आवंटन के कारण सात साल से अधिक की देरी के बावजूद इसे अभी तक शुरू नहीं किया गया है।	मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि भूमि का आवंटन न होने के कारण पार्क अटक गया। अब, केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है और भूमि एसपीवी के अधिकार में है।	तथ्य यह है कि राज्य सरकार के पास भूमि आवंटन का मामला लंबित होने के कारण सात वर्ष से अधिक की देरी के बावजूद परियोजना प्रारम्भ नहीं हुई।

14. जम्मू-कश्मीर एकीकृत वस्त्र पार्क, कठुआ, जम्मू और कश्मीर				**श्रेणीः पूर्ण**
स्वीकृति की तिथि	**: 16.09.2011**	**वर्तमान स्थिति**	**:**	**बैंक द्वारा जब्त**
परियोजना लागत	**: ₹ 44.11 करोड़**	**वर्तमान रोजगार/योजनाबद्ध**	**:**	**48/2,508 व्यक्ति**
क्षेत्र	**: 25 एकड़**	**पीएमसी का नाम**	**:**	**आईएलएंडएफएस**
प्रस्तावित गतिविधि	**: कताई, बुनाई, प्रसंस्करण और गारमेंटिंग**	**कार्य पूर्ण होने में विलम्ब**	**:**	**74 महीने**
वर्तमान गतिविधि	**: गैर-वस्त्र गतिविधियां**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**:**	**₹ 35.73 करोड़**

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**
मंत्रालय ने दिसंबर 2012 में इस परियोजना को परियोजना लागत की 90% निधि देने के लिए स्वीकृति दी थी क्योंकि यह पार्क जम्मू-कश्मीर में स्थापित किया जाना था। ₹ 44.11 करोड़ की परियोजना लागत में से ₹ 35.73 करोड़ का भारत सरकार का अनुदान फरवरी 2015 तक जारी किया गया था। लेखापरीक्षा ने इस पार्क क्षेत्र का दौरा किया और पाया कि बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र (अनुमानित लागत ₹ 95.54 लाख) और कैप्टिव पावर संयंत्र (अनुमानित लागत ₹ 1250 लाख), को छोड़कर अधिकांश सामान्य सुविधाएं और सामान्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया था, परन्तु पार्क की फैक्ट्री इकाइयों (17 इकाइयां) को ऋण चुकाने में विफलता के	**i. परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा गलत सूचना देनाः** मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि पीएमसी ने संचालित इकाइयों की सूचना दी और मंत्रालय को चार्टर्ड एकाउंटेंट और चार्टर्ड इंजीनियर से प्रमाण पत्र दिया। इसके बाद वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने विमुद्रीकरण के तुरंत बाद पार्क का दौरा किया और बताया कि विमुद्रीकरण के प्रभाव के कारण केवल तीन इकाईयां संचालित थी क्योंकि अन्य इकाईयां अस्थायी रूप से बंद हो गई थी। वस्त्र आयुक्त और पीएमसी द्वारा पार्क के बाद में किये गए दौरे से यह पता चला कि नौ इकाइयां (वाणिज्यिक एवं परीक्षण उत्पादन) उत्पादन कर रही थी। वस्त्र आयुक्त	**i. परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा गलत सूचना देनाः** उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिसंबर 2016 में प्रस्तुत वस्त्र आयुक्त की यात्रा प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि केवल तीन इकाइयों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था और 11 इकाइयां पाइपलाइन में थी, जिन्हे संभवतः वर्ष 2017 की शुरूआत में स्थापित किया जाना था। तथ्य यह है कि पीएमसी ने पार्क को पूर्ण मानने की अनुशंसा करते समय, मंत्रालय को गलत सूचना दी थी कि नौ इकाइयों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था, जबकि केवल तीन इकाइयों ने वाणिज्यिक

कारण बैंक द्वारा जब्त कर लिया गया था। दो इकाइयों में गैर-वस्त्र गतिविधियां (यानि रूफ शीट्स का निर्माण) चल रहा था। प्रशासनिक ब्लांक और प्रशिक्षण केन्द्र में कुछ वस्त्र गतिविधियां देखी गई क्योंकि बैंको द्वारा फैक्ट्री इकाइयों को जब्त कर लिया गया था। अभिलेखों की आगे की जांच से निम्नलिखित का पता चलाः **i. परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) द्वारा गलत सूचनाः** परियोजना के पीएमसी यानि आईएलएंडएफएस ने भारत सरकार के अनुदान की अन्तिम किस्त जारी करने की अनुशंसा करते हुए कहा कि नौ फैक्ट्री इकाइयों (33 *प्रतिशत*) ने संचालन शुरू कर दिया है। तत्पश्चात, मंत्रालय ने वस्त्र आयुक्त कार्यालय से सत्यापन प्रतिवेदन मांगी जिसमें पाया गया कि केवल तीन फैक्ट्री इकाइयों (11 *प्रतिशत*) ने परिचालन शुरू किया था जो भारत सरकार की अन्तिम किस्त जारी करने के लिए निर्धारित 25 *प्रतिशत* परिचालन इकाई के मानदण्ड को पूरा नहीं करता है। यदि मंत्रालय ने पीएमसी की	कार्यालय की यात्रा प्रतिवेदन में (5 मई 2018) नौ इकाइयों को संचालित (चार इकाइयां परीक्षण उत्पादन के अधीन) दिखाया गया है। मंत्रालय ने आगे कहा (अगस्त 2022) कि पार्क को अभी पूरा हुआ नहीं दिखाया गया और अंतिम अनुदान अभी जारी किया जाना था।	उत्पादन शुरू किया था। इसके अलावा, स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में नियोजित कुछ फैक्ट्री इकाइयां, कैप्टिव पावर संयंत्र और बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र भी नवम्बर 2021 में पार्क के क्षेत्र दौरे के दौरान निर्मित/पूर्ण नहीं पाए गए थे जबकि पार्क को पूर्ण मानने हेतु एसपीवी द्वारा प्रस्तुत निष्पादन-सह-उपलब्धि प्रतिवेदन में फैक्ट्री बिल्डिंग और सामान्य अवसंरचना को पूर्ण दिखाया गया है। इस प्रकार एसपीवी और पीएमसी दोनों ने पार्क को पूरा बताने के लिए मंत्रालय को गलत सूचना दी। फरवरी 2022 में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत पार्कों की अवस्था की नवीनतम् स्थिति में, पार्क को इस तथ्य के बावजूद पूर्ण दिखाया गया है कि पार्क की फैक्ट्री इकाइयों को बैंक द्वारा जब्त कर लिया गया था और कुछ फैक्ट्री भवनों व सामान्य अवसंरचना को पार्क में पूर्ण नहीं किया गया था।

अनुशंसा को स्वीकार कर लिया होता तो भारत सरकार के अनुदान की अंतिम किस्त जारी कर दी गई होती। हालांकि, मंत्रालय ने अंतिम किस्त जारी किए बिना पार्क को पूर्ण मान लिया। (फरवरी 2022 में मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आकंड़ों के अनुसार)। **ii. गैर-वस्त्र गतिविधियां-** लेखापरीक्षा ने नवबंर 2021 में पार्क का दौरा किया और देखा कि दो इकाइयों में गैर-वस्त्र गतिविधियां (छत की चादरों का निर्माण) की जा रही थीं।		

15. अमितारा ग्रीन हाई टेक वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात				**श्रेणीः निर्माणाधीन**
स्वीकृति की तिथि	**: 20.09.2014**	**वर्तमान स्थिति**	**:**	**आंशिक रूप से संचालित**
परियोजना लागत	**: ₹ 103.40 करोड़**	**वर्तमान रोजगार/योजनाबद्ध**	**:**	**840/2,500 व्यक्ति**
क्षेत्र	**: 53.10 एकड़**	**पीएमसी का नाम**	**:**	**टेक्नोपैक एडवाइजर्स**
प्रस्तावित गतिविधि	**: कताई, बुनाई, प्रसंस्करण और गारमेंटिंग**	**कार्य पूर्ण होने में विलम्ब**	**:**	**45 महीने**
वर्तमान गतिविधि	**: कताई और बुनाई**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**:**	**₹ 35.54 करोड़**

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**
लेखापरीक्षा ने अगस्त 2021 में इस पार्क का क्षेत्र दौरा किया और पाया कि प्रशासनिक ब्लॉक और कुछ स्थानों पर चारदीवारी के निर्माण को छोड़कर अधिकांश सामान्य अवसंरचना और सामान्य सुविधाओं का निर्माण किया गया था। पार्क में सात बुनाई और दो वारपिंग और रंगाई इकाइयां संचालित पाई गई।	मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि हाल ही में मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा जुलाई 2022 में पार्क का दौरा किया गया, जिसमें पार्क में नौ इकाइयां पूरी तरह से चालू थी। प्रशासनिक ब्लॉक का कार्य पूर्ण हो चुका था और इसे सुसज्जित किया जा रहा था। सामान्य अवसंरचना व सामान्य सुविधाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था।	कोई टिप्पणी नहीं।

16. हिमाचल वस्त्र पार्क, हिमाचल प्रदेश				**श्रेणीः निर्माणाधीन**	
स्वीकृति की तिथि	**: 16.09.2011**		**वर्तमान स्थिति**	**: संचालित**	
परियोजना लागत	**: ₹ 96.90 करोड़**		**वर्तमान रोजगार/योजनाबद्ध**	**: 1,456/2,200 व्यक्ति**	
क्षेत्र	**: 65 एकड़**		**पीएमसी का नाम**	**: सी एस एसोसिएट्स**	
प्रस्तावित गतिविधि	**: ज्ञात नहीं**		**कार्य पूर्ण होने में विलम्ब**	**: 123 महीने**	
वर्तमान गतिविधि	**: क्षेत्र दौरा नहीं किया गया**		**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**: ₹ 34.88 करोड़**	
लेखापरीक्षा अवलोकन		**मंत्रालय का उत्तर**		**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**	
एक सतर्कता मामले के क्रियाशील होने के कारण मंत्रालय ने इस पार्क की फाइल उपलब्ध नहीं कराई। इसलिए लेखापरीक्षा इस पार्क में क्षेत्र दौरा नहीं कर सका। इस पार्क की प्रगति प्रतिवेदन इस पार्क को संचालित दिखाती है। हालांकि, लेखापरीक्षा को दूसरे अभिलेखों से पता चला कि मंत्रालय ने विशेष प्रयोजन तन्त्र और परियोजना प्रबंधन सलाहकार (यानि मैसर्स सी. एस एसोसिएटस) के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेज प्रस्तुत करने, तथ्यों को छिपाने और योजना के अंतर्गत परियोजना को स्वीकृति देने के समय (सितम्बर 2011) भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने हेतु प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराने का निर्णय लिया।		मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि पार्क क्रियाशील है और सतर्कता मामले के कारण जांच के अधीन है।		कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि इस पार्क के रिकोर्ड मंत्रालय द्वारा प्रदान नहीं किए गए थे।	

17. लुधियाना एकीकृत वस्त्र पार्क लिमिटेड, लुधियाना, पंजाब					**श्रेणीः पूर्ण**
स्वीकृति की तिथि	**:**	**18.12.2008**	**वर्तमान स्थिति**	**:**	**संचालित**
परियोजना लागत	**:**	**₹ 116.19 करोड़**	**वर्तमान रोजगार/योजनाबद्ध**	**:**	**2,725/20,000 व्यक्ति**
क्षेत्र	**:**	**57.16 एकड़**	**पीएमसी का नाम**	**:**	**आईएलएंडएफएस**
प्रस्तावित गतिविधि	**:**	**बुनाई और वस्त्र निर्माण**	**कार्य पूर्ण होने में विलम्ब**	**:**	**132 महीने**
वर्तमान गतिविधि	**:**	**बुनाई और वस्त्र निर्माण**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**:**	**₹ 36.00 करोड़**

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**
लेखापरीक्षा ने जुलाई 2021 में इस पार्क का क्षेत्र दौरा किया और निम्नलिखित पायाः i. 55 फैक्ट्री इकाइयों में से, 10 इकाइयां निर्मित व संचालित पाई गई, अन्य 10 इकाइयां विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन पाई गई। एसपीवी को अभी भी बची हुई 35 इकाइयों का निर्माण करना था। **ii.** कोई सामान्य सुविधाएं (अनुमानित लागतः ₹ 1,610 लाख) निर्मित नहीं पाई गई। हालांकि अधिकांश सामान्य अवसंरचना का निर्माण किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (जून 2022) कि एसपीवी ने कई कारकों के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में देरी की थी, जिसकी समय-समय पर समीक्षा की गई थी। 22 जून 2021 को आयोजित परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक में, एसपीवी ने बताया कि पार्क मुख्य शहर से लगभग 22 कि.मी. दूर स्थित है और पार्क के आस-पास के क्षेत्र में श्रमिक उपलब्ध नहीं थे, जिससे नई इकाइयों की स्थापना में बाधा आ रही है। 11 जनवरी 2022 को आयोजित परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक में, यह नोट किया गया कि एसपीवी ने अपने मौजूदा भवनों में सामान्य	मंत्रालय ने इस तथ्य के बावजूद पार्क को पूर्ण श्रेणी में माना है कि जनवरी 2020 में वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के दौरे के दौरान केवल 9 इकाइयां संचालित (55 इकाइयों का 16.36 *प्रतिशत*) पाई गई और जब जुलाई 2021 में लेखापरीक्षा ने पार्क का दौरा किया तब 10 इकाइयां संचालित पाई गई। अतः, योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिसके अनुसार पार्क को पूर्ण मानने के लिए कम से कम 25 *प्रतिशत* इकाइयां चालू होनी चाहिए, मंत्रालय ने पार्क को तब पूर्ण माना जब केवल 18

	सुविधाओं का कुछ हिस्सा एकीकृत किया था और सदस्यों की आवश्यकता में बदलाव के कारण वे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रस्तावित अन्य सामान्य सुविधाओं को कार्यान्वित करने के इच्छुक नहीं थे। तदनुसार, कोई सामान्य सुविधाएं निर्मित करने का प्रस्ताव नहीं था।	*प्रतिशत* इकाइयां (10 इकाइयां) चालू थी, इस तथ्य के अलावा, एसपीवी को पार्क में 45 इकाइयों (10 इकाइयां निर्माणाधीन + 35 इकाइयां निर्मित नहीं) को पूरा करना था। योजना के दिशानिर्देशों, कि पूर्णता पर विचार करने के लिए कम से कम 25 *प्रतिशत* इकाइयां चालू होनी चाहिए, के उल्लंघन पर मंत्रालय का उत्तर मौन है।

18. किशनगढ़ हाई-टेक वस्त्र बुनाई पार्क लिमिटेड, किशनगढ़, राजस्थान				**श्रेणीः निर्माणाधीन**
स्वीकृति की तिथि	**: 01.07.2006**	**वर्तमान स्थिति**	**:**	**कार्यशील**
परियोजना लागत	**: ₹ 110.58 करोड़**	**वर्तमान रोजगार/योजनाबद्ध**	**:**	**2,020/2,175 व्यक्ति**
क्षेत्र	**: 40 एकड़**	**पीएमसी का नाम**	**:**	**आईएलएंडएफएस**
प्रस्तावित गतिविधि	**: बुनाई और कताई**	**कार्य पूर्ण होने में विलम्ब**	**:**	**156 महीने**
वर्तमान गतिविधि	**: बुनाई (साइजिंग)**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**:**	**₹ 36.00 करोड़**

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**
लेखापरीक्षा ने जुलाई 2021 में पार्क का क्षेत्र निरीक्षण किया और पाया कि अधिकांश सामान्य आधारभूत संरचनायें एवं सामान्य सुविधाएं निर्मित की जा चुकी थी, लेकिन जलापूर्ति एवं सीवेज उपचार संयंत्र कार्यशील नहीं थे। आगे, रिकार्ड़ों के निरीक्षण से निम्नलिखित बातें पता चली। **i. अंतिम किस्त के दावे का प्रस्तुतीकरण नहीं-** भारत सरकार द्वारा 90 *प्रतिशत* का अनुदान जनवरी 2011 तक प्राप्त करने के बाद भी एसपीवी ने अपने अंतिम दावों को 10 वर्षों के बाद भी प्रस्तुत नहीं किया है।	मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि एसपीवी द्वारा पार्क की प्रगति के बारे में सूचित किया गया था और एसपीवी ने पार्क को औपचारिक रूप से बंद करने और परियोजना को अनुदान की अंतिम किस्त जारी करने का अनुरोध किया था। एसपीवी ने व्यय के नियमितीकरण के लिए एक अनुरोध प्रस्तुत किया था जिसे विचार के लिए एस्क्रो तंत्र के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके पश्चात पूरा होने का निर्णय लिया जा सकता है। तत्पश्चात्, 11 जनवरी 2022 को आयोजित परियोजना अनुमोदन समिति की पिछली बैठक में परियोजना को पूर्ण होने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह निर्देश दिया	मंत्रालय का उत्तर इंगित करता है कि भारत सरकार के अनुदान का 90 *प्रतिशत* जारी करने के बाद पार्क को बंद कर दिया गया था। पार्क को पूरा करने के अनुदान को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि एक बार पार्क को पूर्ण मान लिए जाने के बाद भारत सरकार के अनुदान की वापसी के लिए योजना के दिशानिर्देशों में कोई तंत्र नहीं था। आगे, एसपीवी के व्यय के नियमितीकरण के बिना पार्क को पूर्णता प्रदान करना उचित नहीं था और समय से पहले पूरा करने के समान था।

ii. 90 *प्रतिशत* अनुदान प्राप्त करने के बाद पार्क बंद- मंत्रालय ने भारत सरकार के 90 *प्रतिशत* अनुदान प्रदान करने के बाद इस परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया (नवम्बर 2018) और आगे एसपीवी के द्वारा प्राप्त इक्विटी योगदान एवं विकास को ध्यान में रखते हुए पार्क के विरूद्ध वसूली की कार्रवाई शुरू करने का भी निर्णय लिया।	गया कि व्यय के नियमितीकरण का निर्णय समिति द्वारा अलग से लिया जाएगा। मंत्रालय ने आगे कहा (अगस्त 2022) कि एसपीवी का नियमितीकरण अनुरोध विचाराधीन था और परियोजना लागत तदनुसार निर्धारित की जाएगी।	

19. सीएलसी वस्त्र पार्क प्राईवेट लिमिटेड, मध्य प्रदेश				**श्रेणीः निरस्त**
स्वीकृति की तिथि	**: दिसंबर 2008**	**पीएमसी का नामः**	**:**	**आईएलएंडएफएस**
परियोजना लागत	**: ₹ 92.48 करोड़**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**:**	**₹ 11.47 करोड़**
निरस्तीकरण की तिथि	**: 19.02.2018**	**भारत सरकार के अनुदान की वसूली**	**:**	**शून्य**
		वसूली में देरी	**:**	**46 महीने**

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**
मंत्रालय ने दिसंबर 2008 को यह परियोजना स्वीकृत की एवं ₹ 3.56 करोड़ का भारत सरकार का अनुदान मई 2009 तथा ₹ 7.91 करोड़ का अनुदान जुलाई 2011 में जारी किया। मंत्रालय ने फरवरी 2018 में यह कहते हुए कि एसपीवी अपनी निधि जुटाने एवं भारत सरकार के अनुदान का उपयोग करने में असफल हो गयी है, परियोजना को निरस्त कर दिया। दस्तावेजों के आगे निरीक्षण में परियोजना की प्रगति में होने वाली कमी हेतु निम्नलिखित कारण उजागर हुए हैं, जिनके कारण परियोजना को निरस्त किया गया: • विद्युत कनैक्शन की अनुमति प्राप्त करने में देरी। • जल पाइप लाईन बिछाने हेतु वन विभाग	मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि परियोजना को विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद निरस्त कर दिया गया था जिनसे यह निष्कर्ष निकला कि परियोजना को लागू नहीं किया जाएगा। परियोजना की विफलता का प्राथमिक कारण परियोजना के लिए धन जुटाने में सदस्यों की अक्षमता थी। तब से परियोजना को निरस्त कर दिया गया है और वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह भी नोट किया गया कि राज्य सरकार ने सितंबर 2017 में आयोजित पिछले क्षेत्रीय सम्मेलन में पार्क को निरस्त करने की अनुशंसा की है। चूंकि एसपीवी भारत सरकार के अनुदान का उपयोग करने में विफल रही है और अपने स्वयं के धन को नहीं जुटा सकी, यह निर्णय	मंत्रालय का जवाब यह संकेत करता है कि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा का अवलोकन स्वीकृत कर लिया है। परंतु, यह तथ्य अभी भी विचारणीय है कि पार्क के निरस्त होने के चार साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी भारत सरकार द्वारा अनुदानित ₹ 11.47 करोड़ की राशि दण्डात्मक ब्याज के साथ अभी भी वसूल नहीं की गई है।

से अनुमति प्राप्ति में असफलता। • एसपीवी की बैंक ऋण प्राप्त करने एवं एसपीवी सदस्यों से बराबर अंशदान प्राप्त करने में असमर्थता।	लिया गया कि पार्क को निरस्त कर दिया जाए और भारत सरकार के अनुदान की पहली किस्त जारी होने की तारीख से 10 *प्रतिशत* की दर से दंडात्मक ब्याज के साथ एसपीवी से भारत सरकार का अनुदान वसूल किया जाए। मंत्रालय ने आगे कहा (अगस्त 2022) कि वसूली नोटिस एसपीवी को भेज दिया गया था और दंडात्मक ब्याज सहित वसूली प्रक्रियाधीन थी।	

20. श्री धैर्यशील माने वस्त्र पार्क को-ऑपरेटिव सोयाइटी लिमिटेड, इच्छलकरंजी, महाराष्ट्र				**श्रेणीः निरस्त**
स्वीकृति की तिथि	**: 01.07.2006**	**पीएमसी का नाम**	**:**	**आईएलएंडएफएस**
परियोजना लागत	**: ₹ 72.25 करोड़**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**:**	**₹ 8.67 करोड़**
निरस्तीकरण की तिथि	**: 02.08.2011**	**भारत सरकार के अनुदान की वसूली**	**:**	**शून्य**
		वसूली में देरी	**:**	**124 महीने**

लेखापरीक्षा अवलोकन	मंत्रालय का उत्तर	आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
मंत्रालय ने जुलाई 2006 में इस परियोजना को स्वीकृति दी एवं भारत सरकार के अनुदान के ₹ 2.89 करोड़ जनवरी 2007 में तथा ₹ 5.78 करोड़ फरवरी 2008 में जारी किये। मंत्रालय ने निम्नलिखित कारणों से परियोजना को अगस्त 2011 में निरस्त कर दिया: • महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के साथ जमीन संबंधी मुद्दे के कारण। • एसपीवी सदस्यों के बीच मतभेद के कारण। अगस्त 2011 में, मंत्रालय ने एसपीवी को ₹ 8.67 करोड़ का अनुदान 15 दिनों के अंदर वापिस करने का निर्देश दिया। इसके बाद, मंत्रालय ने वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई को अनुदान वसूल करने हेतु एक कोर्ट	मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि मंत्रालय द्वारा वितरित अनुदान एसपीवी द्वारा परियोजना में उपयोग किया गया था। मामला अभी कोर्ट में है।	तथ्य यह है किः ➢ सितंबर 2012 से क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा किए गए कई अनुरोधों के बावजूद मंत्रालय ज़मानत बंध-पत्र (एसपीवी और मंत्रालय के बीच विधिवत हस्ताक्षरित) की वास्तविक प्रति प्रदान करने में विफल रहा। ➢ जून 2019 से क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा किए गए कई अनुरोधों के बावजूद भी मंत्रालय ने एसपीवी (अगस्त 2021 तक) के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी।

केस दर्ज करने का निर्देश दिया (नवंबर 2011)। क्षेत्रीय कार्यालय ने जिला उपायुक्त से मुलाकात की जिन्होंने विचार व्यक्त किया (अगस्त 2012) कि जरूरी कागजात जैसे कि जमानत बंध-पत्र तथा मंत्रालय एवं एसपीवी के बीच हस्ताक्षरित संधिपत्र जिला सरकार के याचिकाकर्ता को जरूरी केस दर्ज करने के लिए सौंपा जाए। इसके बाद, क्षेत्रीय कार्यालय ने मंत्रालय से जमानत बंध-पत्र एवं मंत्रालय तथा एसपीवी के बीच हस्ताक्षरित संधि-पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया (सितंबर 2012)। अक्तूबर 2013 में, मंत्रालय ने यह कहते हुए जमानत बंध-पत्र की एक प्रति भेजी कि मंत्रालय एवं एसपीवी के बीच कोई संधिपत्र हस्ताक्षरित नहीं था। जिला सरकार के याचिकाकर्ता ने सूचित किया कि जमानत बंध-पत्र की प्रति अधूरी थी, क्योंकि वह मंत्रालय के पदासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थी।		इस प्रकार, मंत्रालय अपनी ओर से यथोचित परिश्रम की कमी के कारण भारत सरकार के अनुदान की वसूली प्राप्त करने में विफल रहा।

अनेकों बार अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद मंत्रालय जमानत बंध-पत्र की हस्ताक्षरित प्रति नहीं सौंप सका। फरवरी 2015 में, मंत्रालय ने क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त कार्यालय को एसपीवी के विरूद्ध एक वसूली का मुकदमा दर्ज करने का आग्रह किया। इसके पश्चात् क्षेत्रीय कार्यालय ने सिविल मुकदमा दर्ज करने का प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा स्वीकृति हेतु भेजा (जून 2019)। मंत्रालय ने अभी तक (अगस्त 2021 तक) सिविल मुकदमा दर्ज करने की स्वीकृति नहीं भेजी है।		

21. वाडा वस्त्र पार्क, ठाणे, महाराष्ट्र				**श्रेणीः निरस्त**
स्वीकृति की तिथि	**: 03.02.2006**	**पीएमसी का नाम**	**:**	**आईएलएंडएफएस**
परियोजना लागत	**: ₹ 100.89 करोड़**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**:**	**₹ 4.00 करोड़**
निरस्तीकरण की तिथि	**: 26.02.2008**	**भारत सरकार के अनुदान की वसूली**	**:**	**₹ 2.21 करोड़**
		वसूली में देरी	**:**	**166 महीने**

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**
मंत्रालय ने फरवरी 2006 में इस पार्क को स्वीकृत किया और मार्च 2006 में ₹ 4.00 करोड़ जारी किया। चूंकि, एसपीवी ने टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग संगठन से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा मास्टर योजना की स्वीकृति नहीं ली थी, अतः परियोजना अनुमोदन समिति ने फरवरी 2008 में एसपीवी से उसको दिये गए पैसे पर ब्याज की वसूली के साथ परियोजना की स्वीकृति को वापस लेने का निर्णय किया। मार्च 2008 में मंत्रालय ने एसपीवी को ₹ 4.00 करोड़ का अनुदान और उसका ब्याज तत्काल वापस करने का अनुरोध किया। इसके जवाब में एसपीवी ने ₹ 2.21 करोड़ जुलाई 2008 में यह कहते हुए वापिस कि शेष राशि यथाशीघ्र वापस	मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि चूंकि एसपीवी अनुमति प्राप्त नहीं कर सका, परियोजना को निरस्त कर दिया गया और अनुदान की वसूली की गई। मंत्रालय ने आगे कहा कि यह तथ्य है कि ₹ 2.21 करोड़ की राशि प्राप्त की जा चुकी थी और शेष धनराशि की वसूली की जानी है।	लेखापरीक्षा के देखे गए रिकार्ड के अनुसार, मंत्रालय एसपीवी को दिये गए ₹ 4.00 करोड़ के अनुदान में से केवल ₹ 2.21 करोड़ ही वसूल कर सका। एसपीवी से शेष राशि पूरे दण्डात्मक ब्याज के साथ वसूल की जानी अभी बाकी थी। चूंकि मंत्रालय के पास मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा उचित तरीके से हस्ताक्षरित जमानत बंध पत्र नहीं थे, अतः मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान की वसूली में मेहनत की कमी थी। परिणामस्वरूप, वस्त्र उपायुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के जनवरी 2013 से ही बार-बार याद दिलाने के बावजूद मंत्रालय जमानत

कर दी जाएगी। इसके पश्चात्, मंत्रालय ने शेष ₹ 1.79 करोड़ के अनुदान को उस पर लगे ब्याज के साथ वापस करने का आग्रह किया (अगस्त 2009)। चूंकि एसपीवी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, अतः मंत्रालय ने वस्त्र आयुक्त मुंबई के क्षेत्रीय कार्यालय को कानून मंत्रालय की स्थानीय शाखा के साथ मामले को देखने एवं वसूली की कार्यवाही शुरू करने को कहा। कानून एवं न्याय मंत्रालय, कानूनी मामलों के विभाग ने यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया (जुलाई 2012) कि क्या अंकित राशि का कोई जमानत बंध पत्र अनुदान देने से पूर्व प्राप्त किया गया था। इसी अनुसार, वस्त्र उपायुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय ने मंत्रालय को एसपीवी एवं मंत्रालय द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वास्तविक जमानत बंध पत्र आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजने को कहा (जनवरी 2013)। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अप्रैल 2013, जुलाई 2013, फरवरी 2016 तथा सितंबर 2016 में अनेकों अनुस्मारक देने के बाद भी मंत्रालय जमानत बंध-पत्र की हस्ताक्षरित		बंध-पत्र की उचित हस्ताक्षरित प्रति नहीं भेज सका एवं साथ ही सरकरी काउन्सेल के द्वारा तैयार मसौदा नोटिस पर अपनी सहमति अगस्त 2018 से उनके बार-बार आग्रह के बाद भी नहीं भेज सका। परिणाम स्वरूप, वसूली की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकी। इस प्रकार, यह तथ्य इंगित करता है कि मंत्रालय ने भारत सरकार का अनुदान दिए जाने के बाद बिना वैधानिक स्वीकृतियां सुनिश्चित किये ही परियोजना को निरस्त कर दिया और अनुदान का पूरा पैसा दण्डात्मक ब्याज के साथ वसूल करने में असफल रहा।

प्रति उपलब्ध नहीं करा सका। भेजी गई जमानत बंध पत्र की प्रति मंत्रालय के संबंधित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थी। इसके बाद, क्षेत्रीय कार्यालय ने वरिष्ठ केंद्रीय सरकार काउन्सेल, मुंबई के द्वारा तैयार एक मसौदा नोटिस की प्रति मंत्रालय को आवश्यक स्वीकृति हेतु भेजी (अगस्त 2018)। मंत्रालय ने अभी तक (अगस्त 2021 तक) वरिष्ठ केंद्र सरकार काउन्सेल, मुंबई द्वारा तैयार मसौदा नोटिस पर सहमति व्यक्त नहीं की है।		

22. सुंदर राव सोलंकी को-ऑपरेटिव वस्त्र पार्क, महाराष्ट्र				**श्रेणीः निरस्त**
स्वीकृति की तिथि	**: 08.11.2011**	**पीएमसी का नाम**	**:**	**टेक्नोपेक एडवाईजर्स**
परियोजना लागत	**: ₹ 105.81 करोड़**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**:**	**₹ 4.00 करोड़**
निरस्तीकरण की तिथि	**: 30.06.2016**	**भारत सरकार के अनुदान की वसूली**	**:**	**₹ 4.00 करोड़**
		वसूली में देरी	**:**	**66 महीने**

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणी**
मंत्रालय ने इस परियोजना को नवंबर 2011 में स्वीकृति दी तथा भारत सरकार ने जनवरी 2013 में ₹ 4.00 करोड़ जारी कर दिये। भारत सरकार के अनुदान के जारी करने में देरी तथा मंत्रालय से स्वीकृति मिलने में देरी के कारण स्वयं एसपीवी के द्वारा परियोजना को निरस्त करने के अनुरोध पर मंत्रालय ने परियोजना को निरस्त कर दिया। इसके अलावा, वैधानिक पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में भी देरी थी।	मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि दंड स्वरूप ब्याज की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही मंत्रालय के द्वारा की जा रही थी।	तथ्य यह है कि पार्क के निरस्तीकरण से पांच वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी मंत्रालय दंडस्वरूप ब्याज की वसूली नहीं कर पाया है।

23. जेवीएल वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड, रोहतास, बिहार			**श्रेणीः निरस्त**
स्वीकृति की तिथि	**: 20.09.2014**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**: शून्य**
परियोजना लागत	**: ₹ 113.11 करोड़**	**भारत सरकार के अनुदान की वसूली**	**: लागू नहीं**
निरस्तीकरण की तिथि	**: 30.06.2016**	**वसूली में देरी**	**: लागू नहीं**

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**
मंत्रालय ने इस परियोजना को सितंबर 2014 में स्वीकृत किया एवं कोई भी भारत सरकार का अनुदान जारी करने से पहले निरस्त कर दिया चूंकि एसपीवी ने कई बार विस्तार देने के बावजूद जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए। हालांकि, पार्क से संबंधित फाईल लेखापरीक्षा के कई अनुस्मारक के बावजूद प्रस्तुत नहीं की गई।	मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि परियोजना अनुमोदन समिति परियोजना को स्वीकृत/निरस्त करने में सशक्त थी। कोई अनुदान एवं शुल्क जारी नहीं किया गया। परियोजना की जांच का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला जिसके कारण मंत्रालय ने बिना कोई अनुदान जारी किए पार्क को निरस्त कर दिया था।	लेखापरीक्षा पार्क निरस्त करने के कारणों की जांच नहीं कर सका, क्योंकि मंत्रालय ने कई बार मांग पत्र जारी करने के बावजूद संबंधित फाइल उपलब्ध नहीं कराई।

24. राजस्थान एकीकृत परिधान सिटी, भिवाडी, राजस्थान				**श्रेणीः निरस्त**
स्वीकृति की तिथि	**: अक्टूबर 2011**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**:**	**शून्य**
परियोजना लागत	**: ₹ 195.34 करोड़**	**भारत सरकार के अनुदान की वसूली**	**:**	**लागू नहीं**
निरस्तीकरण की तिथि	**: 05.11.2013**	**वसूली में देरी**	**:**	**लागू नहीं**

लेखापरीक्षा अवलोकन	**मंत्रालय का उत्तर**	**आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**
मंत्रालय ने कई अनुस्मारकों के बावजूद इस पार्क से संबंधित फाइल उपलब्ध नहीं कराई।	मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि परियोजना को स्वीकृति दे दी गई थी और बाद में निरस्त कर दी गई थी, और परियोजना को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था। मंत्रालय ने आगे कहा (अगस्त 2022) कि परियोजना अनुमोदन समिति को परियोजना को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार था। कोई अनुदान और शुल्क जारी नहीं किया गया था। परियोजना की जांच का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला जिसके कारण मंत्रालय ने बिना कोई अनुदान जारी किये पार्क को निरस्त कर दिया था।	लेखापरीक्षा पार्क निरस्त करने के कारणों की जांच नहीं कर सका, क्योंकि मंत्रालय ने कई बार मांग पत्र जारी करने के बावजूद संबंधित फाइल उपलब्ध नहीं कराई।

अनुलग्नक-V

(पैरा 3.10 में संदर्भित)

निरस्त किये गये पार्कों से अनुदान/दंडस्वरूप ब्याज की गैर-वसूली

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	पार्क का नाम	राज्य	जारी किये गये कुल अनुदान	पार्क को निरस्त करने की तिथि	वसूली के लिए लंबित अनुदान	वसूली के लिए लंबित दंडस्वरूप ब्याज
1.	गुलबर्गा वस्त्र पार्क, कर्नाटक	कर्नाटक	1.85	30.11.2018	1.60	1.93
2.	सीएलसी वस्त्र पार्क प्राइवेट लिमिटेड, छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	11.47	30.06.2016	11.47	15.77
3.	श्री धैर्यशील माने वस्त्र पार्क को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इच्छलकरंजी	महाराष्ट्र	8.67	06.06.2011	8.67	13.51
4.	वाडा वस्त्र पार्क, ठाणे	महाराष्ट्र	4.00	05.01.2015	1.79	6.40
5.	एशियाटिक को-ऑपरेटिव वस्त्र पार्क, शोलापुर	महाराष्ट्र	12.00	30.11.2018	12.00	11.00
6.	भारत फैबटेक्स एवं कॉरपोरेट पार्क प्राइवेट लिमिटेड, पाली	राजस्थान	4.00	06.06.2011	4.00	5.20

क्रम सं.	पार्क का नाम	राज्य	जारी किये गये कुल अनुदान	पार्क को निरस्त करने की तिथि	वसूली के लिए लंबित अनुदान	वसूली के लिए लंबित दंडस्वरूप ब्याज
7.	हिम्मदा एकीकृत वस्त्र पार्क, बालोतरा	राजस्थान	4.00	30.11.2018	0.14	4.10
8.	जयपुर टैक्स वीविंग पार्क लिमिटेड, किशनगढ़	राजस्थान	23.23	30.11.2018	23.23	37.75
9.	वैगई हाई-टेक वीविंग पार्क, मदुरै	तमिलनाडु	2.44	30.06.2016	2.44	3.36
10.	हैदराबाद हाई-टेक वीविंग पार्क, महबूबनगर	तेलंगाना	12.00	02.08.2011	12.00	18.70
	उप-कुल (अ)		**83.66**		**77.34**	**117.72**
11.	गौतम बुद्धा वस्त्र पार्क	आंध्र प्रदेश	4.00	30.11.2018	शून्य	2.90
12.	कपिला वस्त्र पार्क, साणद	गुजरात	4.00	16.05.2008	शून्य	5.97
13.	राजस्थान टैक्समार्ट वस्त्र पार्क, जयपुर	राजस्थान	3.78	26.02.2008	शून्य	5.64
14.	सोहम वस्त्र पार्क, अमदावाद	गुजरात	4.00	04.06.2007	शून्य	6.23
15.	श्री लक्ष्मी नारायण वस्त्र पार्क, सूरत	गुजरात	4.00	26.02.2008	शून्य	6.23
16.	तारापुर वस्त्र पार्क, ठाणे	महाराष्ट्र	4.00	18.12.2008	शून्य	शून्य

क्रम सं.	पार्क का नाम	राज्य	जारी किये गये कुल अनुदान	पार्क को निरस्त करने की तिथि	वसूली के लिए लंबित अनुदान	वसूली के लिए लंबित दंडस्वरूप ब्याज
17.	एस एल एस वस्त्र पार्क, बागालुर, कृष्णागिरी	तमिलनाडु	4.00	30.06.2016	शून्य	शून्य
18.	सुंदर राव सोलंकी, माजलगांव	महाराष्ट्र	4.00	30.06.2016	शून्य	4.17
19.	खेड़ वस्त्र पार्क, खेड़, पुणे	महाराष्ट्र	3.23	30.06.2016	शून्य	शून्य
20.	जयपुर कालीन वस्त्र पार्क	राजस्थान	3.94	30.11.2018	शून्य	3.61
	उप कुल (ब)		**38.95**		**शून्य**	**34.75**
	कुल योग (अ+ब)		**122.61**		**77.34**	**152.47**

नोट: दण्डात्मक ब्याज भारत सरकार का अनुदान जारी होने की तिथि से वसूल किया जाना चाहिए। परन्तु, भारत सरकार के अनुदानों के जारी होने की तारीखों से संबंधित सूचना के अभाव में, अनुदानों पर दण्डस्वरूप ब्याज की गणना पार्क की स्वीकृति तिथि से फरवरी 2022 तक की गई है।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in